राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बुधवार, दिनांक–२० मार्च, सन् १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २

भूतपूर्व अजमेर राज्य के एस. टी. ए. द्वारा श्री चांदमल मौर्य इत्यादि को बस व पब्लिक केरियर के परमिट

श्री सूर्यमल मौर्य—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या भूतपूर्व अजमेर राज्य के एस. टी. ए. ने श्री चांदमल मौर्य या उससे सम्बन्धित किसी संस्था को बस एवं पब्लिक कैरियर के कोई परमिट दिये हैं? यदि हां, तो कितने ? कृपया परमिट और बस नम्बर तथा मार्गों के नाम बताने का कष्ट करें।

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री)—श्री चांदमल मौर्य को स्टेज कैरेज का परमिट एवं पब्लिक कैरियर का परमिट नहीं दिया गया है। ऐसा कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह बताया जा सके कि श्री चांदमल मौर्य का किन किन संस्थाओं से संबन्ध है।

श्री सूर्यमल मौर्य—ऐसा कोई परमिट दिया गया ?

श्री खेतसिंह—ऐसा कोई नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३

चौमू से चन्दवासी तक सड़क निर्माण योजना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या चौमू से चन्दवासी तक सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थाभाव के कारण ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या उसकी सर्वे वगैरह हो चुकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसकी सर्वे नहीं हुई है। चौमू पहले से ही रोड पर है। ६ मील का टुकड़ा टूटा हुआ है वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हो जाएगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इसकी सर्वे हुई है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने बताया कि ६ मील का टुकड़ा खराब है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—इस ६ मील के खराब टुकड़े को ठीक कराने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—यह ५७-५८ में पूरा हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४

अजमेर जिले के लिये पृथकतया रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का गठन

श्री सूर्यमल मौर्य—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या अजमेर जिले के लिये एक अलग रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी गठन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री)—जी नहीं।

श्री सूर्यमल मौर्य—ऐसा मालूम हुआ था कि यह बनने वाली है।

श्री खेतसिंह—मैंने आपको उत्तर दे दिया कि 'नहीं'। वह आपको गलत मालूम हुआ है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्रीमती यशोदा देवी ने विधान सभा की बैठकों से अर्थात् १८-३-५७ से २१-३-५७ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्रीमती यशोदा देवी को अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

Yes next.

भाखरा प्रोजेक्ट सम्बन्धी सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:

1. The Rajasthan Colonisation (Bhakra Project Government Lands Allotment) Rules, 1955.

2. Rajasthan Colonisation (Temporary cultivation leases) Conditions, 1955

3. Rajasthan Colonisation (Model Villages & Farms by Literates) Conditions, 1955.

4. Rajasthan Killa-Bandi Conditions, 1955,

5. Rajasthan (General Colony) Conditions, 1955,

6. Bhakra Project Gadoliya Lohar (Allotment of Government Lands) Rules, 1955.

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

7, Bhakra Project ex-Military Personal (Allotment of Government lands) Rules, 1955,

श्री अध्यक्ष—Next Legistative Business

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेण्डमेन्ट) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा के पिछले सत्र में इस प्रकार का विधेयक इस सभा द्वारा पारित करवाने हेतु सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था और जिस समय इस विधेयक के विषय में चर्चा की जा रही थी उस समय इस सदन का वातावरण इस प्रकार का निर्माण हो चुका था कि जिसके कारण सरकार शायद इस बात की हिम्मत न कर सकी कि आज के दिन इस कानून को पास करवा लिया जाय और उसी कारण से, मैं समझता हूं कि, उस दिन सरकार ने इस कानून को स्थगित कर दिया। सब से पहले सरकार को यह चाहिए था कि इस प्रकार का कानून कि जिसका सम्बन्ध राजस्थान के एक रियासत के ऐसे कारिन्दों से है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनके प्रति न्याय होता। यह उन लोगों के ऊपर एक भारी रकम की बकाया का मामला है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय जयपुर रियासत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्माण हुआ था उस समय के राजस्थान के काश्तकारों ने उस समय के जागीरदारों का इस बात के लिए विरोध किया था कि जयपुर रियासत की जनता की हालत आज इतनी ठीक नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा लगाये गये टैक्सों का भुगतान कर सके और यह सैस जो उनके ऊपर लागू किया जाने वाला है वह वसूल न किया जाय। लेकिन उस समय की सरकार जिसको लोकप्रिय सरकार कहा जाता था उस सरकार ने केवल एक रंजिश के कारण और इस भावना से कि जागीरदारों को किसी न किसी तरह से हैरेस किया जाय इस प्रकार का एक्ट लाये। लेकिन जिस समय कानून लागू हुआ उस समय हमारे यहां के मुख्य मन्त्री श्री हीरालाल जी शास्त्री थे उस समय जागीरदारों का एक प्रतिनिधि मण्डल उनके पास गया और उस प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी सारी दलीलें पेश कीं और इस बात की मांग की कि जो रकम काश्तकारों पर जागीरदारों की बकाया है वह उनको दे दी जाये। काश्तकारों और जागी-

[श्री भैरूंसिंह]

रदारों में बराबर संघर्ष बना हुआ है और काश्तकार लगान नहीं देते और जो लगान ही नहीं दे सकते तो वह फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सैस कैसे दे सकते हैं और फिर इस प्रकार की बात करना ही बिलकुल तथ्यहीन है। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हिसाब एक आने से वसूल करने का था लेकिन जिस समय जयपुर रियासत में, खास तौर से एग्रेरियन ट्रबल खूब हो रहे थे, काश्तकारों में और जागीरदारों में वैमनस्यता बढ़ रही थी, मुकदमेबाजी चल रही थी, मामला इतना जोरों से बढ़ रहा था कि स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय की सरकार से यह भी नहीं सोचा गया कि आज के दिन जहां जागीरदारों को काश्तकारों से लगान तक नहीं मिल रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स कैसे मिल सकता है? इस कारण से अध्यक्ष महोदय, सन् १९४७ में जिस समय राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून बना उस दिन से लेकर सन् १९५७ तक उस टैक्ट की रकम को वसूल नहीं किया गया। जयपुर में उस समय पांच डिस्ट्रिक्ट बने थे। पांच डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, मालपुरा, सीकर, जयपुर और सवाई-माधोपुर हैं। इस वर्तमान विधान सभा के बनने के कुछ समय पूर्व ही जागीरदारों ने हाई कोर्ट में एक रिट पेश की और उसके द्वारा यह जाहिर किया कि जिस कानून के द्वारा हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वह कानून असंगत है और इसके साथ साथ यह बिल्कुल गलत चीज है और यह कानून की दृष्टि से बिलकुल असंगत है और कानून के खिलाफ है। जिस समय यहां विधान सभा की बैठकें हो रहीं थीं उसी समय वह रिट भी चल रही थी और जब उस पर आर्ग्युमेन्टस चल रहे थे उस समय सरकारी वकील ने बताया कि इसमें एक प्रकार का अमेण्डमेण्ट कर दिया जाय। जब उन्होंने देखा कि यह रिट मन्जूर होगी और जो रुपया हम जागीरदारों से वसूल करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। उसके बाद मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी का जो सिद्धान्त है उसका हनन किया जा रहा है। पहले यह कानून बना कर उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया और जयपुर रियासत का जो कानून था उसको विधान सभा ने सन् १९५२. में दुरुस्त किया। अब इस प्रकार का कानून फिर लाकर तो आप जागीरदारों और काश्तकारों के बीच में रोड़े अटका रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से अप्रजातांत्रिक तरीका है। मैं चाहता हूं कि लेजिस्लेटिव असेम्बली की जो इज्जत है वह कायम रहे, लेकिन हमारी सरकार तो बहुमत के कारण एक कानून बना कर उसमें गलती हो जाती है उसको दुरुस्त करे, वह भी ठीक बात है। सरकार ने जो जागीरदारों पर टैक्स लगाया है उसको उचित समझा लेकिन उसके बाद में फिर एक प्रश्न पैदा होता है कि आज सन् ४७ से ५२ तक की जो बकाया रकम है उसको यदि सन् ५६ में वसूल किया गया तो क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेशन का भी प्रश्न लागू होगा? यदि यह लिमिटेशन का प्रश्न लागू होता है तो ऐसी सूरत में हमारी विधान सभा के द्वारा कोई संशोधन लेकर ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिसके कारण सन् ४७ के बकाया के ऊपर कोई लिमिटेशन लागू न होकर आज के ताजा टैक्ट लागू किये जायें। सही स्थिति यह है कि जागीरदारों को जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत इस बात का

[श्री भैरू सिंह]

जिम्मेदार ठहराया है कि वे अपने काश्तकारों से लगान वसूल करें।

मैं समझता हूँ कि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखने वाले व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, उनके दिमाग में यह बात नहीं आ सकती कि उस समय जागीरदारों द्वारा रुपया सैस का वसूल किया होगा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जागीरदार स्वयं काश्तकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस वसूल करे और तहसील में जाकर जमा कराये। अब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर दी है कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी काश्तकारों के ऊपर नहीं, जागीरदारों के ऊपर थोपनी पड़ेगी इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है:—

"According to section 34 of the Jaipur District Boards Act, 1947, Government could realise from each State grantee an amount equal to the aggregate of the amount of cess payable by his tenants by way of contributoin and the amount so realised was required to be placed to the credit of the District Board Fund according to section 37 of that Act."

अब इसका मतलब यह है कि जागीरदार द्वारा जो सैस वसूल की जायगी वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस होगी और वह उतनी ही होगी जितनी कि काश्तकारों के ऊपर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में दूसरी ही प्रकार की धारा है। जागीरदार काश्तकारों से वसूल करेंगे और वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमा करायेंगे अगर जागीरदार को कोई काश्तकार सैस की रकम नहीं देता है तो वह तहसील में दावा दायर करे और दावा दायर करने के बाद रकम की वसूली के लिये खुद कार्यवाही कराये। सन् १९४७ से यह तरीका चला आ रहा है कि जागीरदार द्वारा काश्तकार से सैस वसूल किया जायगा अगर वह देता नहीं है तो तहसील में उसके खिलाफ दावा दायर कराये। एक तरफ काश्तकार कहेगा, आप इस बात को मानकर चलिये कि दस वर्ष पहले की बकाया कोई काश्तकार देने वाला नहीं. आज का काश्तकार जागरूक है क्योंकि आपके द्वारा काश्तकारों को प्रलोभन दिया हुआ है, वह ऐसा नहीं है कि दस वर्ष पहले का बकाया दे। अब यदि यह स्थिति पैदा हो जाय कि दस वर्ष पहले का सैस वसूल किया जाय, जब यह प्रश्न पैदा होता है तो काश्तकार इस बात को कहेंगे कि हमारे जिम्मे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस थी वह हमने जागीरदारों को दे दी है। इस बात का निर्णय करने के लिये कि जागीरदारों को काश्तकारों ने सैस की रकम दे दी है कौन सा मापदंड सरकार के पास रहेगा? तहसीलों के अन्दर भी इस प्रकार का कोई रेकार्ड नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि किन किन से सैस की रकम दी है। इस प्रकार की आपसी वैमनस्यता जब चलेगी तो जो समन्वयात्मक भाव जागीरदार और काश्तकार के प्रति हमने निर्माण किये हैं, एक भाईचारे का जो वातावरण बना पाये हैं वह एक इस सैस की रकम के कारण विषैले वातावरण के रूप में परिणित हो जायगी। जब जागीरदारों के नाम नोटिस जारी होंगे कि आपने काश्तकारों से सैस की रकम लेकर जमा नहीं करायी अतः आप

Page No.7

[श्री भैरूसिंह]

वह रकम जमा करायें तो जागीरदार कहेंगे कि हमें तो किसी भी काश्तकार ने नहीं दी और काश्तकार कहेंगे कि हमने तो जागीरदार को सैस की रकम दे दी है, ऐसी परिस्थिति में शहादतें और सुबूत देने होंगे जिसके लिये रेकार्ड का मिलना आवश्यक है। हो सकता है कि इस सम्बन्ध में बड़े बड़े जागीरदारों के पास रेकार्ड हो सकते हैं जिस प्रकार उन्होंने अपने कम्पेनसेशन के क्लेम्स तैयार करके सबमिट किये, उसी प्रकार इसका भी हिसाब उनके पास हो सकता है, किन्तु दस हजार से कम आमदनी वाले जागीरदारों के पास जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत एग्ज़ेम्प्ट किया गया है उनको भी खुदकाश्त के नाम पर इस प्रकार की सैस देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि १० हजार से नीचे की आमदनी वाले जितने भी जागीरदार हैं, जो कभी हिसाब नहीं रखते थे उनको किस प्रकार ठीक किया जायगा? इसके अलावा जिस किसी के पास इस प्रकार के रेकार्ड भी थे तो अनावश्यक समझ कर उनको जला दिया गया है। अब जब कि दस वर्ष पहले की सैस की वसूली का नोटिस आयेगा तो उनको दस वर्ष पहले के रेकार्ड से साबित करना पड़ेगा कि किसके प्रति कितना लगान था और कितना सैस किसने दिया और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में गया या नहीं, किन-किन काश्तकारों में बकाया है उनके खिलाफ तहसील में रिपोर्ट की या नहीं? अगर जागीरदार ने रिपोर्ट नहीं की है तो तहसील में उसका रेकार्ड नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स दिया जाय या नहीं? जब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि राजस्थान में जहां पंचायत का राज्य हो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय सरकार ने यह कहा था कि डेवेलपमेन्ट के काम करने हैं, उन कार्यों के अन्दर जिला बोर्ड्स का सहयोग लेना आवश्यक है। हमारा यह कहना था कि तहसील पंचायतों द्वारा भी यह काम हो सकता है, अगर आप जिला बोर्ड्स ही कायम करना चाहते हैं तो सभी जगह कायम किया जाय। जब जयपुर जिला बोर्ड बना उस समय सरकार ने कुछ अपने पिट्ठुओं को जिला बोर्ड का सदस्य बना दिया। जिन लोगों को जयपुर जिला बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया वे सब एक गुट्ट के व्यक्ति थे, उन सदस्यों के खिलाफ इस विधान सभा में सैकड़ों दफा शिकायत पेश की गई। विधान सभा के बाहर भी उनके खिलाफ आवाज उठायी गई, उनके खिलाफ मुकदमे बने हैं। यहां तक भी हुआ है कि उनको सदस्यता से भी अलग किया गया है। आज उनके खिलाफ सैकड़ों शिकायतें भी साबित हो चुकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त होने से उनका कुछ बाल बांका नहीं हो रहा है। एक तरफ तो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि दस वर्ष पहले का जितना बकाया है वह सब वसूल किया जाय, यह कदापि न्याय संगत नहीं। जयपुर राज्य में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् '४७ से कायम है, आप जयपुर राज्य के लिये यह मन्जूर करते हैं और राजस्थान के अन्य स्थानों के लिये नहीं, तो यह कदापि न्याय संगत चीज नहीं है। अगर आप को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण करना ही है तो सारे राजस्थान के लिये करिये केवल जयपुर रियासत में ही हो, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में न हो, यह प्रजातान्त्रिक पद्धति नहीं है। आप उदयपुर में तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करना नहीं चाहते क्योंकि वहां के काश्तकारों ने खुले रूप से कह दिया है

Page No.8

[श्री भैरूंसिंह]

कि अगर हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस लेते हैं तो हम कभी भी कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं, इसलिये आपने उदयपुर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण नहीं किया। आज स्वायत्त शासन मन्त्री जी नहीं हैं, उन्होंने इसी विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि हम आम चुनावों से पहले ही जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव करा देंगे। चुनाव समाप्त हुए छः महिने की अवधि समाप्त हो गयी, १२ महिने की अवधि बढ़ाने के लिये अमेन्डमेन्ट आता है, फिर डेढ़ वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिये अमेन्डमेन्ट आता है और अब यह मांग की जाती है कि दो वर्ष के लिये और अवधि बढ़ायी जाय। जिन माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, जिन्होंने वचन दिया था आम चुनावों से पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव करा दिये जायेंगे तो क्या उनके आश्वासन की कोई कीमत नहीं ? उनको तो केवल लोगों को मुगालते में रखकर वोट हासिल करने के तरीके आते हैं, जनता को प्रलोभन दिया जाय ताकि उनको वोट हासिल हो सकें। आज केवल जयपुर डिवीजन ही ऐसा है जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से सैस वसूल होती है, राजस्थान के अन्य हिस्सों में कहीं भी नहीं। यह जो इनडिसक्रीमिनेटरी पोलिसी है इससे जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। जयपुर रियासत के अलावा अन्य जगहों पर इस प्रकार का कानून नहीं। उदयपुर डिवीजन में नहीं क्योंकि यदि वहां पर इस प्रकार का कानून लगा दिया जाता तो सत्तारूढ़ दल को यह भय था कि वहां से उसको समर्थन नहीं मिलेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम पर एक आना रुपया सैस का उदयपुर के किसानों से भी वसूल किया जाता तो आज उदयपुर डिवीजन में कांग्रेसी सरकार को जितनी सीटें मिली हैं वे भी नहीं मिल पातीं। हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री ने जो आश्वासन दिया था वह केवल जनता को मुगालते में डालने के लिये था। आप उदयपुर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम नहीं करना चाहते, जोधपुर में नहीं, बीकानेर में नहीं, तो केवल जयपुर रियासत में ही क्यों रखना चाहते हैं ? जयपुर पर ही इतनी कृपा क्यों है ? जयपुर का काश्तकार तो सन् ४७ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस देता आ रहा है, इस प्रकार के अनुचित कर से दबा आ रहा है ; उसको राहत देने की आवश्यकता है। आज प्रजातन्त्र में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, सरकार को जनता के साथ एकसा व्यवहार करना चाहिये, सब के साथ एक सा दृष्टिकोण होना चाहिये। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सब के साथ समान बर्ताव होना चाहिये। आप चाहते हैं कि उदयपुर के काश्तकार पर सैस का भार न पड़े और जयपुर का काश्तकार सन् ४७ से बराबर सैस की रकम देता रहे यह न्यायसंगत नहीं। आप जिला बोर्ड्स नहीं चाहते तो आप सब जगह के बोर्ड्स भंग कर दीजिये। आज जो जिला बोर्ड्स हैं वे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे हजारों मामले मन्त्रियों के सामने पेश हैं, फिर भी वे व्यक्ति जिला बोर्ड्स में बने हुए हैं। इस विधान सभा का समय समाप्त हो गया, दूसरी विधान सभा बनकर आने वाली है फिर भी सरकार यह नहीं चाहती कि यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हो। तहसील पंचायतों के चुनाव हो गये लेकिन यहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् ४७ से मनोनीत ही चला आ रहा है, यह प्रजातन्त्र के लिये शर्म की चीज है। इसके लिये मेरा स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन है कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये। उन्होंने जो भी आश्वासन दिये थे वे पूरे नहीं कर पाये, उन्होंने इसे मामूली सी बात समझ ली थी और आश्वासन दे दिया था। आज विधान सभाओं के चुनाव हो गये, पार्लियामेन्ट के चुनाव हो गये,

[श्री भैरूंसिंह]

लेकिन वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके, क्या उसके लिये सरकारी मशीनरी उपयुक्त नहीं थी ? यह बात नहीं, किन्तु हमारी सरकार को उदयपुर डिवीजन के काश्तकारों का भय घुसा हुआ था, अगर वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हो गये तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। उदयपुर डिवीजन के काश्तकारों ने खुले रूप से कह दिया, अगर हम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक आना रुपया सैस लागू कर दिया तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप जिन विकास योजनाओं के लिए जिला बोर्ड्स को कायम करना चाहते हैं वह तो तहसील पंचायतों द्वारा भी पूरा हो सकता है। आप चाहें तो इसके लिये एम० एल० एज़० की मशीनरी भी प्रयोग में ला सकते हैं, जिला बोर्ड जैसी अनावश्यक संस्था को पनपाकर फिजूल काश्तकारों पर बोझ क्यों लाद रहे हैं ? हमारी सरकार का कहना है कि जहां हमने बना दिये जो बना दिये। यह प्रश्न दूसरा है कि यह कानून सब पर समान रूप से लागू हो। अगर आप सब जगह पर समान रूप से लागू नहीं करते हैं तो यह जयपुर के साथ ही अन्याय क्यों ? सन् ४७ से चली आ रही बकाया वसूल करने में अध्यक्ष महोदय, एक हाई कोर्ट की रूलिंग भी बनी। एक जागीरदार में सरकार का बकाया था। सरकार ने उस पर वसूली के लिये दावा किया। वह दावा सात वर्ष के बाद में किया गया था। इसलिये जिस वक्त यह मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि जो कानून साधारण नागरिक पर लागू होता है वही सरकार पर भी लागू होगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन का कानून जिस प्रकार एक साधारण नागरिक पर लागू होता है, वही सरकार पर भी लागू होता है। जिस प्रकार लॉ ऑफ लिमिटेशन के अनुसार किसी की बकाया के लिये मियाद के निकल जाने के बाद कोई साधारण नागरिक दावा नहीं कर सकता उसी प्रकार मियाद निकल जाने के बाद यदि सरकार की भी बकाया है तो उस ऋण के भुगतान के लिए सरकार को भी लॉ ऑफ लिमिटेशन से बरियत हो, ऐसी बात नहीं और इस निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई मुकदमे दायर किये थे वे सब हाई कोर्ट के इस निर्णय के कारण वापिस लेने पड़े हैं। लेकिन एक व्यवस्था, एक हथियार, एक जनतान्त्रिक पद्धति का विनाश करने वाला अधिकार आज बहुमत के नाम पर हमारी सरकार हाथ में लिए हुए है। इस विधान सभा में इस प्रकार का कानून रखकर वह अपने बहुमत के आधार पर यहां सदस्यों को मुगालता देकर, काश्तकारों की प्रगति के नाम पर, जिला बोर्ड के द्वारा विकास कार्यों के नाम पर, जनता की उन्नति नाम पर इस हथियार का प्रयोग यह सरकार करती है। जब मन चाहता है तभी कानून यहां बनाने के लिये ले आती है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको न्याय से भरे तरीकों से, जो तरीके कि साधारण नागरिकों के लिये कानून द्वारा उपयुक्त समझे गये हैं, उन सारे कानूनों द्वारा आपको राहत पहुँचाना है नागरिकों को तो सरकार का जो बकाया है, और सरकार की गलती के कारण उसको वसूल करने की मियाद निकल गई है और सरकार अपनी गल्ती से उसे वसूल न कर सकी है तो इसे अब सरकार भुगते। यह नहीं कि दस वर्षों की बकाया निकाल कर आज वसूल करने की कोशिश करे। आज यह बकाया पांच दस हजार की नहीं, पांच दस लाख की नहीं, यह बकाया, यदि माननीय वित्त मन्त्री महोदय बताएंगे तो मेरे खयाल से कम से कम एक

Page No.10

[श्री भैरूसिंह]

करोड़ की होगी। आज उसको वसूल करने के लिये सारे जयपुर रियासत के काश्तकार और जागीरदारों के बीच यह सरकार संघर्ष पैदा करना चाहती है और इस प्रकार डिवाइड और रूल की पोलिसी, जो अंग्रेजों से सीख कर यह सरकार आज अपनाना चाहती है तो निश्चित रूप से जयपुर रियासत के काश्तकारों और जागीरदारों के बीच में खाई बनेगी जिससे जो शान्त वातावरण आज बन गया है वह अशान्त बनेगा, उनके बीच में झगड़े बढ़ेंगे, मुकदमेबाजी चलेगी। यदि वित्त मन्त्री एक वकील की हैसियत से मुकदमेबाजी ही कराने के लिये और उनमें फूट डालकर झगड़ा और खाई बढ़ाने को आमादा हैं और इरादा रखते हैं तो मैं उनकी इस मन्शा को समझता हूँ, उनकी बेकारी को मैं समझता हूँ, उनको मुकदमेबाजी से जो लाभ होगा उसको भी समझता हूं, उनको अब आगे काम-धन्धा नहीं है, वे निकट भविष्य में ही बेकार हो रहे हैं, वे कोई काम-धन्धा चाहते हैं और इस प्रकार से उसका प्रबन्ध कर रहे हैं कि काश्तकारों और जागीरदारों में फूट डालकर, डिवाइड और रूल की पोलिसी अख्तियार करके और उनके बीच मुकदमेबाजी बढ़ाकर अपना फायदा करना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं। पर यह उनकी सरासर भूल होगी। इससे उनको लाभ नहीं होगा। मैं कहता हूं उन्हें लड़ाकर आप अब काम मत लो। उनमें सहयोग की भावना पैदा करो और उस सहयोग के द्वारा फल मिलता है तो उसको लेने की चेष्टा करो। इससे आपको भी सही माने में राहत मिलेगी, सरकार को भी राहत मिलेगी और गरीब किसान और गरीब जनता को भी राहत मिलेगी। वे तरक्की करेंगे, आप भी तरक्की करेंगे। लड़ने की बात भूल जाओ, डिवाइड और रूल की अंग्रेजों की पालिसी उनके साथ ही जाने दो, उसे मत अपनाओ। यह पिछले जमाने की बात है। इसे इतिहास के पृष्ठों में ही अंकित रहने दो अब। फिर आज वक्त भी बदल गया है। काश्तकार आज अपने को समझने लग गया है, जागीरदार भी सचेत हो गया है। वे लड़ेंगे भी नहीं आपस में, आप फिर कितनी भी कोशिश करो। पर एक बात अवश्य है, आर्थिक प्रश्न जहां आवेगा, पैसा देने-लेने का प्रश्न जहां आवेगा तो वे जरूर लड़ने पर मजबूर हो जावेंगे और मुकदमेबाजी जरूर होगी, वकीलों की चांदी होगी। पर इससे आपको कोई लाभ होगा, इसमें मुझे सन्देह है। आप इस लोभ-लालच को छोड़ें तो अच्छा होगा।

अन्त में मैं एक बात कहूँगा। राजस्थान विधान सभा का यह अन्तिम अधिवेशन है। यह एक अहम बात है। इसमें एक करोड़ रुपये का सवाल है। कानून में डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रश्न है। इसलिए चाहिये यह इस सरकार को कि इस सैशन के बाद जो नई विधान सभा आए, जनता के नए प्रतिनिधि जब आवें तो उस समय इस कानून को पेश किया जावे। इसमें लगभग एक महीने की देरी है। एक महीने बाद इसको यदि पेश करें तो ऐसी कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है, न ऐसा कोई नुकसान हो रहा है कि जिसकी पूर्ति नहीं की जा सके। न्याय का यह तकाजा है, न्याय यह कहता है। आज जिस सभा में विधान सभा के रूप में बहुत से माननीय सदस्य नई विधान सभा में जीते हुए बैठे हैं, कुछ हारे हुए बैठे हैं, जीते हुए जीत की खुशी में, जीते हुए जीत की उमंग में इस मामले की सारी बातों को भूले बैठे हैं, उधर ध्यान देने के मूड में नहीं हैं, और जो हारे हुए

[श्री भैरूंसिंह]

हैं वे भी इस मूड में नहीं हैं कि इस ओर ध्यान दे सकें, तो सारे सदस्यों के मूड में न होने की सूरत में भी अगर इस कानून को पास कराकर इस स्थिति का फायदा उठाना चाहें तो यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी विपरीत है, इस स्पोर्ट्समेन स्पिरिट पर आघात है। इसलिये चाहिये यह कि इस प्रकार की अहम बात जिससे जयपुर रियासत की समस्त जनता का सम्बन्ध है, एक करोड़ की वसूली का सम्बन्ध है, डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन का सम्बन्ध है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री जाते जाते अगर एक बात कर जावें कि इस प्रकार का कानून अपने हाथों से पास न कराकर आगामी अधिवेशन में पेश होने दें तो जाते जाते यह उनके लिये एक अच्छा काम होगा। नहीं तो यह बुराई का भांडा, जैसा राजस्थानी में कहते हैं, वे अपने सिर पर ले जावेंगे। अगर इस बुराई से वे बचें तो कुछ हानि नहीं होगी उनकी। उनके लिये यह बुद्धिमानी की बात होगी, नहीं तो इस प्रकार के संघर्ष में अगर ऐसी स्थिति बन गई कि सबने मिलकर कह दिया कि इस प्रकार के नोमिनेटेड बोर्ड के खर्चे के बारे में जनता एक पैसा नहीं देगी तो सरकार के और जनता के इस संघर्ष में जागीरदार और काश्तकार एक होंगे, वे एक तरफ होंगे और सरकार विरोध में दूसरी तरफ होगी। इस प्रश्न को लेकर जनता और सरकार में संघर्ष भी हो सकता है, बगावत भी हो सकती है और षड़यंत्र भी हो सकते हैं और संघर्षमय स्थिति भी पैदा हो सकती है। इन सारे हथकन्डों से बचने के लिये मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रश्न को इस सदन में पेश न करके बाद में पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा और इस बीच में जनता से भी इस मामले पर राय ले ली जावे। जनता यदि ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पैसा देना चाहती है तो वसूल किया जावे, मुझे कोई एतराज़ नहीं और अगर वह तैयार नहीं है तो हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, इसीलिए यहां आये हैं, उनकी इच्छानुसार चलने वाले हैं, जनता देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहे तो नहीं देगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपील करता हूँ कि अव्वल तो इसे आप विद्ड्रा कर लें, नहीं तो जनमत के लिये इसे प्रसारित कर दें और इसके बाद में इसको लागू किया जावे तो यह सबसे अच्छा होगा।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने इस बात के ऊपर केवल एक ही पहलू पर विचार करके सदन के सामने अपने विचार रक्खे हैं और वह यह कहते हैं कि जो बकाया लोगों में बाकी है उसके बारे में यह पता कैसे चलेगा कि यह जागीरदारों ने वसूल की है या नहीं की है और इस तरह से लोगों से पुरानी रकम वसूल की जावेगी। मैं समझता हूं कि इसका एक दूसरा और पहलू है और वह यह है कि जिन लोगों से बकाया वसूल की जा चुकी है और जिन जागीरदारों ने, जिन ग्रान्टीज़ ने उन काश्तकारों से लगान के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस की रकम भी वसूल कर ली है वह रकम क्या उनके ही पास रहने दी जावे वह वसूल न की जावे ? मैं समझता हूँ कि यह काश्तकारों के साथ अन्याय होगा कि उन्होंने तो

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सैस की रकम ग्रान्टीज़ को दे दी और ग्रान्टीज़ से वह रिअलाइज़ नहीं की जा सकी। इसलिये यह सोचा गया कि इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये कि जिसके जरिये जिन ग्रान्टीज़ को सैस वसूल करने का अख्तियार था और जिन्होंने वसूल किया और उस पैसे को अपने पास रक्खा, सालों तक रक्खा और तो और जिस रुपये से वे इन्टरेस्ट कमाते रहे और जिन्होंने वह रकम सरकार को नहीं दी उनसे वह रकम वसूल करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून में तरमीम की जाय। यह तरमीम इसीलिये जरूरी थी और इसलिये यह तरमीम लाई गई है। अब जो एक करोड़ के लगभग रकम बकाया है, जो लोगों के पास वसूल की हुई पड़ी है और उसके बारे में यह कहना कि हमने तो वसूल नहीं की तो यह तो उनके कागजात बतावेंगे। सरकार ने इस बात की जानकारी की है और उस जानकारी के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि वह रकम वसूल हुई है और इतनी बड़ी रकम काश्तकारों से वसूल करके वे बैठे हैं। इस रकम को उनसे लेने के लिये यह रास्ता अपनाया गया है।

मेरे एक माननीय मित्र ने यह भी कहा कि यह तो काश्तकारों से वसूल की जाने वाली है। मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों से तो वह वसूल की जा चुकी है। अब तो सवाल यह पैदा होता है कि उनसे उसे कैसे लिया जावे और इसके लिये यह तरमीम लाई जा रही है।

मेरे एक मित्र ने यह भी कहा कि जाते जाते मुझे यह चीज नहीं पेश करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि जाते जाते जनता की भलाई का काम तो अवश्य सरकार को करना चाहिये कि जो रकम काश्तकारों से, गरीब जनता से वसूल की जा चुकी है वह सरकार के खजाने में आवे और इसके लिये यह निश्चय किया गया।

एक माननीय सदस्य—पहले क्यों नहीं कर लिया ?

श्री भैंरूसिंह (१६)—अब तक यह रकम वसूल क्यों नहीं हुई ? गलती किसकी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(जारी) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम जो कानून बनाते हैं.........

श्री अर्जुनदास—Why not recovered ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा— (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कानून जो बनाते हैं, प्रेसीडेन्स से बनाते हैं और लॉज़ का इन्टरप्रिटेशन बाद में जाकर बनता

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में डिफेक्ट था। लीगल डिफेक्ट है, रकम कोई खाना चाहे तो वह हड़प नहीं करने दी जा सकती, क्योंकि वह तो जनता की रकम है और जब भी मालूम किया गया कि ऐसी तरमीम करने की आवश्यकता है तो कभी भी तरमीम की जा सकती है। इसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से पता लगता है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऐसा प्रोविजन था, उसको पास से जमा कराना पड़ेगा और उसको चाहिये था कि अब तक जमा कराते, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं की, इसलिये रीज़नेबिल रकम है उसको वसूल करना जरूरी है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जमा कराने की जरूरत नहीं थी, सैस की जरूरत नहीं थी, उदयपुर में यह कायम नहीं किया है, यह क्यों किया है, इसके विषय में मैं निवेदन करूंगा कि पहले बहुत काफी कहा जा चुका है। इसको लाने का मेन ऑब्जेक्ट जो है वह यह है कि जो रकम बकाया है उसको वसूल करना चाहिये और लोगों के पास उस रकम को नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख कर ही यह तरमीम लायी गई है। मैं समझता हूं कि सदन इसको मन्जूर करेगा।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया उससे इस सदन को संतोष हुआ होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

श्री मथुरादास माथुर—असंतोष हुआ होगा।

श्री भैरूंसिंह—मैं समझता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बकाया के सम्बन्ध में पूरी जानकारी सरकार को भी नहीं है। इस कानून में जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दिये हुए हैं उसमें दो शब्द देकर "अमाउन्ट रियलाइज्ड"; इन दो शब्दों को देकर शायद उनको अनुमान हुआ है कि यह रकम जागीरदारों ने वसूल कर ली है और जागीरदार ब्याज कमा रहे हैं और वे उस रकम को सरकार में जमा नहीं कराते। अगर वाकई ऐसी परिस्थिति हो कि काश्तकारों से रकम वसूल कर ली गई है और वह सरकार में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जमा नहीं हुई है तो मैं भी इसी उसूल का होता कि रकम उनसे वसूल कराई जाकर सरकार में जमा कराई जाय। क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बात का सुबूत दे सकेंगे, इस बात की गारन्टी दे सकेंगे कि जयपुर रियासत के जागीरदारों ने अमुक से इस प्रकार की रकम वसूल कर ली है और अपने पास वह रख ली है और जमा नहीं कराई है? पांच साल का इस विधान सभा का समय निकला, जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चलते आ रहे हैं; उस सम्बन्ध में पहले के कानून को रिपील किया और उस कानून को बनाते वक्त माननीय मंत्री महोदय के उनके कानूनी विभाग ने ध्यान नहीं दिया कि जागीरदारों ने इसको वसूल कर लिया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सन् ४७ में जो बकाया थी उसको वसूल करने के लिए, दस वर्ष बाद सन् ५७ में आकर सरकार की नींद खुल गई। समय कितना निकल गया, लोग चेते नहीं,

[श्री भैंरूं सिंह]

समय की जिम्मेदारी किस पर है, किस अधिकारी से वसूली नहीं हुई, किस सरकार की गलती से यह वसूली नहीं हुई, उस वक्त तो चेते नहीं लेकिन दस वर्ष बाद हमारी निगाह पड़ गई, यही हमारा अच्छा काम है। अगर सरकार सोचे, सरकार गारन्टी दे, जागीरदारों ने वसूल कर लिया, भाषा तो अच्छी है, तो हर एक जागीरदार को इसके लिए नोटिस दिया जावेगा कि तुमने लगान के समय जिस पर्सेन्टेज से बकाया वसूल की है वह तुमने अब तक जमा नहीं करायी है इसलिए उसको फौरन जमा कराओ। जागीरदार कहेगा कि उसने वसूल नहीं की है किन्तु सरकार कहेगी कि तुमने वह वसूल कर ली है, न तो इसके लिए सरकार के पास रेकर्ड है और न जागीरदार ने ही इसके लिए रिकार्ड रक्खा है। अगर इसकी वसूली के सम्बन्ध में तहसील के अधिकारियों को और जिला बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिया तो उनके सामने यह दृष्टिकोण रहेगा कि काश्तकारों के पास से जागीरदारों को रकम वसूल करनी थी। वहां के काश्तकार भी परेशान होंगे, वे तहसीलदार की खुशामद करेंगे। सरकारी अधिकारी जाकर मांग करेंगे कि टेक्स जमा कराओ। आपने अधिकार तो दे दिया, तहसीलदार और जिला बोर्डों को आदेश दे दिया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं कि एक जागीरदार में २५ हजार रुपये की बकाया है। दोनों के मामले तहसीलदार के पास आवेंगे और तहसीलदार निर्णय करने वाला है और वह निर्णय कर देता है कि काश्तकारों से वसूली होगी अथवा नहीं होगी। चाहे आधार है या नहीं, लेकिन हम कल्पना करें कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा या नहीं? इस तरह से काश्तकारों और जागीरदारों के बीच न्याय करने वालों को बिठा दिया तो क्या होगा? जागीरदार कहेगा कि मैंने रकम वसूल नहीं की है, काश्तकार कहेगा कि वसूल कर ली, दस हजार हम छोड़ते हैं तो इस प्रकार से जागीरदारों और काश्तकारों में एक प्रकार का संघर्ष होगा। आज हम अधिकारियों को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से तो हम उनके लिए एक मार्ग खोल देंगे भ्रष्टाचार फैलाने का। काश्तकारों पर ज्यादा लगान होता है, जागीरदारों का नुकसान होता है उसकी उसको चिन्ता नहीं, लेकिन आप कहने को तो कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार को दूर करते हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा, और दूसरा प्रश्न इस प्रकार आता है कि एक जिला बोर्ड में मनोनीत जो सदस्य हैं, एक दल के सदस्य हैं और कई बोर्डों में एक जाति के हैं; एक जाति और दूसरी जाति में इससे संघर्ष पैदा होगा, एक जाति दूसरी जाति को गलत बतायेगी। एक नोमिनेटेड जिला बोर्ड में एक दल विशेष है और वह यह चाहे कि दूसरे प्रतिनिधि दल को परेशान किया जाय तो उनके सामने एक मोटिव रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यह लिख कर भेजेगा कि फलां फलां व्यक्ति में इतनी बकाया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो चाहा सो लिखकर भेज दिया, चाहे गलत लिखकर भेज दिया या सही लिख कर भेज दिया, तहसील इन्क्वायरी करेगी, काश्तकारों से तो वसूल कर लिया है, जागीरदार ने जमा नहीं करायी और जागीरदार इसको जमा क्यों नहीं कराते तो उसके सामने एक ऑल्टरनेटिव होगा। जागीरदारों को मुआवजा मिल रहा है, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिल रही है। सरकार नहीं चाहती है कि जागीरदारों को कम्पेन्सेशन मिले, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिले, सरकार नहीं

[श्री भैरूंसिंह]

चाहती है कि जागीरदार खुशहाल रहें, मालदार हों, धनी हों; सरकार तो चाहती है कि जागीरदारों का सत्यानाश किया जाय, उनको मार दिया जाय, उनके पास खाने को अनाज न हो, उनके पास पहनने को कपड़ा न रहे। इसीलिए आंख लगाये बैठी है कि किसी तरह से रिहेबिलीटेशन ग्रान्ट व कम्पेन्सेशन की मिलने वाली रकम से काटा जाय तो तहसीलदार के पास रिपोर्ट जावेगी। तहसीलदार उस पर यह लिखेगा कि अमुक जागीरदार में इतनी रकम बकाया है इसलिए उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलना चाहिए। वैसे ही उसको कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं मिलती है, उसके मिलने की कोई व्यवस्था नहीं और उसके बाद भी सरकार को सन्तोष नहीं है। इस प्रकार से जिनको मुआवजा मिल रहा है। उनका मुआवजा रुकवाने के लिए और जिनको रिहेबिलेटशन ग्रान्ट मिल रही है उनकी रिहेबिलेटेशन ग्रान्ट रुकवाने के लिए तहसीलदार लिखेगा और उनकी रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट और मुआवजा रोक दिये जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास कर सकता हूं कि आज के जो कानून हैं उनके अनुसार एक सिविल सूट का दस वर्षों में भी जाकर फैसला नहीं होता। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बकाया रकम का मुकदमा चलता है तो पहले वह नाजिम के पास जावेगा, फिर कलेक्टर के पास जावेगा, फिर कमिश्नर के पास और फिर रैवेन्यू बोर्ड में वह मामला जावेगा। उन सब सीढ़ियों पर जागीरदार और काश्तकार जावेंगे और जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं होगा तब तक जो जागीरदार को मुआवजा और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी और उसके लिए स्टे ऑर्डर्स हो जावेंगे, रिहेबिलिटेशन के ऑर्डर्स स्टे होंगे। न रिहेबिलिटेशन मिलेगा और न कम्पेन्सेशन मिलेगा। सब से कह दिया जायगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बकाया का फैसला करो। जागीरदारों की तरफ अगर कोई रकम बाकी है तो वह रकम काटी जाय और जो कुछ कम्पेन्सेशन बचेगा वह उनको दिया जाय। एक तरफ तो हमारी सरकार और क्षत्रिय महासभा के बीच बातचीत हुई थी उसमें सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था और पंत एवार्ड में इसका जिक्र किया है कि जागीरदारों में सेटिलमेंट का बकाया है या इस प्रकार के सेस की रकम बकाया है वह माफ कर दी जायगी। आज वही सरकार उस पंत रिपोर्ट, जो कि एक बहुत ही तगड़ा डॉक्यूमेंट है, के खिलाफ जागीरदारों को हेरास करने के लिए इस रकम की वसूली की कार्यवाही कर रही है। मैं दुबारा अपील करूंगा कि जागीरदारों और काश्तकारों में संघर्ष नहीं करायें। अगर रकम ही वसूल करनी हो तो उसके लिए पहले सिद्धान्त तय हो और सिद्धान्त तय करने के बाद में यह तय करें कि कौन से जागीरदार ने काश्तकार से रुपया वसूल कर लिया है और किस क्षेत्र के काश्तकारों में वह रकम बकाया है और वह किस तरह से वसूल हो सकती है। उस बकाया को वसूल करने में जागीरदार और काश्तकारों में कठिनाई तो पैदा नहीं होगी। उसका पूरा निर्णय करके सरकार यह व्यवस्था करे कि इतनी रकम वसूल करनी है, वर्ना (समय समाप्ति सूचक घंटी) ऐसा खुला अधिकार सरकारी अधिकारियों को दे दें तो वे सारे के सारे लोगों को परेशान करेंगे। सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस प्रकार के कानून का जो खुले हथियार के रूप में बहुमत

[श्री भैंरूसिंह]

के आधार पर प्रयोग किया जा रहा है उस हथियार का मुकाबला करके इस कानून को सदन में गिराने की चेष्टा करें।

श्री अध्यक्ष—(राज्य पक्ष से) कोई और जवाब देंगे ?

(राज्य पक्ष की ओर से मौन)

प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (एमेंडमेंट) बिल, १९५६, को विचारार्थ लिया जाय...Sorry.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंहजी ने रखा है, "कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक, १९५६, को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय" पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—'हां' पक्ष जीता। Ayes have it, Sir,

श्री रामकिशोर व्यास—Noes have it.

श्री अध्यक्ष—Division desired. ?

श्री भैंरूसिंह—Yes, Sir.

(विभाजन-घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ के संबंध में श्री भैंरूसिंहजी ने रखा है उसको पारित किया जाय।

(पुनः मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैंरूसिंह—'हां' पक्ष जीता। Ayes have it, Sir.

Page No.17

श्री अध्यक्ष—काउन्टिंग हो जाय ? Ayes in Ayes loby and Noes in Noes loby.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Should we go to lobbies ?

श्री अध्यक्ष—Yes, the last ballot.

(हंसी)

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—Order please !

जो संशोधन श्री भैंरू सिंहजी ने प्रस्तुत किया उसके समर्थन में २१ वोट आये और उसके विरुद्ध ७८ वोट आये। संशोधन गिर गया।

(हर्ष-ध्वनि)

(विभाजन सूची के लिये कृपया परिशिष्ट देखिये)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव; "दी राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिये जाने के लिए, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने प्रस्तुत किया उसको पास किया जाय।

श्री भैंरू सिंह—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने नहीं किया, बल्कि श्री बृजसुन्दर शर्मा ने किया।

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रस्ताव श्री बृजसुन्दर शर्मा ने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिये जाने के लिए किया, उसको पास किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाय।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष ...

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ २ सदन के समक्ष है। (श्री हरिकृष्ण व्यास की ओर संकेत करते हुए) इस पर आपको बोलना है क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में मेरा एक संशोधन है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप किस विषय पर बोल रहे हैं, यह समझ में नहीं आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब आपकी समझ में आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी हाल ही में आपका अमेंडमेंट आया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो क्लॉज़ २ इस बिल का है...

श्री उपाध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर शर्मा की ओर संकेत करते हुए) आप इसका विरोध करते हैं क्या?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह स्टेज तो गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस अमेंडमेंट का कोई नोटिस नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी है, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आपको एतराज है तो इसको डिसएलाउ कर देता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनने के बाद में एतराज़ होगा। बगैर सुने कैसे एतराज़ होगा?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—आप फौरन ही उठ गये थे बोलने के लिए। यह जान ही नहीं पाये कि किसको एतराज है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर उनको मुझसे एतराज हो तो दूसरी बात है। पहले अमेंडमेंट तो सब को सुनने दीजिए, उसके बाद एतराज की स्टेज आयेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अमेंडमेंट पेश नहीं हो सकता, ऐसी उपाध्यक्षजी की रूलिंग हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट सुना दीजिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में मेरा संशोधन इस प्रकार है ....

Page No.19

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं बोल रहा हूं तो मैं आशा करता हूं कि सदस्य सदन के कानून का पालन करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने रूलिंग दे दी है कि अमेंडमेंट पेश नहीं किया जा सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज कर रहा था कि क्लॉज़ २ में जो प्रपोज्ड सब सेक्शन (४) है, उसमें पहली लाइन में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, "Any sum of money realisable under section 34"; मेरा संशोधन इस प्रकार है, कि 'realisable' शब्द के बजाय शब्द 'realised' लिख दिया जाय। 'रियलाइजेबल' शब्द का तात्पर्य उस सब रकम से है जो काश्तकारों ने दी होगी अथवा न दी होगी। चूंकि धारा ३४ के अन्तर्गत उसे देना चाहिए था अतः वह सब 'रियलाइज्ड' शब्द की परीधि में आता है। जब वित्त मंत्री महोदय बोल रहे थे प्रस्ताव पेश करते हुए तो उन्होंने जोर इस बात पर दिया था कि यदि जागीरदारों ने काश्तकारों से रुपया वसूल भी कर लिया और वास्तव में बहुत से मामलों में रुपया वसूल भी कर लिया है तो वह रुपया राज्य कोष में आवे, ऐसी मन्शा है। काश्तकारों से जो पैसा वसूल हो चुका है और काश्तकारों के पैसे दूसरे आदमी दबा कर बैठे हैं, वह रुपया राज्य की सरकार के पास आ जाना चाहिए। इससे जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह मन्शा पूरी हो जायगी और वैसे स्थिति में कोई नई रकम वसूल करने का सवाल नहीं उठता। उस समय से जो रकम जागीरदारों ने वसूल कर ली है उस रकम को राज्य सरकार को लेने का अधिकार है, अगर नहीं ली है तो वह खत्म हो जाय। पुरानी बात होने के नाते मेरा यह संशोधन है कि इस सब सेक्शन (४) में शब्द 'रियलाइज़ेबल' की जगह शब्द 'रियलाइज्ड' लिख देना चाहिए। 'रियलाइज्ड' शब्द से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायंगी और जैसा मेरे उधर बैठने वाले मित्र ने कहा कि इतनी पुरानी वसूली होने से फिर काश्तकारों को परेशानी होगी, किन्तु इस संशोधन को करने के पश्चात् परेशानी नहीं होगी। जो सरकार की नीयत है और जैसा उन्होंने कहा था उससे इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में एतराज करने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इस संशोधन पर मेरे विचार तो उन्होंने सुने-मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन के जरिये कम से कम काश्तकारों पर जुल्म करने की नीयत को छोड़ कर जो काश्तकारों से पैसा वसूल करके बैठे हैं, उनसे ही वह पैसा लेने की नीयत सरकार रखेगी और मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष, आपकी अनुमति के साथ, इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट के क्लॉज़ ११४ में केवल दो सब क्लॉजेज़ हैं, (१) व (२)। यह जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें लिखा है :

Page No.20

[श्री भैंरूंसिंह]

"After sub-section (3) of section 114"

तो इसका मतलब यह है कि क्लॉज़ ११४ में सब सेक्शन (३) है ही नहीं, इसमें केवल (१) व (२) ही सब सेक्शन्स हैं। ऐसी सूरत में जो यह अमेंडमेंट मूव किया गया है वह गलत है। तो जो गलत है वह सदन में रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, पहली मेरी आपत्ति......

श्री भैंरोंसिंह—आप पहले इस स्पष्टीकरण पर बोलिये कि सब सेक्शन (३) इस क्लॉज़ में है ही नहीं, फिर यह सब क्लॉज़ (४) कैसे एड किया जा रहा है। यह जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन है इसका पहले जवाब दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कौन सा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is no sub-section (3) in the original and you are proposing sub-section (4) and therefore the sub-section (3) does not stand. यह है उनका एतराज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सब सेक्शन (३) है न, इसके बाद सब सेक्शन (४) हो जायगा।

There is sub-section (3) in section 114. He is misguiding the House. Sir-

श्री भैंरूंसिंह—I have got District Boards Act with me and there is no sub-section (3) in section 114.

(मन्त्री महोदय के पास गये और उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट की एक पुस्तिका दिखाई और कहा)

यह क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पुराने एक्ट की कॉपी है साहब।

श्री भैंरूंसिंह—यह गवर्नमेंट प्रेस की महरबानी है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—'रिवाइज्ड' और 'रिवाइज़' का जवाब दे दीजिये ....

Page No.21

[श्री उपाध्यक्ष]

"Realised and Realisable" पर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि जो अमाउन्ट रियलाइज़ेबल होगी वही तो रियलाइज़ की जायगी।

"And the amount which is not realised would be realised."

तो वह तो रियलाइज हो जाता है....

श्री भैरूंसिंह—एक चीज को स्पष्ट कर दें कि काश्तकारों से वसूल नहीं हुआ है, उसको तो वसूल नहीं करेंगे न?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। In this particular case the amount is realised through an agency and therfore from the agency and from the principle any amount not realised will be realised. But in the case the amount is paid to an agency then the amount which was paid to the agency would be realised from the agency. But the State Government is concerned, how is the amount outstanding and not credited to the State Government. Therefore my amendment. Realisad from the person by the agency and if the arrears were not credited to the State Government then such an amount is realisable from the agency. Such a sum is realisable.

न मंजूर करने की इच्छा हो तो वह दूसरी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, वे कन्सल्ट कर लें अपने मित्रों से।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The question is that here the sum is realisable from the grantee who has to pay directly to the District Board and in case the grantee has not realised that amount the responsibility lies with him. So far as the Government is concerned he is responsible and if not realised from the person concerned then it is another matter and therefore the wording is proper and uptodate.

श्री मानसिंह मह्यार—माननीय उपाध्यक्ष,...

(घंटी)

अमेंडमेंट पर तो बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो स्पष्टीकरण है, अमेंडमेंट डिसएलाउ कर दिया।

श्री मानसिंह महार—तो फिर क्लॉज़ का विरोध करने के लिये बोलने दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस क्लॉज़ के विषय में आपत्ति करने का इरादा नहीं रखता था पर दुख की बात है कि···

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस बिल में सिर्फ यही एक क्लॉज़ है और इस बिल को विचारार्थ लिये जाने का डिसीजन हो गया है तो फिर बोलने की गुंजाइश कहां रही? इस क्लॉज़ के विरुद्ध बोलना सारे बिल के विरोध में बोलना है, जो अभी लिये गये डिसीजन के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि इसमें यही एक क्लॉज़ है और इसका विरोध करते हैं तो यह सारे बिल का विरोध है, तो यह अभी लिये गये डिसीजन के खिलाफ है।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय,···

श्री उपाध्यक्ष—I disallow.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १, टाइटिल और प्रिएम्बल विधेयक के अंग बनें।

(मत-दान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, कोई बोला ही नहीं।

Not a single voice for 'हां'।

श्री उपाध्यक्ष—'हां' लेकिन बोले थे।

(स्वीकृत)

Page No.23

[श्री उपाध्यक्ष]

इसलिये क्लॉज़ १, टाइटल व प्रिएम्बल विधेयन में अंगरूप से जोड़े गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न प्रस्तुत हुआ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल के तृतीय वाचन पर मैं इसका विरोध करने को खड़ा हुआ हूं। मैं आज यह आशा करके चलता था उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस कानून के बारे में जिस नियत से यह अमेंन्डमेंन्ट रखा है उसका स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन जिस प्रकार का स्पष्टीकरण वित्त मन्त्री महोदय ने किया है वह तो एक बहुत ही गोलमाल चीज़ है। मैं समझता हूं, थोड़े समय पहले साम्यवादी मित्र ने जो अमेंडमेंट रखा था, उसका स्पष्टीकरण रखा वह हमारी उनसे (वित्त मन्त्री जी से) जो बात-चीत हुई उससे बिलकुल विपरीत था। जैसे गोलमाल वे हैं वैसा ही गोलमाल जवाब दिया, वह तो विचित्र था। लेकिन मैं समझता हूं इस गोलमाल से एक तबके को बड़ा भारी नुकसान पहुँचाने वाला है।

अगर सरकार की यह नीति होती कि किसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सेस जागीरदारों ने काश्तकारों से वसूल की उसको लेने की बात होती तो वाजिब थी। अगर, जिन्होंने वसूल करके सरकार में जमा नहीं कराई थी तो उन पर दंड, जुर्माने की बात इसमें रखी जाती तो मैं सहर्ष उस बात को स्वीकार करता और मैं मन्त्री जी को बधाई देता कि किसी आदमी ने कोई सरकारी रकम लेकर सरकार में जमा नहीं कराई है तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन अभी जब मैंने वित्त मन्त्रीजी का जवाब सुना तो मैं वास्तव में क्षुब्ध रह गया और मैं आशा करूंगा कि इस सदन के सभी सदस्य न्याय के नाते इस बात की ओर गौर करेंगे। हमारे वित्त मन्त्रीजी ने फरमाया माननीय उपाध्यक्ष, कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस, जागीरदारों ने, जिनको ये थर्ड पार्टी बताते हैं, वे जागीरदार हैं जिन्होंने उसे रियलाइज नहीं किया है, उनके लिये यह कहा जाता है कि यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उसे रियलाइज़ करते और अगर उन्होंने वसूल नहीं किया है तो उनको दंड भुगतना चाहिये। अगर आज जागीरदारी भरपूर होतो, कायम होती तो उस सूरत में हम इस बात को मान सकते थे कि उन लोगों से इस प्रकार का दंड वसूल किया जाए। मगर आज जागीरदारी कायम नहीं, जागीरदारी जैसी कोई चीज नहीं, तो यह नहीं होते हुए भी हमारे वित्त मन्त्री यह चाहते हैं कि वे जागीरदार जिनकी जागीरें ले ली गई हैं, जिनको बिल्कुल निराधार बना दिया, जिनके खुद-काश्त का कोई इन्तजाम नहीं किया, वे जागीरदार जिनके लिये आज भी इस सरकार के दिल में द्वेष की भावना भरी है, बदला लेने की भावना भरी है, मैं फिर भी यह कहूंगा कि यह

[श्री मानसिंह महार]

सरकार राजपूत विरोधी सरकार है जो इस प्रकार के कानून बनाती है। ऐसी सरकार कभी भी न्यायपूर्ण सरकार नहीं कही जा सकती है। ऐसी सरकार जो काले कानून बनाती है, ऐसी सरकार जो किसी वर्ग विशेष से बदला लेने के लिये और कुचलने के लिये इस प्रकार के कानून बनाती है वह न्यायपूर्ण सरकार नहीं कही जा सकती। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हम जागीरदार लोग इस जमाने में सारे मिल कर, जिस प्रकार की द्वेष की भावना मौजूदा सरकार रखती है राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ रखते तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उधर इन ट्रेजरी बेंचों में बैठने वालों में से एक-दो व्यक्ति ही आपको मौजूद मिलते। मगर हम लोगों ने कांग्रेस का सहयोग दिया, हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की। मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् १९४२ में जब मैं इन्दौर में था उस समय जब आन्दोलन हुआ उस समय कांग्रेस का हमने साथ दिया था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आज हम यह देखते हैं कि यहां पर तो कांग्रेस सरकार नहीं जाटों की सरकार है। मैं इस सरकार को इसके अलावा किसी और की सरकार नहीं मानता।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं बिलकुल अप टू दी पोइन्ट बोल रहा हूं। मैं इस थर्ड रीडिंग पर सरकार के कान खोलना चाहता हूं। यह जाटों को सरकार है और जागीरदारों के बिल्कुल खिलाफ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस वक्त तक चुप था। लेकिन मैं अब आप का ध्यान रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम १३२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है।

"When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed,"

It is only when an amendment is made, he is entitled to speak, otherwise not.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर जब विचित्र बातें कही जाती हैं तब खरे-खोटे शब्द कहने पड़ते हैं। अब दो दिन और सदन में बैठेंगे और दो दिन तक इस प्रकार से चुनौती लूंगा। बाहर इलेक्शन हो तब मुकाबला कर लें। माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मुकाबले में मेरी ही पार्टी का मित्र था इसलिये ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सका।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सरकार जिसमें ब्राह्मणों का डेलीगेशन है, मगर

[श्री मानसिंह महार]

वास्तव में सरकार जाटों की है। जो यह देखना चाहते हैं और कहते हैं कि यह जाटों की सरकार नहीं है......

(घंटी)

आज भी सरकार जाटों के इशारे पर नाच रही है और राजपूतों का गला घोंटना चाहती है। इसके अन्दर जो बातें कही गई थीं वे दुशाले में लपेट कर कही गई थीं, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बात अब स्पष्ट हो गई है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह बात साफ कर दी है कि जो एरियर अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ उसको हम इस प्रकार से रियलाइज़ करेंगे। यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि वहां पर किसका रिप्रेज़ेन्टेशन है, इस बात को हमें देखना है। कहा तो यह जाता है, "No taxation without representation", किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जयपुर और गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दुर्दशा तो किसी से छिपी नहीं है और इसके बारे में तो मैं जिक्र करना बेकार समझता हूँ। मगर जयपुर में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस वसूल हुए उसमें से लाखों रुपयों का गबन हुआ था। वह गबन साबित हो गया। उसके पैसों से लाखों रुपयों की लागत का यहां पर सी स्कीम में बंगला खड़ा कर दिया गया। लाखों रुपयों के बंगले हमारे पैसों से खड़े हो जाते हैं। खुले आम खड़े हो जाते हैं।

(घंटी)

और आज जब उसकी जांच की जाती है तो उसको दफना दिया जाता है। उस आदमी को जिसने जनता के रुपये की चोरी की है, जो चोर है, मैं उसे चोर नहीं डाकू कहूंगा, उसने डाकू से भी अधिक नीचता का काम किया है। उसको आज जेल के सींखचों में बन्द नहीं किया जाता है और हमको मजबूर किया जाता है इस प्रकार के कानून लाकर कि सन् १९४५ की बकाया, १० साल पहले की जो बकाया रकम है उसको जागीरदारों से वसूल की जाय। उन लोगों के लिये कुछ नहीं जो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस वसूल करके खा गये। सरकार ने रुपये सैस के वसूल करके ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिये जो जनता का पैसा खा गया और रुपये में से चार आने जनता के लिये खर्च किये और १२ आने अपनी जेब में रखे। यह कहां का न्याय है? मैं इस सम्बन्ध में अपने उधर बैठने वाले मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि श्री लुडाडिया के खिलाफ जो मुकदमा चालान हुआ, जो लगाया गया उसमें आपकी सरकार ने क्या किया? यदि इस प्रकार का काम किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति करता या मानसिंह महार कर लेता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज वह सेन्ट्रल जेल, घाट दरवाजे में होता। लेकिन वे कांग्रेस के हैं और पार्लियामेंट में अभी शायद रिप्रेज़ेन्टेशन भी वही तैयार कर रहे हैं इसलिये सभी मौन बैठे हैं। चुनाव सम्पन्न हो गये। लाखों रुपयों का गबन हुआ और लोग खा गये। ये लोग जो भंवरसिंह और कल्याणसिंह डाकू हैं उनसे भी गये बीते हैं। आप लोग जो इन डाकुओं से चुनावों में मदद

[श्री मानसिंह महार]

लेते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिये। ये लोग उन लोगों से गये बीते हैं जो दूसरे डाकुओं से मदद लेते हैं।

(घंटी)

उन लोगों से कौन ज्यादा नीच होगा जो इस प्रकार के नीच और कमीने डाकुओं से मदद लेते हैं। जो लोग मदद लेते हैं उनके लिये बहुत शर्म की बात है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट कहें!

श्री मानसिंह महार—मैं रिलेवेन्ट ही कह रहा हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं यह निवेदन करूंगा...

श्री मानसिंह महार—I am in possession of the House. मैं ऐसे आदमियों से कुछ भी सुनना नहीं चाहता जिनको कांग्रेस ने भी बेइमान करार दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Dy. Speaker, Sir....

श्री मानसिंह महार—I am in possession of the House, Sir.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I take strong objection to it, Sir.

श्री अध्यक्ष—I would request the Hon'ble member to withdraw those words.

श्री मानसिंह महार—I would request the Dy. Speaker to ask the Hon'ble Member to sit down when I am in possession of the House. I withdraw my words. But the Hon'ble member may be asked not to interruptme.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—He should not regard this House as Manak Chowk. There is dignity of the House and it should be maintained.

श्री मानसिंह महार—मैं यह समझता हूं कि मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के बारे में......

श्री उपाध्यक्ष—Balance maintain किया जाय।

Page No.27

श्री मानसिंह महार—मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बोलता हूं । मैं मानता हूं कि मैंने इनकी इज्जत ही बढ़ाई है वे तो बड़े योग्य आदमी है······

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—पर्सनल डिस्कशन नहीं ......

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, वे चिढ़ गये थे इसलिए उनको खुश करने के लिये कहा है। जाते जाते क्यों किसी को नाराज करें। वे तो मेरे मित्र हैं। लेकिन जरा कलेजे पर हाथ रख कर देखें तो उनको मालूम होगा कि यह कानून काला कानून है। उन्होंने तो इसको रखा ही नहीं फिर न मालूम वे क्यों नाराज हो गये ? यह झगड़ा तो मंत्रियों सम्बन्धित मंत्री से करते तो बैटर होता । लेकिन वह तो अपने आप पहले ही आ फंसे। मैं तो उनको और भी ऊंचा देखना चाहता हूँ। उनको पार्लियामेंट में प्रमोशन मिल जाता तो अच्छा होता ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन्होंने जो जवाब दिया उसने मुझे असमंजस में डाल दिया। इस जवाब को मैं ऐसा मानता हूं कि शायद यहां पर मंत्री महोदय ने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री की बिना राय के ही जवाब दे दिया। अब भी मैं उनका यह निजी जवाब मानता हूँ। अगर यह सरकार उन लोगों की है कि जो कुर्सियों पर बैठे हैं तो मैं इसको बहुत ही अन्यायपूर्ण बात मानता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि दस वर्ष की बकाया रकम आप वसूल कीजिये लेकिन जो भी पैसा दिया गया उसका किस प्रकार से अब तक सदुपयोग हुआ ? जो पैसा आज तक दिया गया उसकी जांच करा लीजिए। अगर जांच में साबित हो गया कि उसका दुरुपयोग हुआ है और लोगों के बंगले और कोठियां बन गई हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम लोगों के साथ में इस प्रकार का जुल्म क्यों किया जाता है ?

आज कहा जाता है कि जो रकम अब तक वसूल नहीं की गई उसके लिए जागीरदार ही जिम्मेदार हैं और उन्हें ही उसको वसूल करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यह सरासर हम जागीरदारों के साथ अन्याय है। काश्तकारों को लगान दिये पांच सात वर्ष हो गए हैं फिर भी आप यह कहते हैं कि उनसे पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी जागीरदारों की ही थी। तो फिर मैं यह कहे बिना नहीं रहूँगा कि आप निपुन्सक हैं। अगर आप में ताकत है तो आप ही वसूल कर लीजिए। अगर इस प्रकार की अन्यायपूर्ण रकम वसूल की जायगी तो मैं आपको ठीक कहता हूं कि आपको गांवों में कोई नहीं घुसने देगा, आपको कतई गांव में नहीं घुसने दिया जायेगा, आपका वहां पर ठोकरों से स्वागत किया जायगा। राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि उसकी पचास फी सदी जनता ने वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया है चाहे वह किसी जरिये से भी किया

[श्री मानसिंह महार]

हो, चाहे चुनावों द्वारा ही अविश्वास प्रकट किया हो। हम भी यह चाहते हैं कि ऐसे अन्यायपूर्ण कानून बनाने वाली सरकार कभी नहीं आनी चाहिए।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह बहुत खास बात है। आपके तो कानून बना देने मे कुछ नहीं होता, दूसरे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कानून पास कर देना कोई बात नहीं होती है लेकिन देखना चाहिए कि जिसके खिलाफ इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कदम उठाया जा रहा है वह वास्तव में इस स्थिति में भी है कि नहीं कि जो चीज उसमे मांगी जा रही है वह उसे देने के काबिल है। आपने कहा कि आप लोगों को जो कम्पेन्सेशन दिया जावेगा उसमें से सरकार को टैक्स दीजिए और अगर यह कानून पास हो जाता है तो उस कम्पेन्सेशन का आधे से अधिक पैसा तो इसी में खर्च हो जायगा। इसकी वसूली के अन्दर लोगों के कुड़की जायगी और वह रकम जो कि कम्पेन्सेशन की है वह वहीं की वहीं रुक जायगी। यह सरकार का सचमुच ढकोसला है। जागीरदारों ने जिस शान्ति पूर्ण तरीके से इस प्रकार की बात की है कि देश को सबल बनाया है उस शान्ति को अब खत्म करने की बात है। यह एक ऐसा खतरनाक कानून है जिसके बनने से राजपूतों को फिर से मजबूर किया जायगा कि फिर से सत्याग्रह करें। मैं आपसे सच कहता हूं कि यह सत्याग्रह अवश्य होगा और फिर आप उसका नतीजा भी देख लेना। मैं आपके कान खोलना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है कि दस वर्ष की बकाया रकम अब आप वसूल करना चाहते हैं? आपकी रकम जब काश्तकारों पर बकाया होती है तो उसकी आपको चिन्ता नहीं है और जब कोई रकम जागीरदारों पर है तो आपको उसकी इतनी चिन्ता है? आप जागीरदारों वाली बकाया रकम पर चींची-मीमी करते है। हम नहीं चाहते कि अन्यायपूर्ण तरीकों से एक आना रुपया वसूल किया जाय और वह काश्तकारों की जेब से निकाल कर ऐसी सरकार को दे जिसके लिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि अगर यह सरकार इस कानून को पास करती है तो यह सरकार, सरकार कहलाने लायक सरकार नहीं है। मैं इससे अधिक अध्यक्ष महोदय, और क्या कहूं? अब तो नई विधान सभा एक महीने में हो आ जायेगी इस कारण मैं चाहता हूं कि इसको अभी क्यों पास किया जाय? इस कानून को एक महीने के लिए सरका दिया जाय। नई विधान सभा में नये सदस्य आयेंगे तभी इसे लिया जाय। मुझे आशा है कि उस नई विधान सभा में इस प्रकार के अन्यायपूर्ण तरीके नहीं होंगे। नई जो विधान सभा आएगी उसके अन्दर ऐसे आंख मीचकर काम करने वाले नहीं आयेंगे, ऐसे अप्रजातांत्रिक तरीकों के पोषक नहीं आवेंगे। एक वर्ग विशेष की इकोनोमिक स्थिति को तबाह कर दिया जाय, इस नीति से काम करने वाले उस विधान सभा में आयेंगे, ऐसी बात मैं नहीं मानता। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय भी अब पधार गये हैं। जागीरदारों को पुरानी बकाया रकम दस वर्ष की नहीं दो वह भी वसूल करना चाहते हैं। आज के युग के अन्दर एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम तो न्याय के पलड़े तौलते हैं और दूसरी तरफ इस

[श्री मानसिंह महार]

प्रकार की अन्यायपूर्ण बात आप चाहते हैं कि दस वर्ष पुरानी रकम जो कि बकाया है वह भी हम लोगों से वसूल की जाय, जब कि हमारे पास जागीर नहीं है, हमारे पास हमारे राज्य नहीं हैं। आप यह चाहते हैं कि हमारे घरों में जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने को बच गया है, हमारे पास जो रहने के लिए मकान रह गया है उसको भी आप नीलाम करा दें। अगर इस सूरत से यह बात माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कही है तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे मुख्य मन्त्री या उनकी सरकार की क्या पोलिसी है? जो एक्सप्लेनेशन वित्त मन्त्री ने दिया है, उसके बारे में तो मैं यह कहूंगा कि यह कानून राजपूतों को तबाह करने के लिए पास किया जा रहा है। मैं तो साफ कहूंगा कि यह राजपूत कौम पर एक प्रकार से कलंक है। मैं इस कौम की तरफ से आपको प्रार्थना करूंगा कि इसको बरबाद न किया जाय। आज यहां पर जो हिन्दू धर्म कायम है उसको एक मात्र बचाने वाले ये राजपूत ही है, अगर हम नहीं होते तो आज यह हिन्दू धर्म और संस्कृति भी की नष्ट हो जाती। अगर आज राजपूत नहीं होते तो पाकिस्तान आपको दिल्ली के नजदीक मिलता, लेकिन हमने इस काम में बहुत सहयोग दिया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर गहराई से विचार करें कि गरीब जागीरदार जिनके पास खाने को नहीं है वह इतना एरियर कहां से देगा? मैं कहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। वह न्यायसंगत बात है कि सरकार रकम को वसूल करके बैंच में रखना चाहती है, अगर वह ऐसा करती है तो वह गुनाह करती है। मैं कहता हूं कि जो दोषी हों उनको जेल में बन्द करिये और अपने न्याय का नमूना पेश करिये। तो इस प्रकार की जो बात है उसको मैं बहुत ही अन्यायपूर्ण मानता हूं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से, जो बहुत अधिक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उम्मीद करता हूं कि वे इस पर ठंडे दिमाग से सोचें। वे इस बिल को कल के लिये स्थगित कर दें ताकि आपस में बैठकर कुछ ऐसा संशोधन ला सकें जिससे सब को सहूलियत हो, ताकि जो यह अन्यायपूर्ण कानून बन रहा है और जिसके द्वारा राजपूत कौम को बरबाद करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, यह हमारे न्यायप्रिय मुख्य मन्त्री जी के मुख्य मंत्रित्व काल पर एक कलंक होगा। यह हमारी उनसे आखरी अपील है। मैं सदन के सभी मित्रों से अपील करूंगा कि इस बिल को एक दिन के लिये स्थगित कर दें ताकि आप और हम सब मिल कर इस पर विचार कर सकें। आप यदि हम से सलाह लेना नहीं चाहते तो हमारे भाई जो आपकी तरफ बैठे हुए हैं उन्हीं से ही पूछ लें और वाजिब बात लाकर रखें। भावावेष में आकर जो एक कौम को बरबाद करने के लिए कानून रखा गया है उस पर जोर मत दीजिये।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के तृतीय वाचन पर बोलते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

Page No.30

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इस बिल को लेकर जो वाद–विवाद खड़ा हुआ है और जो यह ख्याल बन रहा है कि किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष को कुचलने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है तो दरअसल यह इस कानून का उद्देश्य नहीं है। फिर भी इस चीज को दूसरा पक्ष अच्छी तरह समझ सके, किसी को भावावेष में बोलने की आवश्यकता न हो, आपस में बैठकर हम विचार–विमर्श कर लें इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। कल फिर इसको विचारार्थ ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस बिल को कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक कल तक के लिए स्थगित हुआ।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर वाद-विवाद

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैंरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (अमेंडमेंट) बिल, १९५७ जो वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है और जो विचारार्थ लिया जाय यह प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के लिये यह कोई नई चीज नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के समय को बढ़ाने के लिये हम सदन में कोई नई बात प्रस्तुत की जाय। जिस समय सन् १९५४ में यह कानून बन रहा था उस समय भी सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि जितने भी मनोनीत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिये जाय और उनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन करवाये जायं। लेकिन इन सारी शिकायतों के बावजूद, जो उस समय माननीय सदस्यों ने की उस पर स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि १५ जुलाई, १९५५ तक इन सारे नोमीनेटेड बोर्ड्स को इलेक्टेड बोर्ड्स में परिवर्तित कर दिया जायगा। लेकिन जब १५ जुलाई, १९५५ आयी उस समय राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स इश्यू किया और उस ऑर्डिनेन्स द्वारा छः महीने के अन्दर अन्दर चुनाव

[श्री भैंरूसिंह]

कराये जाने की व्यवस्था थी। उसके बाद उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई कि छः महीने के स्थान पर १२ महीने कर दिये जायं। उस समय भी माननीय सदस्यों ने इस बात की अपील की थी कि जब सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि छः महीने के अन्दर अन्दर सारे जिला बोर्डों के चुनाव करा दिये जायेंगे, फिर उस अवधि में वृद्धि कराने की क्यों आवश्यकता पेश आयी ? उस समय माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि चूंकि पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये हैं और पंचों के चुनाव होने पर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हो सकते हैं, जब यह दलील दी गई थी तो हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया कि जो आश्वासन दिया गया था कि छः महिने में चुनाव सम्पन्न हो जावेंगे। उस समय भी विरोधी दल के सदस्यों की ओर से इस बात की शंका जाहिर की गई थी कि जिला बोर्ड्स के चुनाव इस कारण नहीं कराये जा रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये। बल्कि वास्तविक स्थिति यह थी कि उदयपुर डिवीजन के काश्तकारों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया था। उस संगठन ने यह मांग की थी कि यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हमारे यहां कायम किये गये और सैस के रूप में एक आना रुपया हमसे वसूल किया गया तो हम कांग्रेसी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सैस के नाम पर टैक्स देने को तैयार नहीं। उस समय नेताओं ने यह आश्वासन उन किसानों को दिया था कि हम आपके यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सैस लागू नहीं करेंगे, उस समय उदयपुर डिवीजन के आये हुए सभी माननीय सदस्यों ने उन काश्तकारों को आश्वासन दिया था कि हम यहां पर सैस लागू नहीं होने देंगे। उसी मित्रता के नाते, उसी आश्वासन और सहयोग के नाते हमेशा से इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है कि उदयपुर जिले में जिला बोर्ड्स की आवश्यकता नहीं। इसलिये वहां जिला बोर्ड्स की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय। जब हमारे सत्तारूढ़ दल ने देखा कि उदयपुर का काश्तकार जिला बोर्ड के खिलाफ है तो उसने सब जगह के चुनाव स्थगित करा दिये। जिस समय छः महीने की अवधि को वृद्धि के लिये मांग को गई थी उस समय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कि एक भी पंचायत ऐसी नहीं थी जहां के चुनाव न हुए हों लेकिन फिर भी उस छः महीने की अवधि को बढ़ा कर सदन ने १२ महीने कर दी। वे बारह महीने भी समाप्त होने लगे, फिर भी जिला बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो पाये। उस समय जिला बोर्ड्स में वोट देने वालों की सूची तैयार होने लगी, नामांकन की तारीख भी तय हो गई, नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी भी हो गई। चुनाव की तारीख निश्चित होकर यह भी तय हो गया कि फलां फलां जगह वोट पड़ेंगे, स्थान भी नियत हो गये, अमुक स्थान पर चुनाव होंगे। इतना होने पर भी एक नयी दिक्कत सामने लायी गई, एक बहाना बनाया गया कि वर्षा ऋतु होने के कारण चुनाव नहीं हो सकते, कोटा डिवीजन के अन्दर ऐसे स्थान हैं कि जहां नदी-नालों का डर है इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो सकते। इस पर भी कई विरोधी दल के सदस्यों ने यह आशंका जाहिर की कि आप कोटा डिवीजन में चुनाव नहीं करायें किन्तु राजस्थान में ऐसे इलाके भी हैं जहां बरसात की कमी रहती है, जो रेतीले स्थान हैं वहां चुनाव करा दें, लेकिन उन स्थानों पर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं कराये गये। जहां बरसात की किसी प्रकार अड़चन नहीं थी ऐसे बीकानेर डिवीजन में भी चुनाव नहीं कराये गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बीकानेर में तो हो गये हैं।

श्री भैंरूं सिंह—(जारी रखते हुए) मैं यह निवेदन कर रहा था कि बरसात का तो केवल बहाना बनाया गया, लेकिन सवाल केवल सामने तो एक था कि उदयपुर डिवीजन के लोग नहीं चाहते थे कि उनके यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम किये जायं। वहां के काश्तकारों ने साफ कह दिया था अगर हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के टैक्स लागू कर दिये तो हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इतना होते हुए भी जयपुर में सन् ४४ से आज तक नोमीनेटेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हैं, जो हमेशा ज्यादती करता आ रहा है किन्तु उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता आप महसूस नहीं करते। आज हमारे यहां १९५७ के आम चुनाव हो गये लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो पाये। उदयपुर डिवीजन के लोगों को अपनी ओर एट्रेक्ट करने के लिये उनके वोट हासिल करने के लिये उनको यहां के नेताओं ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यहां अनावश्यक है, इसका हम विरोध करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो टेक्स लेता है वह एक प्रकार से जनता पर भार है और इस बुराई को दूर करने की हम चेष्टा करेंगे। इलेक्शन के दिनों में इस प्रकार के भाषण देना और इस भावना से कानून बनाना न्याय और नैतिक दृष्टि से भी देखा जावे और दूसरी सभी बातों की दृष्टि से भी देखा जावे तो न तो यह राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिये अच्छा है, न सरकार के लिये अच्छा है और न सरकार के जिम्मेदार व्यक्तियों के लिये अच्छा हैं। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि किसी सरकारी अधिकारी को इस प्रकार के आदेश दे दिये जावें कि एक महीने में ये चुनाव [सम्पन्न हो जाने चाहिये तो मैं समझता हूँ कि सरकार में आई. सी. एस., आई ए.एस., आर. ए.एस. आदि कई योग्य अफसर हैं, इनमें से किसी एक उच्चाधिकारी को नियुक्त कर दिया जावे और यह कह दिया जावे कि एक महीने में या जल्दी से जल्दी ये चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिये तो यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई मन्त्री भले ही अयोग्य हो तो वह अयोग्य सिद्ध हो सकता है पर सरकारी अधिकारी अयोग्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। पर यहां सरकारी अधिकारी की योग्यता अयोग्यता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि वोट देने वाले किस तरह से राजी होते हैं, उनको कैसे मुगालता दिया जा सकता है। आज और डिविजनों की बात जाने दीजिये। अपने उदयपुर डिविजन के बारे में अगर यह आप दावा करते है कि वहां के लोग इसे चाहते है तो आप चलिये वहां अपने ही क्षेत्र में मेरे साथ। उनके खुद के निर्वाचन क्षेत्र में वे चलें और किसानों में जाकर वे दावा करें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आवश्यक है, उसकी स्थापना आवश्यक है और उसके द्वारा टैक्स वसूली आवश्यक है तो इस प्रश्न पर वे चुप्पी लगा जाते हैं, वे मेरा यह चैलेन्ज स्वीकार नहीं कर सकते। इस मामले पर उनकी आवाज बुलन्द नहीं होती। यह दावा नहीं कर सकते वे। पर चूंकि विधान सभा में उनका बहुमत हो गया है और सरकार को पैसे की आवश्यकता महसूस होती है और इसलिये वे इस आड़ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाते हैं अपनी मेजोरिटी के बल पर। यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून के बनने के अवसर पर इस बात का भी जिक्र आया था कि इसकी आवश्यकता भी है कि नहीं। जो सरकार ६ महीनों में इसके चुनाव कराने वाली थी, इन ६ महीनों के बीतने पर १ वर्ष में कराने की बात कही, वह भी पूरी नहीं पड़ा, डेढ़ वर्ष में कराने वाली थी, इसके बाद

[श्री भैरूंसिंह]

दो वर्ष की अवधि ली और उस दो वर्ष के बाद तीन वर्ष की अवधि लेने वाली यह सह सरकार आज तक भी उसके चुनाव नहीं करा पाई है। तो इससे स्वतः यह सिद्ध है कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक होते तो जिस तरह पंचायतों के चुनाव हुए, तहसील पंचायतों के हुए वैसे ये भी हो जाते। पर जो आवश्यक चीज थी वह तो पूरी हो गई पर जो आवश्यक थी वह आज तक पूरी नहीं हुई ! यह स्वतः सिद्ध है। हमने यह भी मांग की थी, एक कमीशन ने रिपोर्ट भी पेश की थी और उसमें भी इसका जिक्र आया था कि तहसील पंचायतों के हो जाने से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जरूरत नहीं। सारे विकास कार्य इन तहसील पंचायतों के जरिये भी पूरे किये जा सकते हैं। इस कानून के बनते वक्त उस रिपोर्ट का जिक्र भी किया गया था, उसके एक्स्ट्रैक्ट भी पेश किये गये। ये इस पर सरकार ने इन बातों को सोचा भी था और कहा भी गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। लेकिन वह विचार, मैं समझता हूँ, कि उस समय केवल मुगालता सूचक था। विचार करने का जो कमिटमेन्ट सरकार ने उस समय किया था वह मुगालते में रखने वाला था। लेकिन आज वह कमिटमेन्ट, इलेक्शन के कुछ दिनों बाद भी जब कि नतीजे निकल रहे हैं, वोट डाल दिये गये हैं, पांच वर्ष की अवधि और सामने आ गई है, पांच वर्ष तक जनता का अब उन्हें डर नहीं है। इस डर से बचकर अब जनता को धोखा देने की नीयत से कानून बनाने की चेष्टा करते हैं, कहते हैं कि तीन वर्ष की अवधि में चुनाव करेंगे। मैं कहता हूँ कि सरकार को चाहिये कि अवधि लेने से पहले, पहले वह एक स्टेटमेन्ट इस सदन में प्रस्तुत करे और सदन को यह विश्वास दिलावे कि वे कौन कौन सी आपत्तियां, अड़चनें, कानूनी रुकावटें या प्रशासनिक दिक्कतें जो सरकार के सामने थीं या अन्य कोई दिक्कतें थीं कि जिनके कारण से सरकार तीन वर्षों की अवधि में भी चुनाव नहीं करा सकी, पर इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। कई जगह पंचों के चुनाव हो गये, कई जगह नहीं हुए, कई जगह पंचायतों की मियाद ही खतम हो गई, वोटरों में झगड़ा होने की नौबत आ गई। एक का तीन वर्ष पहले चुनाव हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। एक की तीन वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है, फिर चुनाव होंगे। तो यह गड़बड़ी तो इसी तरह चलती रहेगी। इसका बहाना लेकर कई डिविजनों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव टालते रहे। पर राजस्थान के एक हिस्से में भूतपूर्व जयपुर रियासत में पांच डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन् ४७ से चालू हैं उनके टैक्स ४७ से वसूल होते रहे हैं और होते रहेंगे। यहां पहले की बकाया वसूल करने की कोशिश तक की जावे और दूसरे हिस्से में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम पर पैसा वसूल करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो इससे या तो यह समझा जाना चाहिये कि जो अपने को जयपुर का प्रतिनिधि बताते हैं वे निष्क्रिय हैं, कुछ करते नहीं, इस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की संकीर्णता की बात मैं नहीं सोचता, न इसमें विश्वास ही करता हूँ कि जयपुर के प्रतिनिधि केवल जयपुर की ही बात करें और मैं तो यह भी उचित नहीं समझता कि राजस्थान के प्रतिनिधि के सामने केवल राजस्थान के हित का ही दृष्टिकोण रहे, उसे तो सारे देश के हित की दृष्टि से सोचना चाहिये, मैं इसमें विश्वास रखने वाला हूँ। पर यह महसूस करता हूँ कि उदयपुर डिविजन के लोग, दूसरे डिविजन के लोग इस प्रकार की संकुचित बातों में फंसे हैं जब उनके यहां के काश्तकार इन्कार कर दें तो वे भी इन्कार कर दें और जयपुर के लोग

[श्री भैरूंसिंह]

ही शान्ति से बरदाश्त करते रहें और वे ही सोचते रहें कि हमें किसी प्रकार सत्ता से चिपके रहना है, कुर्सी से चिपके रहना है, पदासीन बने रहें यह सोचकर अन्याय को सहन करते रहें, उसको सहते रहें तो यह उनकी बुद्धि को तो एक प्रकार की चुनौती है पर जयपुर के लोगों के साथ एक प्रकार का अन्याय भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन सब बातों के बावजूद अगर ठीक तरह से काम करते होते तब भी सब्र था, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, न इसका विरोध ही करता; हालांकि जब तक किसी भी संस्था का चुनाव न हो और वह मनोनीत होकर काम करे, यह एक प्रजातन्त्र को खुली चुनौती है; पर उसे भी मन्जूर करते हुए तसल्ली होती अगर उनका काम अच्छा होता तो।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—Be brief please.

श्री भैरूंसिंह (१६)—(जारी) ब्रीफ ही तो हूं साहब, मैं तो उदयपुर की पैरवी कर रहा हूं। (हंसी) तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि वे काम भी अगर अच्छा करते होते तो सब्र था। पर उनके काम कैसे हैं इसका एक नमूना भी मैं सदन में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं। आज मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नमूना ही केवल प्रस्तुत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी इसे अच्छी तरह से जानते हैं, शायद मन्त्री महोदय भी जानते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सीकर के चेयरमेन हैं, सरकार के एक नोमिनेटेड साहब। उन साहब के बारे में निवेदन करूं। आज से कोई करीब तीन माह पूर्व वे एक स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुआयना करने गये थे, माल का इन्तजाम देखने गये थे। यह मैं प्रत्यक्ष बात कहता हूं, सरकारी रिकॉर्डों में यह दर्ज है, उच्चाधिकारियों के नोटिस में भी ये बातें आई हुई हैं, किसी से कोई छिपी हुई बात नहीं है। वे कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता गिने जाते हैं। उनके भाई ने चुनाव लड़ा है। वे शराब पीकर स्टेशन पर पहुँचते हैं और इसके बाद में शराब के नशे में पहले अपनी टोपी उतार कर फेंकते हैं, फिर कमीज उतार कर फेंकते हैं और बकते-झकते हैं और अन्त में टोपी और कमीज फेंकने पर धोती भी उतार कर फेंक देते हैं। ये सब कपड़े फेंकने के बाद बिलकुल नंगी अवस्था में लोगों को धमकियां देते हुए पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हैं। आज इस प्रकार के चरित्र के लोग नोमिनेटेड चेयरमेन हैं सरकार की तरफ से। आज ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार की ओर से नोमिनेटेड कांग्रेस के नेता चेयरमेन हैं और ये जनता के इस सारे पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। ये चीजें प्रजातान्त्रिक भावना को एक गम्भीर चुनौती है। आज आपका यह नैतिक चरित्र है। आप ऐसे लोगों को मनोनीत करते हैं

[श्री भैरूंसिंह]

चेयरमेन, जो जनता के पैसे की व्यवस्था नहीं करते बल्कि उसका घोर दुरुपयोग करते हैं, उड़ाते हैं, आप इन लोगों को हटाने की व्यवस्था नहीं करते, और ऐसे लोगों को मनोनीत रहने देना चाहते हैं, ये तीनों चीजें जनता बर्दाश्त करती है तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज आप बहुमत के बल पर, जो सत्ता आपको मिली है उसका दुरुपयोग करते हैं। चेयरमेन वे ही रहेंगे फिर वे कितने भी बुरे कर्म करें। उन्होंने सेविंग सर्टीफिकेट खरीदे अपनी औरत के नाम पर और पैसा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। यही हाल झुंझुनू का है। मालपुरा म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन वही व्यक्ति हैं जो टौंक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन हैं। दोनों जगह पर एक ही आदमी मनोनीत हैं। कानून यह कहता है कि बाहर गांव में रहने वाला व्यक्ति म्युनिसिपेलिटी का चेयरमेन नहीं हो सकता और म्युनिसिपल एरिया में रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमेन नहीं हो सकता। पर वे एक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता हैं, असर रखने वाले हैं, उनके भाई हैं। वे दोनों जगह चेयरमेन हैं। इस प्रकार का अन्याय है जो हम देख रहे हैं। अगर सरकार इन्हें दोनों जगह रखना चाहती है तो वह इस सदन में कानून प्रस्तुत करे, वर्ना समाप्त कर दे ऐसे मौजूदा बोर्डों को। नोमिनेटेड व्यक्तियों के ये चरित्र हैं। इनके द्वारा बोर्डों का धन का दुरुपयोग होता है और होगा इस बात की तसल्ली रक्खें। जब तक इस चरित्र के व्यक्ति रहेंगे यह दुरुपयोग रोका नहीं जा सकता। पर आज भी इसको रोकने का प्रश्न नहीं। इसलिये कि चुनाव सामने था। वे इनके मार्फत अध्यापकों पर दबाव डालने वाले थे, वैद्यों पर दबाव आने वाला था। जितने मातहत कर्मचारी थे उन पर दबाव डाला गया। कइयों की नई नियुक्तियां हुईं, कइयों का स्थानान्तरण किया गया इस आदेश के बावजूद कि सरकार के अधिकारियों या कर्मचारियों का चुनाव के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण नहीं होगा। पर जिला बोर्डों के चेयरमेन कहते हैं कि यह आदेश तो सरकारी अधिकारियों के लिये है, हमारे लिये नहीं है। तो इस तरह से यदि सीकर जिला बोर्ड का नक्शा देखें, वहां के मनोनीत सदस्यों का चरित्र देखें, जो जनता के सामने शराब पीकर और नंगा होकर खड़ा हो जाय, तो हालत बड़ी शर्मनाक मालूम होगी। उनकी ६ महीने की अवधि भी समाप्त हो गई पर इसकी भी कोई परवाह नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हुई।

तो मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार के जो नोमिनेटेड बोर्ड्स हैं वे आज जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि धन का, जनता की गाढ़ी और परिश्रम से कमाये हुए धन का दुरुपयोग करते हैं। वैसी हालत में चाहिये तो यह था कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को समाप्त किया जाता। सवाल यह आया कि उनकी अवधि बढ़ाई जाय। जो मरने वाला है उसको जिन्दा किया जाय। जो मरने वाला है उसको ऐसी औषधि दी जाय कि जो फिर से जिन्दा हो जाय। पुराना दृष्टिकोण लागू करना चाहते हैं। इसमें कानूनी दृष्टि ऐसी आनी चाहिये थी जिससे जो आज अनैतिक व्यक्ति जनता के नेता बने हैं वे इस प्रकार से न बन सकते, उनका दूर किनारा होना चाहिये था, जनता के इस प्रकार से अनैतिक व्यक्ति प्रतिनिधि बने बैठे हैं उनके हाथों में जनता के पैसों का दुरुपयोग न होता। चाहिए तो यह था कि हम इन जिला बोर्डों को धीरे धीरे अच्छे नेतृत्व में सौंपते लेकिन इस कानून के द्वारा

[श्री भैंरूसिंह]

जो काम किया जा रहा है वह जनता को गलत नेतृत्व में धकेला जा रहा है। आज सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में धन का दुरुपयोग नहीं होता है, जनता के द्वारा बहुत परिश्रम से कमाये हुए धन का दुरुपयोग नहीं होता है। आप रिपोर्टें उठाकर देख लीजिये। कहीं १३ हजार रुपये का गबन है, कहीं ७ हजार रुपयों का गबन है, तो कहीं ६ हजार का गबन है, कहीं तीन वर्षों का हिसाब नहीं है। कहीं तीन वर्ष का हिसाब है तो ८ वर्ष की रसीदें नहीं हैं। सीकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मैंने आपको बताया था, सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन कहें किसको, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको कहें? तारीख पेशी जरूर पड़ती है, नोटिस जरूर देते हैं, कार्यवाही की आड़ ले ली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी गलत चीजें होती हैं लेकिन हमारी सरकार सुनने वाली नहीं, हम चाहे जैसा करें। हमने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दुबारा रखा है। अगर इनकी अवधि बढ़ानी है अथवा इनको कायम रखना है तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमें इस बात का विश्वास दिलाये कि इस प्रकार की गड़बड़ियां इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में नहीं होंगी, जनता में इस प्रकार इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्रति जो अविश्वास है वह नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी यह सरकार के हित में होगा कि इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को खत्म कर दिया जाय, अगर इसमें कानूनी अधिकार नहीं दिया हो तो यह अधिकार दे सकते हैं हम कि इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये वहां के चेअरमैन और मेम्बरों को हटा कर डिज़ोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार का संशोधन बिल लायें और सदन उसको पास करें, काम अच्छा नहीं है तो उनको डिज़ोल्व कर दिया जाय। लेकिन एक दल में संगठित होने की नीति और अगर आपको अपने आदमियों को बदनाम नहीं करना है तो आप इसमें संशोधन प्रस्तुत करें कि जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको डिज़ोल्व करें। सरकार ने जब अधिकार अपने हाथ में लिये थे तब भी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय हमको यह कहा गया था कि जनता के धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जायगा किन्तु उसका सदुपयोग होगा। लेकिन सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग हुआ है। राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स लगते रहे हैं, राजस्थान के कुछ लोगों पर टैक्स लगते रहे और बाकी के लोगों पर टैक्स न लगें इस प्रकार का जो कानून में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है वह सिद्धान्त रूप से गलत है। कहा यह जाता है कि धीरे धीरे लगेंगे, लेकिन बचाने के लिये कोई लोजिक नहीं है। उदयपुर क्षेत्र में चुनाव न हो, जोधपुर क्षेत्र में चुनाव न हो, बीकानेर के एक जिले का चुनाव करा दिया, कोटा में एक जिले का चुनाव करा दिया और यह कहा जाय कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों की वोटर्स लिस्ट बन गई है, चुनाव कराने का सात दिन का काम है, अगर आपसे चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं तो मैं अपनी सर्विसेज़ आपको ऑफर करता हूं, इसके लिये एक आदेश मुझे अपने हाथ में दे दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक महीने में सारे राजस्थान के जिला बोर्डों का चुनाव सम्पन्न करा दूंगा। लेकिन यह कहना कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जायेंगे, यह तो एक बहाना है। अगर आप बहुमत के आधार पर ही विरोध करना चाहते हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब कि इन अन्याय पूर्ण मामलों में बहुमत को झुकना पड़ेगा, इस बहुमत को

[श्री भैरूं सिंह]

परास्त होना पड़ेगा । वह दिन दूर नहीं है, आने वाला है । जनता इन अन्यायपूर्ण मामलों को आगे बर्दाश्त नही करने वाली है । अगर आप सामान्य भाव और समन्वय के भाव नहीं रखना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि परस्पर विरोधी शक्तियां बटोरने के पहले आपके भाव सही हो जायं तो अच्छा है, सुन्दर है । कई आर्ग्युमेंट हैं । माननीय मन्त्री जी आपने जवाब में यह कहेंगे, मेरा ख्याल है कि चुनावों में लगे हुए थे । दो महीने का समय निकल गया । मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर इस तीन वर्ष की अवधि की क्या जरूरत है ? २५ फरवरी को आम चुनाव समाप्त हो गये, आप अगले माह में इनका चुनाव करा सकते हैं लेकिन इसकी भी आवश्यकता आपने नहीं समझी । उदयपुर डिवीजन और जोधपुर में जाकर कहेंगे कि नये मेम्बर्स आ गये हैं इसलिये कहीं वे गड़बड़ी न कर दें, उन सारी बातों से वे आम चुनाव नहीं करेंगे । इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हुआ सदन से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आवश्यकता है या नहीं, माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि आवश्यकता अनावश्यकता की बात नहीं लेकिन संशोधन विधेयक की भावना है जिसको लागू करते जा रहे हैं, चुनाव तीन वर्ष के लिये पोस्टपोन करते जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता पर ठीक ढंग से विचार किया जाय । पहले तो यह निर्णय लें कि आवश्यकता है इसकी या नहीं । अगर इसकी आवश्यकता है तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि पांच छः वर्षों से काम करते आ रहे हैं और इस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग करते आ रहे हैं उनको जिन्दा रखने की आवश्यकता नहीं है । इन दो बातों का निर्णय लेने के बाद में मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको पारित कराने की चेष्टा नहीं करेंगे, अन्यथा मैं सब माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि हमें इस जनता विरोधी बातों का विरोध करना चाहिये ।

श्री ईश्वरीसिंह—माननीय चेअरमेन, मैं दो चार बातां कहणो चाहूं हूं । मूं तो अब बिदा होनो वालो हूं, आप ध्यान दें सुनो । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों डीड पयो हो । थांरा जागीर की ओर थारां कांग्रेस का दोनों को परास्त करवा वाली चीज है । सौ साल सूं जागीरदारां लगान लियो, रसीदां नी दी । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की उगाई करी तो रसीदां दी । आपने जांच करनी चाहिजे थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर रहा है । उगाई को धन काम में लियो है, कौन कौन का आदमी वां का मायने है और देखबा की बात या है कि एक घर का १५ आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं । जका क्या कर रह्या है, जटा जटा वांको लेन देन हो वाकी जांच नीं की । सीकर इलाका का मायने छः मील में १ स्कूल है मिडल और तमाम इलाको भूखो पड्यो है, कोई स्कूल प्रायमरी नहीं । क्योंके जका घर का है, जटा जटा को धन हो अपना वांन मं लियो । मैं चेलेन्ज देने के दूं जिक जका यो करियो तो किसानों को सत्यानाश हो जावेगा । [करतल-ध्वनि] सन ५७ आयो है । यां चीजां पैदा कर दीनी है कि अकाल घोषित कर दियो जाय । ईको मायने क्या ? दुनियां भूखां मरती ही तो कंट्रोल निकल्यो ईं वक्त दस साल की बताया, वा दस साल की बताया भैरोंसिंह, मानसिंह, कुम्भाराम, हरलालसिंह चार घणिया की रेवे । राजपूत-जाटों को मामलो लियो जाय तो मैं चैलेन्ज कर कहूं कि दोनों कोम मिट जावेला और कांग्रेस मिट जावेली । या चीज़ के है ? एक बात सबां ने कहूं हूं के लारले राज हो

[श्री ईश्वरीसिंह]

तो दस साल की बकाया क्यों रही ? एक आना लेर जागीरदारां ने खाली रसीद काश्तकारां ने दी के नहीं । काश्तकारां पर ओ जुर्मानों क्यों ? सीकर रा इलाका में काश्तकार हा लारलो कई लोगों ने वाको बिगाड़ के रेहग्या । आज जयपुर रा काश्तकारां की आ दशा कर राखी है वा दशा करणे रे वास्ते सीकर पर तुल्या है । मेरो आ कहणों है कि यो अपजस तो नहीं लो । लेकिन कांग्रेस गवर्नमेन्ट और आ लोगां ने बरबाद कर दियो जायगो । मैं आप लोगों ने आ कहणों चाहूं के आजतांई म्हने फुरसत को नी ही। पर जब म्हने फुरसत भी मिली है । सीकर की दुनियां एक कोड़ी कियां देसी । १० साल की बकाया भूखा मरतां कियां देसी ? मैं आप लोगां ने कहूं के आप जांच करल्यो और मैं कहूं वी में एक हरफ भी झूठ निकल जाय तो आ बात करो और सही हो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड री बात नीं हो । मैं आ साफ कहूं हूं के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जरूरत के है ? डिस्ट्रिक्ट बोर्डरा लाखां रुपया से आपारां घरां ने लूट लूट भरत्यां रह्या । मैं आप लोगां ने नेक राय दयूं । म्हारा स्वार्थ के वास्ते नहीं । भले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लियो जाय लेकिन दुनिया बरबाद हो जायगी ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष, मैं समझता हूँ कि इसके ५ वर्ष के कार्यकाल का एक बहुत ही अहम मसला आज पेश हुआ है । मैं समझता हूं, कि इस मामले के ऊपर अगर बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आज हम फैसला करेंगे तो यह हमारे ५ वर्ष के कार्यकाल का लैन्ड मार्क होगा । मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष जी, कि आज जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनावों की अवधि बढ़ाने का प्रश्न हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसको हमें ठन्डे दिमाग से सोचना चाहिये । मैं इस प्रश्न को ४ नुक्तेनिगाह से बिठाकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा :—

पहला प्रश्न यह है कि हमें पहले यह सोचना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमें रखने हैं या नहीं रखने ? उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर रियासत के अन्दर पहले पहल सर वी. टी. कृष्णामचारी ने मद्रास के ढंग के यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम किये थे यह जयपुर राज्य को मैसूर और मद्रास यानी दक्षिण भारत की देन थी । उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम हुए । उस समय जयपुर में न पंचायतें थीं और न तहसील पंचायतें थीं । यही एक मात्र ऐसी मशीनरी ईजाद की गई थी । सर वी. टी. कृष्णमचारी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गांव के अन्दर एक प्रकार से जनता को जाग्रत करने की बात थी । लेकिन यह दुर्भाग्य की बात रही, उपाध्यक्ष जी, कि उसके थोड़े दिनों बाद ही यह मर्जर का प्रश्न आ गया और मर्जर के प्रश्न आने से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून जिस प्रकार से लागू होना चाहिये था उस प्रकार से नहीं हुआ । उस प्रकार से नहीं होने का अर्थ यह था कि उस समय इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो सके । चुनाव नहीं हो सकने के कारण सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय जयपुर रियासत में इलेक्टोरल रोल्स नहीं थे । उनके तैयार होने में काफी समय लगने की सम्भावना थी । इस वजह से इमीजियटली काम चालू करने के लिये सर वी. टी. ने नोमीनेटेड बोर्ड्स बनाये । नोमीनेटेड बोर्ड्स बनाकर फिर इलेक्टेड बोर्ड्स के चुनाव की बातचीत शुरू हुई । इसी दर्म्यान में राजस्थान बना और राजस्थान बनने के बाद में जयपुर को, चाहे आप अपने आप को

[श्री मानसिंह मद्दार]

राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का मानते हों लेकिन मेरा दायरा अब भी निवेदन करूं, हिन्दुस्तान क्या दुनिया में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दुनियां भर को अपना दायरा मानते हों, जयपुर तक ही सीमित रखूंगा। वह बाद में निवेदन करूंगा। वह मेरे चौथे नम्बर का प्वाइन्ट होगा। हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हों और नोमीनेटेड आदमी काम करें। नोमीनेटेड आदमी काम करते जांय और हमसे एक रुपये में एक आना काश्तकार से और एक आना जागीरदार से वसूल किया जाय। यानी रुपये में दो आना, हमारी आमदनी का आठवां हिस्सा जैसे मराठे चौथ वसूल करते थे, तो कितना अन्याय पूर्ण माना जाता था, तो हमारी सरकार चौथाई तो नहीं लेकिन आठवां हिस्सा वसूल करने लगी है।

हम लोग इस आशा में थे कि अब तो राजस्थान बन गया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अगर लागू रहेगा तो सारे राजस्थान में रहेगा वर्ना जयपुर भी उससे मुक्त कर दिया जायगा। इस आशा के सपने देखते हुए वह पैसा सरकार को देते रहे। वह पैसा देने के बाद में हमने इस बात को देखा कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। आखिर रुपये में दो आना देते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिये, अच्छे स्कूल खोलने के लिये, सड़कें बनाने के लिये, रास्ते बनाने के लिये। यदि रुपये का सही उपयोग होता है, औषधालय बनते हैं तो हमारा दो आना रु० देना सही है। इतना अधिक लगान देते हैं तो उसके ऊपर दो आना रु० और दे दें तो कोई बात नहीं। लगान के बोझ से तो हम दबे हुए हैं, साथ में रु० पर दो आना और देते रहेंगे, कोई बात नहीं। इस बात को सोचकर चलते रहे। लेकिन चलते चलते हम देखते आये कि यह २ आने का बोझ सारे राजस्थान के ऊपर आज चालू हुआ, कल चालू हुआ। जब राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ तब हमने महसूस किया कि जयपुर वालों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वह खत्म होने जा रहा है, राजस्थान का कौना कौना हमारे बराबर होने जा रहा है। यह दो आना रु० सिर्फ हमसे ही नहीं लिया जाकर सारे राजस्थान पर लागू हो जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कानून पास होने के बाद उसमें यह लेकुना रख दिया गया, हमने उस दिन भी कहा था कि यह आज से ही लागू कर दिया जाय। अगर चुनाव में देर होती है तो सारे राजस्थान में नोमीनेटेड बोर्डस हो जाने चाहिये नोमीनेटेड बोर्डस नहीं करते हैं तो हमारा निश्चित मत था कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी डिज़ोल्व कर दिये जांय। जयपुर से पैसा वसूल नहीं किया जाय जब तक कि सारे राजस्थान से वह वसूल नहीं किया जाय। इस बात को हम जयपुर वालों की आपस की फूट से, मैं कहता हूँ, आज तक नहीं कर सके हैं यह जयपुर के एम. एल. एज़. की नाकाबलियत और ना समझी का नमूना है कि हमारे किसानों पर, हमारे भाइयों पर, हमारे कुछ लोगों पर, मैं भी ४ वर्ष से जागीरदार नहीं हूं लेकिन जयपुर डिवीजन का एक किसान हूं और ५॥ हजार रुपये साल का लगान देता हूं, हम लोगों पर एक आने रु० का भार डाला गया है। हम लोग एक आना रु० आज तक देते चले आ रहे हैं। आज भी किस तरह से अन्यायपूर्ण ढंग से एक आना रु० वसूल किया जा रहा है? आप वहां चल कर देखिये कि किस दुर्गति से किसानों से वह पैसा वसूल किया जा रहा है।

[श्री मानसिंह महार]

वह अन्याय हमारे साथ हो रहा है। होते होते उपाध्यक्षजी, अब क्या होता है ? मैं २५ जनवरी को बड़ा खुश हो रहा था उपाध्यक्षजी, कि अबके ऐसा रिपब्लिक डे आया है २६ जनवरी का जो हमारे लिये बड़ी खुशी का पर्व होगा । मैं समझता था कि २५ जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की मयाद खत्म हो रही है और सरकार ने फैसला किया होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अब चालू नहीं रहेंगे, इसलिये जयपुर के लोग खुशियें मनायेंगे । लेकिन बड़े दुर्भाग्य को बात है कि एक ऑर्डिनेन्स लाकर ६ महीने के लिये इन बोर्डस् की मयाद और बढ़ादी गई । मयाद खत्म होने के बाद उपाध्यक्ष जी, मैं यह समझता था कि शायद हमारी सरकार विधान सभा में इस प्रकार का कोई कानून लायेगा कि राजस्थान के अन्दर, जब कि ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें बन चुकी हैं तो अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की उपयोगिता का कोई सवाल नहीं है, इस वजह से हमारी यह सरकार फैसला कर लेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खत्म कर दिया जाय । लेकिन यहां कानून एक दूसरे ही प्रकार का आता है । लेकिन उपाध्यक्ष जो, यह कानून क्या है ? चाहे मेवाड़ से आये हुए मित्र या मारवाड़ से आये हुए मित्र माने या न मानें, लेकिन हम जयपुरवालों के मुंह पर तो यह एक तमाचे के रूप में आता है । वह हमारी नाकाबलियत पर एक तमाचा है और नाकाबलियत का दूसरा सुबूत है । डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् कानून की मयाद १ वर्ष के लिये और बढ़ादी जाय, इसका अर्थ क्या होगा ? इसका अर्थ यह होगा कि एक आना या दो आना रुपया सैस जयपुरवाले जो देते है वह ज्यों का त्यों लागू रहे और जोधपुर और उदयपुर डिविजन में जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् नहीं हैं वहां के लोगों पर एक साल और वह सैस न लग पावे और जयपुर वालों पर अन्याय उसी प्रकार से होता रहे, जिस प्रकार से कि पहले होता था । इसलिये मैं इसे जयपुर वालों के मुंह पर एक तमाचा मानता हूं । मैं यह मानता हूं कि जयपुर डिविजन की जनता या फोर्मर जयपुर स्टेट की जनता के साथ घोर अन्याय है । ऐसा अन्यायपूर्ण कानून नहीं पास हो सकता । १० वर्षों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो सके और पिछले २ वर्षों में इसलिये चुनाव रोके गये कि अब राजस्थान बन गया है इसलिये तुम सारे राजस्थान को राजस्थान मान कर चलो । जयपुर एक कोस्मोपोलिटन शहर है इसलिये यहां के एम. एल. एज. की विचार धारा भी कोस्मोपोलिटन हो गई है । यह बिल्कुल ठीक है कि सब को राजस्थान की निगाह से देखना चाहिये । लेकिन राजस्थान की दृष्टि से देखें कैसे ? राजस्थान के सब लोगों को भी उसी दृष्टि से देखना चाहिये । लेकिन यहां होता यह है कि डेवेलपमेंट के लिए पैसा दिया जायगा तो उदयपुर डिविजन को सबसे पहले दिया जायगा और बाकी को भूल जायेंगे और इसके विपरीत डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की सेस वसूली करेंगे तो जयपुर डिविजन के लोगों से करेंगे । मेवाड के लोगों पर सेस लगाने का जब प्रश्न आयगा उस दिन मयाद पर मयाद बढ़ाई जायगी, यह नहीं देखा जाता । एक हाथ में तो खाने को देते हैं और दूसरे हाथ की नसें बंद कर देते हैं । उस दिन से कोस्मोपोलिटन बना बन्द हो जायगा उस दिन यह नहीं देखा जायगा कि जयपुर के लोगों पर भार है बल्कि उस दिन यह देखा जायगा कि मेवाड़ के लोगों पर भार पड़ने वाला है इसलिये उनके लिये कुछ करना चाहिये । मैं

[श्री मानसिंह महार]

कहता हूं कि मेवाड के लोगों पर से लगान माफ कर दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जयपुर के लोगों पर भी कर का यह भार माफ कर देना चाहिये। लेकिन हमारे यहां तो अकाल डिक्लेअर किया जाता है तो पहले उदयपुर में किया जाता है और जयपुर का कहीं पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहां के लोग दबे हुए हैं इसलिये उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन अब उनको भी उठाया जायगा। इन चुनावों में जो खुली हार जयपुर डिविजन में हुई है वह इस बात की द्योतक है कि हमारे हारने का कारण यह है कि जनता ने शायद यह सोचा कि पिछले पांच वर्षों में तुमने क्या किया ? तुमसे तो उदयपुर ही अच्छा जहां से ऐसे योग्य व्यक्तियों को भेजा गया है जिन्होंने ५ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स न बनने दिये और सैस नहीं लागू होने दी। तुम नालायकों को ऐसा भेजा कि तुमसे एक आना रुपया सैस भी माफ न हो पाई।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं मेवाड़ के लोगों को बधाई देता हूं। मैं बिल्कुल टू दि पोइन्ट बोल रहा हूँ। अभी तो मुझे टाइम लगेगा। आप इसको पोस्टपोन कर दें तो मैं बैठने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—रिपिटीशन नहीं होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल नहीं होगा।

हम लोगों ने यह महसूस किया है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल केवल इसलिये लाया गया है कि राजस्थान के जिन हिस्सों में सैस लागू नहीं है उन हिस्सों में सैस अब भी लागू नहीं हो। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि उन हिस्सों में सैस अब भी लागू नहीं हो। इसका दूसरा अंग यह है कि जयपुर डिविजन में जहां से हम आये हैं, हम पर एक आना रुपया सेस अब भी लागू रहे। उपाध्यक्ष महोदय, एक आना रुपया सैस के रूप में देने के बाद भी हम सन्तोष करते कि पैसा हमारे इलाके में ही खर्च हो रहा है और मेवाड या बांसवाड़ा में खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन उपाध्यक्षजी, इस पैसे के बारे में आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग हुआ है। बोर्ड ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में दिया गया कि उन्होंने सारा पैसा ही बर्बाद कर दिया। यदि इसके साथ साथ यह करते कि बोर्ड समाप्त कर दिये जाते और एडमिनिस्टेटर नियुक्त किये जाते तो भी कुछ बात होती। कल बीकानेर से आये हुए एक सदस्य जिनकी जमानत भी इस चुनाव में जब्त हो चुकी है अंग्रेजों के जमाने के दिमाग का नमूना दे रहे थे। अंग्रेजों के जमाने के आई. सी. एस. दिमाक और लोकतन्त्र की बू थी लेकिन जनता ने जमानत ही जब्त करवादी। मैं अब भी बिलीव करता हूं कि जयपुर डिविजन के बोर्ड्स को डिज़ोल्व किया जाय और जब तक नया कानून न लागू हो जाय तब तक एडमिनिस्टर्स मुकर्रर किये जांय तो हम महसूस करेंगे कि जो पैसा सैस के रूप

[श्री मानसिंह महार]

में हम देंगे उसका सदुपयोग होना। वर्ना यह क्या डेमोक्रेसी का मखौल है, यह समझ में नहीं आता? हम पैसा दें और नोमिनेटेड लोग उसको बीच में ही खा जांय या खर्च करें तो ऐसा करें कि उनके घर का माल है न कि दूसरों का। कोई कहता है कि मेरे साले के गांवों में खर्च होना चाहिये और कोई कहता है कि मेरे बहनोई के गांव में खर्च होना चाहिये और कोई कहता है कि यह मेरी फूफी का बेटा है, इसलिये इसके गांव में खर्च होना चाहिये, यही हाल हो रहा है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन श्री बंशीलालजी लुहाडिया के लिये विधान सभा में बार बार पुकार कर कहा, हमारा तो गला फट गया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज भी उनके खिलाफ इतना मसाला तैयार है कि यदि सरकार न्यायपूर्वक काम करे और पक्षपात को दूर हटावे तो उनको आज भी जेल जाना पड़ेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार को देते हैं उसका इस प्रकार दुरुपयोग हो और सरकार फिर मांग करती है कि १ साल की फिर मयाद बढ़ाई जाय और जो खर्चा हुआ है उसको फिर मंजूर करें और मोहलत और दें, तो क्या आज तक सो गये थे जो एक साल में पैसा इकट्ठा हुआ उसको बटोर कर लोगों के घर ले जाने दिया? यह कौन सा न्याय है और कौन सी डेमोक्रेसी है और कौन सी परम्परा सरकार निभा रही है। यह दूसरा पोइन्ट हुआ।

तीसरा पोइन्ट, मैं निवेदन कर रहा था, वह, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जब ग्राम पंचायतें और तहसील पंचायतें कायम हो गई और पंचायत एक प्रकार से टैक्स वसूल करने लगीं तो अब यह जरूरत कहां रही कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और बीच में आ जाय और लोग उसके लिए पैसा दें। ये बोर्ड कैसे कायम हुए, इसका इतिहास मैंने बता दिया। इनको कायम हुए एक जमाना हुआ, फिर क्या आवश्यकता थी अब इनको कायम रखने की? यह कोई बुद्धिमानी का नमूना नहीं है कि पुराने जमाने में कोई चीज कायम हुई तो वह अब भी कायम रहे। आप यह भी कहते कि जागीरें भी ५०० वर्ष पुरानी हो चुकी हैं, इनको भी कायम रखा जाय। आज जो लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नोमीनेट हो गये है, वे भी जागीरदारों के रूप में हैं। यह तीसरी बात मैं कहना चाहता था।

अब, चौथी बात, जो मैं कहना चाहता हूं वह बहुत महत्व की है। वह मैं निवेदन कर दूं। उसको मैं जरा विशेष डिटेल में निवेदन करूंगा। उपाध्यक्षजी, इसलिए आप क्षमा करेंगे। उसमें कुछ डिवीजन विशेष में छींटाकशी भी होगी इसलिए भी मुझे क्षमा किया जाय। वह बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में पिछले वर्षों में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की आबादी बढ़ाने का प्रश्न आया था उस समय हमने यह बात निवेदन की थी कि उदयपुर डिवीजन की जनता यह चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू न हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव न कराये जांय। उस समय यह कह कर कि अगले साल भर के अन्दर चुनाव हो जायेंगे, जनरल इलेक्शन के पहले पहले चुनाव खत्म हो जायेंगे, चुनावों को रोक लिया गया। चुनाव कार्यक्रम बनाये गये थे। जयपुर में तो नोमीनेशन तक ले लिये गये थे, नोमीनेशन फाइल तक हो गये थे। नोमीनेशन पेपर फाइल होने के बाद उदयपुर के किसान संगठनों ने यह आवाज बुलन्द की कि इन ट्रेजरी बैंचेज़ और उन बैंचेज़ में बैठने वालों

[श्री मानसिंह महार]

को अगले चुनावों में वोट नहीं दिये जायेंगे, यदि यह एक्ट उदयपुर में लागू हो गया तो। मैं जानता हूँ कि कितने न्यायपूर्ण तरीके से मेवाड के लोग जीत कर आये हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नोमीनेशन पेपर फाइल होने के बाद भी चुनाव सरका दिये गये, चुनाव रोक दिये गये। कहीं पर बरसात का बहाना बना दिया गया। जयपुर में बरसात का नामोनिशान नहीं था। उदयपुर में तो बरसात का बहाना चल जाता, लेकिन जयपुर में तो बरसात का नामोनिशान नहीं था। तो वहां पर नोमीनेटेड बोर्ड के लोग रह गये और उसके सदस्यों के चुनाव सरका दिये गये। अब आम चुनाव खत्म हो गये हैं, उदयपुर से चुनाव में वोट लिये जा चुके हैं और वहां टेम्पो, जो चुनाव के लिए कायम किया गया कि सैस लागू नहीं होगा, अन्य रुपया वसूल नहीं होगा, वह अब लागू किया जायगा और कहा जायगा कि यह मजबूरी है। लोगों को यह भी कहा जायगा कि पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपया हमने खर्च किया है तो कुछ तो तुम लोग भी दो। तो अब इस प्रकार बात करके इसको धीरे धीरे लागू करेंगे। हम यह निवेदन करते हैं, उपाध्यक्षजी, यह मेरी अपनी मांग नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर जिले के हर एम. एल. ए. की मांग है और कोई भी एम. एल. ए. जयपुर जिले का या कोई भी मंत्री, उप-मंत्री जयपुर जिले का यह कह दे कि इस सदन में कि मेवाड के अन्दर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू न हो और जयपुर जिले में हो और यहां पर रुपया वसूल हो, यह न्यायसंगत है। यह कहने का कोई भी दम भरता हो, या जयपुर का कोई भी मंत्री यह दम भरता हो और आगे आकर इस बात को सदन में कह देवें तो मैं जानूंगा कि वे सिद्धान्तवादी हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन यह बात नहीं है। मंत्री लोग भी केवल मंत्री पद से चिपके रहने के लिये म्याऊं बने बैठे हैं। वे नहीं देखते कि जयपुर की जनता पर अत्याचार हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, वे हलाल किये जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि हलाल ही क्यों, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू नहीं है और जयपुर में सैस का रुपया दिया जाय, यह कहां का न्याय है? यह अन्याय तो रूस जैसे देश में भी नहीं होता, यह अन्याय साम्यवादी देशों में भी नहीं होता कि एक इलाके में एक टैक्स हो और दूसरे में नहीं। जब रियासतों का एकीकरण हुआ था उस वक्त हमने महसूस किया था कि शायद यह धीरे धीरे हो जायगा, लेकिन एकीकरण हो कर एक इतिहास बदल गया, एकीकरण के बाद पांच वर्ष आम चुनाव को हुए हो गये लेकिन सरकार नींद में सोती रही। सरकार पांच वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव तक न करा सकी। इस प्रकार की कार्यवाही पिछले पांच वर्षों में नहीं हुई तो अगले पांच वर्षों में क्या कर सकते हैं? हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए आज मैं मेरे जयपुर के मित्रों से, मेरे जितने भी जयपुर के भाई इस डिवीजन से चुनाव जीत कर आये हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि यह जयपुर के लिए कमजोरी है, यह हमारी एक प्रकार से आपसी फूट का नतीजा है। यदि सब एकमत हों, एकता हो तो आज इस प्रकार से इस प्रकार के कानून की म्याद एक साल और क्यों बढाई जाती और हमारा शोषण हो और उदयपुर में वह शोषण न हो, यह हमारे लिए अयोग्यता का सुबूत

[श्री मानसिंह महार]

है। हम यह साबित करें कि जयपुर के लोग भी उदयपुर आदि के पीछे हैं और चाहते हैं कि सैस जयपुर में लागू न हो। उधर जयपुर के जो भाई बैठे हैं, वे डिसिप्लेन के कारण घबराये हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे यह दावे के साथ कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस जयपुर में लागू हो तो १ जुलाई से हो या इस उन्यालू फसल से हो जाय पर साथ ही आप इसे उदयपुर में भी लागू कर दीजिए एक साल के लिए पांच साल के लिए लागू कर दीजिए और कलेक्टर को कह दीजिए कि वे रुपये इकट्ठे कर लें और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को कह दिया जाय कि वे उस पैसे से स्कूल आदि खोल दें और अगर यह न हो तो हमारी मांग यह है कि उपाध्यक्ष जी, कि हमें उदयपुर से कोई इर्ष्या नहीं है, हम उनको गले से लगा कर रखना चाहते हैं, हम उदयपुर वालों की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलन्द करें कि मेवाड वाले जो चाहते हैं उनके पीछे जयपुर वाले भी हैं और चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू न हो। हम उनके पीछे हैं, अगर वे बुद्धिमान हैं तो वे आगे रहें लेकिन हम सब चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस कहीं भी नहीं रहेगा। हम कहते हैं कि हम मेवाड के भाइयों के साथ। लेकिन अगर वहां माफ करते हैं और यहां पर माफ नहीं करते है और हमारा शोषण करना चाहते हैं तो उस सूरत के अन्दर हम यह कहते हैं कि इस उन्यालू की फसल से इस प्रकार का एक बवन्डर उठेगा। यदि इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस को सारे राजस्थान में लागू नहीं किया गया तो जो उन्यालू की फसल होगी उस पर जयपुर डिविजन में एक आना रुपया किसी जगह भी वसूल नहीं किया जायगा। हम लोग उनसे कहेंगे कि यह कैसा अन्याय कि तुम्हारे तमाचे पर तमाचे लगाते जायं और तुम नीची टांट किये हुए बर्दास्त करो ? मैं जयपुर के समस्त एम. एल. एज. को कहता हूं। मैं अपने लिए कहता हूं कि मुझ में प्रान्तीयता या जयपुरपन कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं कहता हूं अगर मुझ में प्रान्तीयता भरी हुई है तो क्यों हो मुझ में मेवाड के अन्दर मेवाड के निवासी कहते हैं कि सैस लागू नहीं होना चाहिए और उन्होंने पांच वर्ष तक लागू नहीं होने दिया है। लेकिन हम जयपुर वाले मिट्टी के हैं, हम नाकाबिल हैं। इसी कारण हमारे ऊपर इस प्रकार की दो वर्ष की मियाद और बढ़ाई जायगी। मैं जयपुर के भाइयों से अपील करता हूं और मेवाडी भाइयों से भी अपील करता हूं कि दो आना रुपया लेना चाहते हैं उसके विरुद्ध एक होकर आवाज बुलन्द करें। इससे सब झगड़ा दूर हो जायगा। [घंटी]
मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा·········

श्री उपाध्यक्ष—जरा ब्रीफ होइये, काफी रिपीटिशन हो रहा है।

श्री मानसिंह महार—जयपुर वाले दबे हुए हैं, इसलिए उनको अधिक पीसा जाय, यहां पर पिछले दस वर्ष से एक आना रुपया वसूल हो रहा है और अब भी होता जाय। जिस तरीके से चुनाव पहले स्थगित कर दिये गये थे उसी तरह अब भी चुनाव कराइये और कहीं पर झगड़े कराइये, इससे चुनाव स्थगित कराया जा सकता है और फिर एक दो साल की और मियाद बढ़ाई

Page No.45

[श्री मानसिंह महार]

जायगी । इस प्रकार की बात है तो ऐसी सूरत में यह बात मिटने वाली नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ।

अब जयपुर के किसान भी बहुत जाग गये हैं । हमारी हार का कारण डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस का लिया जाना है, हमारी हार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस के कारण हुई है, किसानों ने कहा कि तुम जैसे हिंजड़ों को वोट देकर क्या करें कि जिन्होंने ५ वर्ष तक रह कर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस बन्द नहीं करवाया, उन मेवाड़ी वीरों ने मेवाड़ के किसानों पर एक पैसा भी नहीं लगने दिया, इसलिये हम तुम्हें वोट नहीं देंगे । तो मेरे जयपुर के माननीय मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात को सोचें, हमारे भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री हार गये उनकी हार का कारण भी यही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस था, उनके खिलाफ यह प्रचार किया गया कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कानून पास तो करा दिया । जयपुर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू करा दिया और उदयपुर को माफ कर दिया । श्री रामकरण जोशी, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट इस सदन में पास कराया था मजबूरन उनको जयपुर पर सैस लगानी पड़ी, जयपुर की आपस की फूट थी, उसका मेवाड़ वालों ने लाभ उठाया। पर अब जयपुर वालों से प्रार्थना है कि अब अगर हम जयपुर वाले एक हो जाते हैं तो किसी की ताकत नहीं कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू रखें । मेवाड़ वाले अगर हमारे साथ जाना चाहें तो हमेशा हम उनसे सहयोग करना चाहते हैं, अगर जयपुर का माफ हो जायगा तो मेवाड़ पर भी कभी लागू नहीं होगा, अगर जयपुर पर लागू हुआ तो मेवाड़ पर भी लागू होगा, नहीं तो मैं इस सदन की फ्लोर पर निवेदन करता हूँ कि जयपुर से एक पैसा भी वसूल नहीं हो सकेगा ।

(डॉ० मंगलसिंह, सभापति, पदासीन)

मैं सदन की फ्लोर पर निवेदन करता हूँ कि अगर सरकार ने सौतेला व्यवहार हम जयपुर वालों के साथ किया तो यह व्यवहार चलने वाला नहीं है, अब तक जो चल गया है वही काफी है । जो आम चुनावों की हार ने हमारे गाल पर तमाचा मारा है वह यह सिद्ध करता है कि अब हम लोगों को एक होकर चलना है, जिस तरह मेवाड़ के चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे इधर बैठने वाले हों सैस का मामला आता है तो एक जगह बैठकर बात करते हैं, इसी तरह जयपुर के चाहे उधर बैठने वाले हैं या इधर बैठने वाले हैं, उन्हें एक होकर एक जगह बैठकर बातें करनी हैं । चाहे जयपुर के चीफ मिनिस्टर हो जायं या जोधपुर के चीफ मिनिस्टर हो जायं पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सैस के खिलाफ आन्दोलन होगा, किसी को जेल में डालना हो तो डाल दें और यह आन्दोलन मैं बता देना चाहता हूं कि इस बात को लेकर, इस बिना पर चालू होगा कि एक तरफ तो उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस लागू नहीं, दूसरी तरफ हम जयपुर वालों पर क्यों लादा जा रहा है ?

मैं अजमेर से आये हुए मित्रों से भी निवेदन करूंगा कि हम पर जो अन्याय हो रहा है

[श्री मानसिंह महार]

उसको देखें और वोटिंग के समय हमारा साथ दें। आपके यहां भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् सैस है, आप लोगों को भी माफ कराना चाहिये।

यह क्या बात है ? मेवाड़ में एक पैसा नहीं लगा, जयपुर वालों पर लगा और यह सब साबित करता है कि मेवाड़ वालों का षड्यन्त्र है, उन लोगों का षड्यन्त्र है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाय और यह सैस हम पर लागू नहीं हो। मैं सदन से निवेदन करता हूं और हर सदस्य से, हर मित्र से निवेदन करता हूं कि आप वोटिंग के समय हमारा साथ दीजिये, आप इसमें अन्याय क्या कर रहे हैं, कांग्रेस हाई कमांड इसमें क्या करेगी ? मेरा साथ देने वाले, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरी बात का समर्थन करने वाले यह कहें कि उदयपुर डिविजन में सैस लागू होता है तो इसको औरों से भी वसूल करें, जयपुर में भी वसूल किया जाय। उदयपुर में ५ वर्ष तक माफ हुआ तो हम उससे मानने वाले नहीं हैं, अब बड़ो हुक्म का जमाना लद गया, बड़ो हुक्म तो रफू चक्कर हुआ। इस राजस्थान में मेवाड़ीपन और मेवाड़ का अन्याय चला हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस सदन में। आज चाहे हमारे मुख्य मंत्री सदन से बाहर इधर उधर चले जायं और उपाध्यक्ष महोदय भी दिल मसोस कर बाहर चले जायं, पर हम इस षड्यन्त्र को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया है कि जयपुर के जागीरदारों को तो हलाल ही कर दिया जाय। जिन जागीरदारों ने किसानों और अपने बीच सम्बन्ध अच्छे बनाये रखने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस वसूल नहीं किया और सरकार यह चाहती थी कि उन्हें आपस में लड़ाया जाय पर उन्होंने अपने अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये सैस वसूल नहीं किया। उनसे अब वह सब वसूल किया जाए। मेरे एक मित्र ने एक बात कही कि यह तो चौधरी कुंभाराम, हरलाल सिंह, भैरोंसिंह और मानसिंह की लड़ाई है, पर मैं उन मित्र को बताये देता हूं कि अब यह लड़ाई नहीं रहेगी क्योंकि अब वे दोनों चौधरीजी यहां नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूंगा, सिर्फ भैरोंसिंहजी रहेंगे। मैं उन मित्र को बता देना चाहता हूं कि इसमें न चौधरी कुंभाराम, हरलालसिंह और भैरोंसिंह, मानसिंह की लड़ाई है, यह तो सीधी टक्कर है जयपुर और उदयपुर की, यह तो वही पुरानी दुश्मनी उदयपुर वाले निकाल रहे हैं, यह पुरानी दुश्मनी है, जिसकी संकुचित मनोवृत्ति से यह दुश्मनी निकाल रहे हैं, महाराणा प्रताप और मानसिंह की दुश्मनी है, उस दुश्मनी को निकाल रहे हैं, यह तो ऐतिहासिक दुश्मनी है जिसको सदन में लाया जा रहा है। इसलिये मैं जयपुरी भाइयों से निवेदन करूंगा बीकानेर वालों से निवेदन करूंगा अजमेर अजमेर के भाइयों से भी निवेदन करूंगा क्योंकि वे भी सैस देते होंगे, एक हो जायं

(एक सदस्य की आवाज 'हां, देते हैं')

मुझे भी अब छुटकारा मिल गया है, जयपुर और बीकानेर के कोने कोने में जाकर कहूंगा कि एक पैसा भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस का नहीं दें। भला यह भी कोई बात है कि कोई भी विकास कार्य

[श्री मानसिंह महार]

हों तो मेवाड़ में, कोई बांध बने तो मेवाड़ में, कोई भी डेवेलपमेंट का काम हो तो उदयपुर में, सरकारी कृषि कॉलेज का सवाल आये तो जोबनेर से हटाकर उदयपुर में, हर बात में मेवाड़ को महत्व दिया जाय, सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन का सवाल आता है तो मेवाड़ के मेहताओं को दिया जाय। नये चीफ सेक्रेटरी के अपोइन्टमेंट पर उधर के मित्र कहेंगे कि उनमें तो अंग्रेजी और आई. सी. एस. की बू है, यह कौनसी दुनियां का न्याय है, मेरे साम्यवादी मित्र भी डींग हांक सकते हैं कि इसमें भी इस प्रकार का पक्षपात नहीं होता, यही पक्षपात हमारे चौधरीजी जैसे आदमियों को कम्युनिज्म की ओर झुका रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस जयपुर में लागू हो गया तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है, जिसको संभालना मुश्किल हो जायगा। यह भी कोई बात है कि जोधपुर और मेवाड़ में नहीं एवं जयपुर, अजमेर और बीकानेर के लोग देते रहें? तो अब मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अब जयपुर, अजमेर और बीकानेर वालों को एक होकर साबित कर देना है कि यह सैस राजस्थान भर में वसूल नहीं किया जाता तो हम लोग भी नहीं देंगे और एक डिस्ट्रिक्ट विशेष को, किसी एक डिविजन को इससे माफ रखा जाय और दूसरे लोगों से वसूल किया जाय, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अब मैं जयपुर के भाइयों से अपील करूंगा कि जयपुर की जनता का थोड़ा विश्वास प्राप्त करके आये हैं तो उस कलंक को पोंछना चाहिये, जो काला धब्बा उन पर लगा है उसको धोना चाहिये।

यही कह कर मैं सदन के मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप इस कानून को ठंडे दिमाग से सोचें।

मैं ट्रेजरी बैंच से भी प्रार्थना करूंगा। मगर फिर वही मेवाड़ का प्रश्न आजाता है तो दिल में वही बात आजाती है। जब वहां पर पोस्टपोन किया जावे तो यहां पर भी पोस्टपोन किया जावे। जब तक चुनाव नहीं हो जावें तब तक के लिए या तो इसको पोस्टपोन किया जावे या सस्पेन्ड कर दिया जावे, अगर आप इसको माफ नहीं करना चाहते हैं तो। अगर माफ नहीं करना चाहते कम से कम पोस्टपोन कर दीजिये। अगर आप चाहते हैं कि वसूल होना चाहिये तो यह उदयपुर में भी वसूल होना चाहिये। यह तो एक अच्छी चीज है। कलेक्टर वगैरा के पास रहेगा और वहां पर स्कूल आदि खुलेंगे। वहां तो आदिवासियों का इलाका है। उसमें उनको सहायता मिलेगी और शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सारी बातें होंगी। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि इस सैस को अगर सरकार रखना चाहती है तो दूसरी सब जगहों को साथ लें। अगर मेवाड़ में सरकार यह सैस नहीं लगाती है तो यह नारा बुलन्द किया जावेगा कि सैस वसूल नहीं की जावे और नहीं करने देंगे। या तो वह इसी गर्मी में दूसरे स्थानों पर भी यह सैस लागू होनी चाहिये और सारे राजस्थान में लागू होनी चाहिये, जून से अगर नहीं होगी तो जयपुर की पब्लिक अपना यह नारा

[श्री मानसिंह महार]

बुलन्द करेंगी कि यहां भी सैस नहीं ली जावे। इस नारे के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

श्री शम्भुसिंह—सभापति महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सैस पर भाषण देते हुए बहुत कुछ विस्तार में कहा गया है और बहुत सी ऐसी बातें भी कही गई हैं जो इससे संबन्ध नहीं रखती थीं। परन्तु जहां तक इस एमेन्डमेंट का ताल्लुक है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यह डिस्ट्रक्ट बोर्ड बिल सदन में प्रस्तुत हुआ था तो हमने इसका विरोध किया था और हमारा विरोध करने का आधार जो था वह यह था कि इस वक्त जब कि हमारे यहां राजस्थान में प्रजातन्त्र सरकार है, इस प्रकार का बिल लाकर जनता पर भार डालना अनुचित होगा। एक समय था जब कि राजस्थान में ही क्या हिन्दुस्तान में विदेशियों की सरकार थी और हमारे देशवासियों को संतुष्ट करने के लिये विदेशी हमारे यहां इस प्रकार के स्वायत्त शासन को लागू करना चाहते थे। परन्तु जब हमारे यहां अब अपनी बनी हुई सरकार है तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि स्वराज्य अपने आप विकसित हो चुका है। इसके अलावा यहां पंचायतें और तहसील पंचायतें कायम हो चुकी हैं और हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है। जो काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा पहले विदेशी कराना चाहते थे वह हमारी सरकार खुद करने जा रही है और हमारी सरकार का यह कर्तव्य है। मैं, जहां तक समझता हूँ इस प्रकार की संस्थाएं किसी भी अन्य प्रजातन्त्र देशों में नहीं होगी। तो यह अनावश्यक है। इसके अलावा यह हमारे किसानों के लिए भी बुरी बात है क्योंकि वे तो पहले ही बोझ से दबे हुए हैं और उनकी कमर टूट रही है और एक आना रुपया फिर जब उनको देना होगा तो और भी मुश्किल होगी, इसलिये भी यह अनावश्यक समझा जाता है। अब सरकार इसके चुनाव को पोस्टपोन करने जा रही है तो सरकार ने भी बाद में, हालांकि उस समय सरकार ने हमारी राय को नहीं माना, मगर अब सरकार का रवैया इसको पोस्टपोन करने का रहा है, उसको दूसरे रूप में देखते हुए प्रतीत होता है कि अब सरकार भी इसे अनावश्यक मानती जा रही है। सरकार का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव को पोस्टपोन करना स्पष्ट बताता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी अनावश्यक व्यवस्था को चलाने की व्यवस्था की गई है। यदि सरकार इसमें अवधि लेना चाहती है तो कोई अनुचित नहीं होगा मगर साथ ही साथ जयपुर आदि जिन भागों में यह सेस लागू है उसको भी चुनावों तक पोस्टपोन कर दें तो कोई अनुचित नहीं होगा। इसमें यह प्रश्न रहेगा कि जो कार्य अभी होरहा है वह सेस के पोस्टपोन होने से कैसे चलता रहेगा ? इसका प्रबन्ध इस प्रकार हो सकता है कि सरकार, जिन जिन डिपार्टमेंट्स से इसका ताल्लुक रहता है वह उनको सुपर्द कर दे यानि जिस डिपार्टमेंट का कार्य सड़कें आदि बनाने का है जैसे पी. डब्ल्यू. डी. उसको सड़कें बनाने का काम दे दे और स्कूलों आदि खोलने का काम जो है वह शिक्षा विभाग को दे दिया जावे और इसी प्रकार दूसरे विभाग जो काम चला रहे हैं वे इसका काम चलाते रहें और संभव है कि साल भर के बाद सरकार यह महसूस करेगी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सैस लेने को

[श्री शंभुसिंह]

व्यवस्था तमाम राजस्थान में नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की क्षेत्रीय भावना भी नहीं देखने को मिलेगी और लोगों का क्षेत्रीय भावना देखने का जो चश्मा है वह किसी के आंख पर नहीं लगा रहेगा जो अभी लगा रखा है।

तो चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सरकार इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को लागू करने के लिये अवधि मांगना चाहती है तो सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि एक जगह तो सैस चालू रहे और दूसरी जगह नहीं। इसलिये सेस जो ली जाती है दूसरी जगह से, वह भी स्थगित करदी जावे और अगर नहीं करते हैं और दूसरी जगह लागू करना चाहती है तो मैं यह समझता हूँ कि दूसरी जगह इतनी जल्दबाजी में सरकार को लागू नहीं करनी चाहिये। इसलिये यह मुनासिब होगा कि किसी जगह भी भेदभाव नहीं होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि एक जगह सैस लगती रहे और दूसरी जगह नहीं लगे; इस पर विचार किया जाए। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को ड्रोप कर दिया जावे तो उत्तम होगा।

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल में जो संशोधन आया है उसमें दो साल के बजाय तीन साल का अवधि काल मांगा गया है। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चेयरमेन महोदय, यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जयपुर में, पुराने जयपुर राज्य में लागू था और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट बना तो उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि ६ महिनों में चुनाव हो जाएंगे, ६ महिनों के बाद एक साल का रखा गया और उसके बाद दो साल का प्रश्न आया और इस सदन के सामने अब फिर अवधि बढ़ाने की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस तरह से बार बार बढ़ाने के लिए यह प्रयत्न क्यों किये जा रहे हैं ? पिछले समय चुनावों की तिथि निश्चित की जा चुकी थी, पर फिर भी पोस्टपोन कर दिये गये। अब भी चुनावों के बाद तुरन्त कराये जाते तो तीन महीनों में हो सकते। मैं नहीं समझता कि समय की यह मांग फिर क्यों की जा रही है ? मेरे खयाल से इस अवधि को बढ़ाने का कारण यह था कि अगर यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट सब जगह लागू किया जायगा तो इससे सेस सारे राजस्थान में लागू होगी और उसका आम चुनावों में बड़ा भारी असर हो सकता है और यही दृष्टिकोण सामने रखकर सरकार ने यह पोस्टपोन किया। अब दो वर्ष से तीन वर्ष किये जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार जो आये हैं उनके चुनावों में जो बातें हुई हैं उसके कारण कहीं उनके चुनाव रद्द नहीं हो जावें। इसके अलावा अगर चुनाव हो जाते तो कहीं उसके कारण कांग्रेस की हार हो सकती थी।

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि जयपुर राज्य में अगर यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट लागू था और वहां अगर टैक्स वसूल होता है और उसको अगर चालू रखें तो यह भी एक तरह से अन्याय है, लेकिन मैं खासतौर से किशनगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स से यह नगर बिल्कुल ही मुक्त था, वहां इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। जैसी स्थिति राजस्थान के और

[श्री चांदमल मेहता]

दूसरे इलाकों की थी वैसी ही स्थिति किशनगढ़ की भी थी और किशनगढ़ में कोई टैक्स नहीं था क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट वहां पर लागू नहीं था। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि किशनगढ़ के ऊपर भी यह टैक्स लागू कर दिया गया है। अच्छा तो यह होता कि सब जगह यह कर दिया जाय तो इससे न तो जयपुर वालों को एतराज होता और न किसी और दूसरे इलाके के लोगों को होता। लेकिन किशनगढ़ को तो फिर भी एतराज हो सकता है, उसका कारण यह है कि किशन गढ़ में यह टैक्स पहले नहीं था और अब इसको वहां भी लागू किया जा रहा है। किशनगढ़ में कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोई भी नुमाइन्दा वहां का नहीं है। जो कुछ भी काम होते हैं उनमें कोई न्यायोचित बात अवश्य होती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किशनगढ़ पर जब कि पहले टैक्स नहीं था तो अब क्यों लगाया जा रहा है? माननीय चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि सरकार का काम केवल कानून बनाने का है; तो सरकार को वही नीति अपनानी चाहिए जिससे उसका ताल्लुक हो और वह नीति भी निश्चित नीति होनी चाहिये क्योंकि जब कि दूसरे इलाकों में कहीं भी टैक्स लागू नहीं हुआ, राजस्थान बनने के पहले जहां कि पहले टैक्स नहीं था वहां अब भी नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि सरकार को एक ही नीति अपनानी चाहिए और यह किशनगढ़ के ऊपर जो टैक्स लागू किया गया है वह एकदम तुरन्त ही बन्द किया जाना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री, श्री स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से)—माननीय चेयरमेन महोदय, एक बात को लेकर बहुत लम्बी चौड़ी बहस हुई कि आज हम इस बात का निर्णय करें कि राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट का रहना जरूरी है या नहीं है? मैं समझ नहीं पाया कि इस बहस का यह समय क्या उपयुक्त था और इस बारे में ऐसी बहस क्या हम आज के दिन कर सकते हैं? पहले इसी सदन के सामने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट आया और सदन ने उसके ऊपर बहुत ही गम्भीरता पूर्वक विचार किया और उसके बाद में सदन ने उसको पास भी किया और फिर उसके बाद सदन के सम्मुख यह सवाल आया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कब कराये जायें। तो ६ महीने का समय ऐसा समय था कि जिसके अन्दर चुनाव कराने मुश्किल थे और इसलिए अब उसको बढ़ा कर और अधिक समय लिया गया है। जब इसके चुनाव कराने का समय आया तो एक प्रश्न जो कि आज भी सदन के सम्मुख है हमारे सामने आया और जो प्रश्न सामने आया वह प्रश्न था कि कुछ पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे और उसी के कारण सारे चुनावों में गड़बड़ी पैदा होने की आशंका थी। इसलिए उन चुनावों को ठीक तरह से चलाने के लिये और तहसीलों के सब जगह चुनाव हो जायें इसलिए उसकी मियाद बढ़ा दी गई थी। यह भी जहां तक मैं जानता हूँ बिलकुल ठीक है कि जो तारीखें मुकर्रर हुई थीं उन दिनों में बरसात हो रही थी और कई-एक जगह आशंका थी कि चुनाव बारिस की वजह से खराब रहेंगे इसलिए इसके लिए जनवरी का समय रखा गया है। यह मियाद जो पहले रखी गई थी वह जनवरी की थी और वह तारीख गुजर चुकी है और चुनाव जनवरी में खत्म होने चाहिए थे, मगर इसकी मियाद अगली जनवरी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

तक बढ़ाने को कहा गया है । अब यह है कि चुनाव क्यों नहीं हो सके, तो इसका कारण तो जो भी है वह आप सब को मालूम ही है ।

मैं यह मानकर चलता हूं कि जब हमने किसी चीज पर एक निर्णय ले लिया तो फिर हम उस निर्णय से नहीं फिर सकते और जो निर्णय हमने ले लिया उस पर कार्यवाही अवश्य होगी और वह होकर ही रहेगी । हमने जो पद्धति अब तक चालू रखी है वही चालू रखेंगे । अब सवाल यह रहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो कि नोमीनेटेड रखा गया था वह चालू रखा जाय या नहीं ? इसके बारे में बहुत बहस हो चुकी है । जहां तक सरकार का सवाल है, मैं तो आपसे यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नोमीनेटेड अवश्य है लेकिन इसके बारे में कभी भी कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है । जब भी रिपोर्ट आई है उस पर जांच हुई है और मुनासिब एक्शन लिया गया है । अब भी जब शिकायतें आती हैं तो सरकार उसकी जांच करती है । लेकिन यह कहना कि सिर्फ इस वजह से यह मियाद ली जा रही है कि एक साल और इसमें लग जाय और अमुक अमुक जगह के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाय और अमुक-अमुक जगह के लोगों को फायदा पहुंचाया जाय, तो यह बात बिल्कुल गलत है । जो भाषण यहां हुए हैं और माननीय सदस्य ने जो यहां पर खुमारी उतारी है उससे केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी लोगों को ताज्जुब हुआ है और उन्होंने दो सौ वर्ष पुरानी बातें याद कीं । मैं तो बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि जिससे अमुक लोगों को नुकसान हो । जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं हैं वहां अब कायम हो जायेंगे और जो इस पर खर्च किया जायगा उसका भार सभी पर पड़ेगा । यह मियाद जो है वह अगली जनवरी तक है । अब थोड़े दिनों में ही नई सरकार बनेगी और उसी के काल में यह चुनाव होंगे । अब जैसा कि कहा गया कि बीकानेर में चुनाव नहीं हुए, मैं निवेदन करूंगा कि बीकानेर डिवीजन में तो चुनाव हो चुके हैं और बरसात का जो बहाना लिया गया था ऐसी बात नहीं है और इसमें किसी को शंका करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए । चुनाव होंगे और होकर रहेंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि जब नयी सरकार बनेगी तो वह जल्दी से जल्दी तारीख मुकर्रर करेगी । इस आशा और विश्वास के साथ कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब जगह होने चाहिए, यह सदन इस बिल को स्वीकार करेगा ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री सभापति—मेरे पास एक अमेण्डमेण्ट आया है और जिस सदस्य का यह अमेण्डमेण्ट है वह वे अनुपस्थित हैं, इसलिए इस अमेंडमेंट को अस्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (अमेण्डमेण्ट) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

श्री सभापति—Next item, general discussion on the Budget.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

Nobody is coming forward.

श्री भैंरू सिंह (१६)—आ रहे हैं।

श्री सभापति—House cannot wait for anybody. If you want to speak you speak, otherwise next motion will be taken.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन,......

श्री भैंरू सिंह—माननीय सभापतिजी......

श्री सभापति —इसको बोलने दीजिये, let him speak.

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य का जो अन्तरिम बजट राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया उस पर इस सदन में पूर्णतया विचार करने का मौका तो अगले अधिवेशन में आयेगा लेकिन इस बजट में कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिन पर हमें विशेष तौर से इस समय प्रकाश डालना है। सभापति महोदय, खास तौर से राज्य का जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत होता है उस समय जनता की आशायें उस बजट की ओर लगी रहती हैं। हर राज्य का बजट वहां की जनता के भविष्य का निर्माण करने वाला होता है इसलिये उस पर जनता की आंखें लगी रहना स्वाभाविक ही है। सरकार का बजट प्रस्तुत होने पर जनता अपने आगे के आर्थिक भविष्य के बारे की नीति निर्धारित कर लेती है। राजस्थान राज्य की आमदनी क्या होगी, उसकी आमदनी के साथ साथ खर्चा क्या क्या होगा और उस खर्चे की

[श्री भैरूं सिंह]

पूर्ति के लिए जनता पर किस किस प्रकार के टेक्स का भार पड़ेगा, ये सारी बातें ऐसी होती हैं जिन बातों का पता जनता को बजट के प्रस्तुत होने के बाद ही चल सकता है। सब से पहली बात जिस पर इस बजट में जोर दिया गया है, जिसको एक उल्लेखनीय बात कहा जा सकता सकता है वह यह है कि राजस्थान के जितने भी अल्प-वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की गई है। सभापति महोदय, आज से नहीं, जिस समय राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था उसी समय से लेकर अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की यह मांग रही है कि राजस्थान राज्य के निर्माण होने पर उनके वेतन में वृद्धि की जाय। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के जो भी छोटे मोटे संगठन थे, सारे संगठनों ने समय समय पर सरकार के सामने दूसरे राज्यों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए, वहां के खर्चे का उल्लेख करते हुए, उनकी तुलना यहां से करते हुए आंकड़ों के रूप में तथ्य सरकार के सामने रखे और सरकार पर इस बात का जोर दिया, राज्य की आजकल की स्थिति के अनुकूल उनकी तन्ख्वाहें नहीं हैं। इस कारण किसी न किसी रूप में उनको कम्पेन्सेट किया जाय। पिछले वर्ष जिस समय राजस्थान के अधिकारियों के ग्रेड्स रिवाइज़ हुए थे उस समय भी सदन के समक्ष और सदन के बाहर राज्य कर्मचारियों ने और राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने, सब ने, सरकार से यह मांग की थी जो कुछ आप ग्रेड्स रिवाइज़ कर रहे हैं उनसे सरकारी कर्मचारियों में पूर्णतया सन्तोष नहीं है। उसके बाद, बजट प्रस्तुत होने के बाद और अजमेर के विलय के बाद राजस्थान के सभी कर्मचारियों को यह आशा लगी हुई थी कि जब हमारा प्रान्त ए श्रेणी का प्रान्त बन गया है तो हमको ए श्रेणी के प्रान्त के अनुसार वेतन मिलेगा, हमें वहां के वेतन स्तर पर लाया जायगा लेकिन अजमेर का विलय भी हो गया, उस समय अजमेर के कर्मचारियों ने भी आवाज बुलन्द की और राजस्थान के कर्मचारियों ने भी आवाज बुलन्द करने की चेष्टा की लेकिन बदकिस्मती उन कर्मचारियों की यह रही कि न तो अजमेर के कर्मचारियों की ही तन्ख्वाह बढ़ी और न राजस्थान के कर्मचारियों को ही किसी प्रकार की राहत मिली। उस समय यह आश्वासन दिया गया था और हमारी सरकार ने यह कहने के लिये गुंजाइश रखी थी कि जब आगामी बजट प्रस्तुत किया जायगा, शायद ऐसी परिस्थितियां बन जायं जिनमें हम भी हमारे यहां के कर्मचारियों का वेतन 'ए' श्रेणी के राज्यों की तरह कर सकें। लेकिन कल जिस समय यह घोषणा की गई कि जिन कर्मचारियों का वेतन भत्ता आदि मिलाकर १०० रुपया मासिक नहीं होता है उनके वेतन में पांच रुपये की बढ़ोतरी १ अप्रेल, १९५७ से की जा रही है। मैं समझता हूं, यह उन समस्त राज्य कर्मचारियों के लिये अपमान सूचक है। आजकल अनाज के जो भाव हैं, आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनमें कर्मचारियों को जो आज वेतन मिलता है वह बिल्कुल अपर्याप्त है, उसकी पूर्ति अवश्य की जानी चाहिये। इसके लिये सरकार दूसरी तरफ यह कहती है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिये तन्ख्वाह नहीं बढ़ायी जा सकती, पांच रुपया डियरनेस अलाउन्स में जो बढ़ाया गया उससे लाखों रुपया हमें बजट में बढ़ाना पड़ा है और उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार को सहायता के लिये लिखना पड़ा और भारत सरकार से कहा गया क्योंकि इस वेतन वृद्धि से जो भार हमारे ऊपर पड़ा है उसकी क्षति पूर्ति केन्द्र द्वारा की जाय और इसके आगे भी उन्होंने मांग करने की नीयत जाहिर की है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अल्प वेतन

[श्री भैरूंसिंह]

भोगी जो कर्मचारी हैं उनके लिये जो सरकार की नीति बनी हुई है यह नीति किस कारण से इस प्रकार की बनी हुई है ? एक तरफ तो हमारा राज्य ए श्रेणी में आ गया है और उसी हिसाब से हमारे राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति होनी चाहिये। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये हमें लाजिमी तौर पर इनके वेतन बढ़ाने होंगे। राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने जो भाषण कल दिया उसमें उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है तथा जिनको वेतन भत्ता आदि मिलाकर कुल १०० रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलता है १ अप्रेल, १६५७ से ५ रुपये मासिक की वृद्धि दी जाय। अगर किसी कर्मचारी को; जैसे कि अजमेर के कर्मचारियों जो महंगाई भत्ता मिलता है उसके दो हिस्से किये हुए हैं, एक तो डीयरनेस पे के नाम से और दूसरा डीअरनेस अलाउन्स के रूप में। इसके लिये राजस्थान के कर्मचारियों को मुगालते में रखने के लिये यह कहा गया है कि उनको तो महंगाई भत्ता यहां के बराबर ही मिलता है। एक कुर्सी पर बैठने वाले, एक ही दफ्तर के सामने खड़े होने वाले चपरासी, एक ही थानेदार के नीचे काम करने वाले पुलिस के कान्स्टेबल में, एक ही कुर्सी पर बैठने वाले कर्मचारियों के वेतन में काफी फर्क रखा गया है, महंगाई भत्ते में अन्तर रहेगा, पे स्केल में अन्तर रहेगा; इस प्रकार का अन्तर एक दूसरे को परेशान करने वाला है। परेशानी उनको इसलिये होने वाली है कि एक को तो ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और एक को कम। उनके आपस में तो वैमनस्यता नहीं होगी, उन लोगों की सरकार की नीति के प्रति वैमनस्यता होना स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक जलन को मिटाने के लिये हमारी सरकार ने एक तरीका अपनाया और कहा कि अजमेर वालों को जो मंहगाई भत्ता हमारे यहां के जितना ही मिलता है। इस प्रकार यह पांच रुपये की वृद्धि करके सरकार ने उन राज्य कर्मचारियों को राहत दी है कि जिनका वेतन इत्यादि मिल कर सौ रुपया नहीं होता था। अजमेर के कर्मचारियों की तनख्वाह आप कम भी नहीं कर सकते और हम भी नहीं चाहते कि उनकी तनख्वाह कम की जाय, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है वह राजस्थान के कर्मचारियों को मुगालता देने के लिये तरीका है, जो उचित नहीं है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में चाहे जितना काम हो रहा हो, विकास योजनाएं कितनी ही बन रही हों, जनता का लाखों रुपया चाहे खर्च हो रहा हो, पर कोने कोने में जाकर आप अगर देखेंगे, हर दफ्तर में जाकर देखेंगे, हर स्कूल और औषधालय में जाकर वहां के अध्यापकों और वैद्यों की हालत पूछेंगे, पुलिस के सिपाहियों की हालत पूछेंगे, चपरासियों की हालत पूछेंगे तो आप यही पायेंगे कि जो तनख्वाह उन्हें मिलती है वह हमारे दैनिक कामों के खर्चे के लिये भी इतनी अपर्याप्त है कि उन्हें अपने दैनिक खर्च को चलाने के लिये कर्जा लेना पड़ता है और हर साल यह कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चपरासियों की हालत हम देखते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े कर्मचारी, कर्मचारी उनको क्या कहें अधिकारी, गजटेड अफसर आई. ए. एस. आदि की हालत देखते हैं तो जिस समय अजमेर का विलय हुआ तो उन्हें चिन्ता हुई कि कहीं ए क्लास स्टेट के मुकाबिले

[श्री भैरूंसिंह]

में उनका वेतन कम न हो या उनकी पदवृद्धि कम न हो, उनका ग्रेड कम न हो जाय, तो यह सोचकर उन्होंने सारों ने मिलकर आई. ए. एस. और दूसरे गजेटेड अधिकारियों ने मिलकर चेष्टा की कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, नहीं तो विलय के बाद जुनियर हो जावेंगे। बात बिलकुल ठीक थी। अगर तनख्वाह के लिहाज से जूनियरिटी और सीनियोरिटी का सवाल आता है तो निश्चित रूप से वे दूसरों से जूनियर श्रेणी में आ जाते हैं। उन्होंने मिलकर राजस्थान सरकार से अपनी वेतन वृद्धि की मांग की और राजस्थान सरकार ने उनकी उन मांगों को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। तो मुझे खुशी है कि उनकी मांगें मन्जूर हो गईं। मुझे उनसे कोई जलन नहीं है। तो इस तरह से उनकी श्रेणी के जितने भी अधिकारी जितनी भी स्टेटों में थे उनको सबको एक श्रेणी में लाकर उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई और इससे किसी किसी को तो पांच सौ रुपये से ऊपर भी मिला है। पर मैं तो सरकार के इन मन्त्रियों की समझ की बात कर रहा हूं। उन अधिकारियों ने तो अपना काम किया। उन्होंने अपने लिये कोशिश की, पर मन्त्रियों ने दूसरों के लिये कुछ नहीं सोचा, यह भी नहीं सोचा कि किसको अधिक ज़रूरत है। हमारे ये जितने मन्त्रीगण हैं, अपनी बुद्धि से काम नहीं करते बल्कि जितने सरकारी अधिकारी हैं, उनकी बुद्धि से काम लेते हैं। सरकारी मन्त्रियों को चाहिये तो यह था कि जिससमय बड़े बड़े अधिकारी अपने अपने लिये कोशिश कर रहे थे तो उस समय उनको यह कोशिश करनी चाहिये थी कि जो अल्पवेतन भोगी कर्मचारीगण हैं उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ाई जा सकती है; पर उन्होंने उस बात को भुला दिया। उच्च अधिकारीवर्ग तो उनके लिये सोचता ही क्यों, उसे तो अपने लिये सोचना था, अपना पेट देखना था उन्हें तो। चिन्ता हुई अपना पेट पालने की और सरकारी मन्त्रियों को चिन्ता हुई उन्हें खुश करने की। उनको खुश अगर नहीं करें तो उनकी ऊट-पटांग आज्ञाएं लागू नहीं होतीं। इसलिये यह सारी स्थिति इस बात की द्योतक है कि हमारे जितने मन्त्री हैं वे इन उच्चाधिकारियों के घेरे से बाहर नहीं निकल सकें। इसलिये बड़े बड़े अधिकारियों ने तो अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लीं और अल्प वेतन भोगी खत्म हो गये। इनके लिये सरकार ने उच्चाधिकारियों ने और इनकी कठपुतली बने, ये मन्त्री कहने लगे, यह बहाना लेने लगे कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। मैं एक बात निवेदन करूं। अभी चुनाव सम्पन्न हुए हैं। आज का जो सत्तारूढ़ दल है उसने एक रेश्यो मुकर्रर किया है कि यदि एक कर्मचारी की तनख्वाह एक रुपया है तो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी का वेतन तीस रुपये हो सकता है। उन्होंने एक और तीस का रेश्यो मुकर्रर किया। इससे अधिक अन्तर नहीं रखने का उनका इरादा था। यह कांग्रेस के मेनीफेस्टो में लिखी हुई चीज है। पर आज उस रेशो के अनुसार भी तनख्वाह मुकर्रर करने को वह सत्तारूढ़ दल अब तैयार नहीं है। कहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब है। जहां उच्चाधिकारियों के वेतनवृद्धि का सवाल आया वहां तो आपस में मिलमिलाकर कर लिया, पर जहां निम्न कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का प्रश्न आया वहां आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना बना लिया गया। आप निम्न कर्मचारियों के साथ उस रेश्यो को भी कम से कम लागू करने को तैयार नहीं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो जिन बड़ों बड़ों को काफी ज्यादा दिया है उनको रोक देते, आप इस प्रोपोर्शन में तरक्की देते। पर

[श्री भैरूसिंह]

आपने तो यह किया कि छोटों को एक एक रुपया और बड़ों को पांच पांच सौ रुपया बढ़ा दिया। बड़ों का बड़ा पेट और छोटों का छोटा पेट, आपने तो इस दृष्टिकोण को अपनाया है। आज छोटे और बड़े राज्य कर्मचारी में क्या अन्तर है, यह भी आप देख लें। एक छोटे कर्मचारी का भी वही खर्च होता है जो बड़े का। अगर बड़ा कर्मचारी अपने लड़के को पढ़ाना चाहे तो फीस का वही पैसा लगता है, किताबों का वही पैसा लगता है और दूसरे कागज पेन्सिल आदि का भी वही खर्चा लगता है, बीमार होता है तो वही खर्चा करना पड़ता है। हां खाने-पीने में, रहन-सहन में कोई ऊंच नीच का भाव आ सकता है पर बाकी काम सारे के सारे को एक सरीखे करने पड़ते हैं। तो एकसा काम करने वाले की तनख्वाह में एक को २५००) मिले और दूसरी तरफ एक अध्यापक को ३०), ३५) मिले और फिर भी कहे कि अल्पवेतनिक कर्मचारियों की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो यह एक बड़ी भारी शर्मनाक चीज है।

स्कूल के अध्यापकों का प्रश्न है। उनकी सर्विसेज़ का एकीकरण नहीं हुआ, फिक्सेशन बाकी पड़ता है। हर बार सरकार आश्वासन देती है। सरकार हर बार कहती है कि तीन महीने के अन्दर अन्दर उनके एरियर का भुगतान हो जावेगा, पर हर बार तीन महीने का आश्वासन मिलता है। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट आती है तो तीन महीने का आश्वासन मिलता है, दूसरा बजट आता है तो तीन महीने का आश्वासन मिलता है। मैं समझता हूँ कि यदि इन तीन महीने के आश्वासनों को सारे पांच वर्ष के काल में जोड़ा जावे तो हमारी सरकार सबसे गई गुजरी सरकार है, यह साबित हो जावेगा, बुरी सरकार है। पर बुरी सरकार कह देने से, उस पर इल्जाम लगा देने से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को चाहिये कि कम से कम कोई भी बजट प्रस्तुत करने से पहले, राज्य का बजट बनाने वाले, राज्य के बजट के जो आधार स्तम्भ हैं, जिन पर राज्य के बजट का ढांचा आधारित है, उनको किस प्रकार का रिलीफ मिले, यह सोचना चाहिये। राज्य सरकार ने कह दिया कि बजट में घाटा है, पर यह नहीं बताया कि उसकी पूर्ति कैसे करने की सरकार सोच रही है ?

इस घाटे की पूर्ति के लिये अगर सरकार यह सोचती हो कि अन्न ऊपर से बरस जावेगा, धन ऊपर से, आसमान से आ जावेगा, सो तो वह आने का नहीं; कोई खान नहीं लगी है जिससे पैसा निकल आवेगा। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिससे वह पैसा पैदा कर सकेगी। मशीन भी नहीं कि जिससे नोट बन सकेंगे। इसकी पूर्ति के लिये तो टैक्स ही लगाने पड़ेंगे। प्रत्यक्ष में इसे छिपाया गया है, मुगालता देने की कोशिश की गई है ! जो चार करोड़ का घाटा है उसकी पूर्ति भी तो किसी तरह से करनी है। वह किस तरह से करने वाले हैं, यह नहीं बताया ? इसके बारे में आगे विचार करेंगे, यह बड़ी अजीब सी बात है। चार करोड़ का घाटा और इसके बारे में अस्पष्ट नीति, इसकी पूर्ति किस प्रकार से की जावेगी इस बात को छिपा जाना इस चीज का द्योतक है कि राज्य सरकार द्वारा जनता को मुगालते में डालने की कोशिश की गई है, वरना एक स्पष्ट चित्र सरकार के सामने और जनता के सामने पेश किया जाना चाहिये कि घाटा जो है वह इस प्रकार से पूरा होगा, आखिर

[श्री भैंरूसिंह]

उसे पूरा तो कहीं न कहीं से करना ही होगा, नहीं तो आएगा कहां से ? यह बताना चाहिये था कि अमुक प्रकार का टैक्स इतनी आमदनी पर लगेगा इससे इतनी वसूली होगी और इससे इतनी घाटे की पूर्ति होगी। पर यह सब अस्पष्ट ही छोड़ दिया । एक छोटे से घर का भी अगर बजट बनाते हैं तो उसमें भी यही होता है। सौ रुपये की आमदनी होती है तो खर्चा भी उतना ही रखना पड़ता है। अगर खर्चा ११० होता है तो १० रुपये का क्या प्रबन्ध किया गया है, यह पहले सोच लिया जाता है। पर बंद किस्मती है इस राजस्थान की कि यहां हर बार सरकार इसी तरह का अस्पष्ट रुख अपना रही है। पहले भी इसी तरह से मुगालते में रखा गया और यह फिर मुगालते में डाले रखने के लिये नया कदम है। माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब भी मुगालता देने की चेष्टा की गई थी। किस प्रकार से स्कूल की फीस का जिक्र आया था ? पर बदकिस्मति से पिछली बार सरकार जनता के जागरुक रहने के कारण इस प्रकार की फीस की व्यवस्था नहीं कर सकी। पढ़ने वाले और उन छात्रों के मां-बाप सारे के सारे धोखे में रहे। पता नहीं लगा कि फीस किस प्रकार से बढ़ेगी, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ? इस प्रकार मुगालते में रख कर चेष्टा की गई कि फीस लगाई जावे। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण आज हमारे सामने वित्त मन्त्री ने सन्दिग्ध स्थिति पैदा कर दी है बजट प्रस्तुत करके। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कि आपने जो घाटा बताया है उसकी पूर्ति कैसे होगी ? आप टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के आधार पर अगर अधिक टैक्स लगाना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है क्या ? क्या आपने इसका कोई मापदण्ड निश्चित किया है कि इस प्रान्त के लोगों की आर्थिक स्थिति यह है और ऐसी स्थिति में इसके ऊपर इतना अतिरिक्त कर और लगाया जा सकता है ? मैं समझता हूं, इस प्रकार का कोई मापदण्ड आपके पास नहीं है। आपने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। आम खर्च लोगों का क्या है, इसकी पूर्ति कैसे होती है, काश्तकारों की क्या स्थिति है, उनका खर्च कैसे चलता है, दुकानदारों की क्या स्थिति है, उनका खर्च कैसे चलता है, नौकरी करने वालों की और अन्य पेशे वालों की क्या स्थिति है, इसके बारे में क्या सरकार ने कोई स्टेटिस्टिक्स तैयार किये हैं ? मैं समझता हूं कि कतई नहीं। बल्कि सरकार ने तो ऐसी स्थिति तैयार की है कि एट रेन्डम टैक्स लगा दिया। तहसील पंचायत का टैक्स, ग्राम पंचायत का टैक्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, स्टेट ड्यूटी टैक्स लगा रहे हैं, स्टाम्प पर ज्यादा टैक्स, ट्रान्सपोर्ट का खर्च बढ़ा रहे हैं, रेलों का खर्च, रेल-भाड़ा बढ़ा रहे हैं। हर तरफ एक तरह से पैसे की लूट मच रही है। हम इसे कानूनी लूट कह सकते हैं, पर आप लूट करें कानूनी लूट के नाम पर लोगों की जेब से पैसा निकालें। अगर आप यह कहें कि यह विकास कार्यों में खर्च करने के लिये कानूनी लूट है तो आपको व्यवस्था करनी चाहिये कि इस लूट के बारे में जनता को कम्पेन्सेट करें। सरकार कहती है कि पंचवर्षीय योजना है और विकास योजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिये पैसा चाहिये। मैं कहता हूं, यह ठीक है। अगर वास्तव में इन्हीं कामों के लिये खर्च होता हो तब तो कोई दुख की बात नहीं। पर विकास के कामों को देखें, उनके हिसाब को देखें तो कई विकास के कामों में लाखों रुपयों का घोटाला नजर आवेगा। इसके

[श्री भैरूंसिंह]

लिये आप पी० ए० सी० की रिपोर्ट देखें, एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्टों को देखें, तो ऐसा पता लगता है कि राजस्थान में कोई सरकार का अस्तित्व ही नहीं मालूम होता है, जनता के पैसे को सम्भालने वाला कोई नहीं, जनता के पैसे का कोई जिम्मेदार नहीं, चारों ओर लूट मच रही है विकास के नाम पर और पंचवर्षीय योजना के नाम पर। जनता के पैसे की इस बेरहम लूट की किसी को कोई चिन्ता नहीं। कोटा डिविजन में जनता के पैसे से लाखों रुपयों के कई बांध बनाये गये पर वे सारे के सारे बरसात में टूट गये। उनके बारे में इन्क्वायरी हुई। इन्क्वायरी में कई बातें साबित हुई, पर आज तक किसी को भी कोई सजा नहीं मिली। एक दो आदमियों को सस्पेन्ड कर दिया। आंसू जिनके आये उनके आंसू पोंछने के लिए एक-दो आदमियों को सस्पेन्ड करके आंसू पोंछ लिये। यह पैसा किसी ठेकेदार का नहीं था। पैसा गरीब जनता का है और वह पैसा राजस्थान सरकार को कस्टोडियन समझ कर दिया। अगर उस कठिन परिश्रम से कमाई हुई पूंजी का दुरुपयोग होता है तो उसकी कोई इन्क्वायरी करे, उसकी चिन्ता नहीं। मैं अपने मुंह से क्या कहूं, राजस्थान के एक ट्रिब्यूनल ने जो कहा, वह कहता हूं। एक मन्त्री के बारे में अभियोग सिद्ध हुआ। मैं इन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन मैं भुलाना भी नहीं चाहता हूं। कई मन्त्रियों पर राजस्थान ट्रिब्यूनल में चार्ज लगाये जांय और नक्शे प्रस्तुत किये जांय और फिर राजस्थान के वित्तीय बजट को घाटे और संतुलित बनाने की बातें कहीं जांय, ये बातें तो हम सुनते जा रहे हैं लेकिन, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि किसी वर्ष में ऐसी बातें आती हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि गरीब जनता पर बोझा किस प्रकार पड़ेगा? सड़कें बनेंगी, स्कूल खोलेंगे, १० कुए खुदवायेंगे, नहरें बनेंगी, यह जो कहा जाता है, और बजट के जो आंकड़े हैं तो यह मैं समझता हूं, गलत दृष्टिकोण है। बजट का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि राजस्थान की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या स्थिति ऐसी है कि उस पर इस प्रकार कर लगा सकते हैं, स्थिति देखकर कर लगाना आवश्यक होता है, लेकिन यह दृष्टिकोण इस बजट का नहीं है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण है पैसा लेना, पैसा इकट्ठा करना और उसकी जैसी मर्जी है वैसे खर्च करना। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, कौनसा राजस्थान का डिपार्टमेन्ट है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के विकास कार्य हुए, सिंचाई के कार्य हुए, सड़कें बनीं, पैसा लगा, खर्चा हुआ, सदुपयोग हुआ, तो हमें सोचना पड़ेगा। आंकड़े जरूर रहते हैं कि इतनी जगह अन्न का अधिक उत्पादन हुआ, कृषि उत्पादन हुआ, लेकिन सुनते जा रहे हैं कि चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने स्वयम् ने माना है कि अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा अन्न खाने को मिलता नहीं है, अच्छा जौ नहीं, यह इस बात की सूचक है कि दुनिया को मुगालता देते हैं कि इतना उत्पादन बढ़ गया। जब पैदावार कम थी तो खाद्य स्थिति ठीक थी, खाने को अनाज मिलता था। आप कहते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन रही है, पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, उत्पादन बढ़ा, पैदावार बढ़ी, तो क्या वह सब जमीन में चली गई है। मैं समझता हूँ, वह यहीं है लेकिन जो आंकड़े तैयार करते हैं वे गलत हैं। होता क्या है, पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं कि कितनी पैदा हुई, पटवारी

[श्री भैंरूसिंह]

तहसील में बैठकर आंकड़े बना कर दे देता है कि इतनी पैदावार हुई और वे आंकड़े भारत सरकार तक पहुँचते हैं और उनको सही माना जाता है और उन आंकड़ों पर केन्द्रीय सरकार की भी वित्तीय स्थिति निर्भर करती है। जिसकी बुनियाद में सत्यता नहीं है उसके आधार पर बना हुआ बजट किस प्रकार जनता को आराम दे सकता है ? तो जो सरकार आंकड़े बनाती है, उन्हीं पर वित्तीय स्थिति निर्भर करती है। राजस्थान की ओर से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूँ कि प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है, सुधार की काफी कोशिश की, आर्थिक स्थिति खराब है और उसको ठीक करना चाहिए। जहां तक स्थिति सामने रखी है वह तो ठीक है लेकिन जहां राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है वहां यह भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान की गरीब जनता की भी आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक नहीं है। उस पर हमें सोचना पड़ेगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर, विकास योजनाओं के नाम पर बजट को घाटे का बना कर एक असंगठित नीति बना कर सारी जनता को अन्धेरे में छोड़ देते हैं। यदि ऐसा बजट बनता है तो वह राजस्थान के लिए कलंक है और जो मन्त्री महोदय उसको प्रस्तुत करते हैं उनके लिए भी निश्चित एक कलंक है। इस बजट के प्रकाशन से जो प्रतिक्रिया हुई है वह उल्टी हुई है। समाचार पत्रों की प्रतिक्रियायें उल्टी हैं, इससे जनता पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वह भी उल्टा है। राजस्थान की जनतांत्रिक सरकार ने बजट प्रस्तुत किया, वह तो पास होना ही चाहिए। कल एम्प्लोईज़ एसोसियेशन के तीन चार प्रतिनिधि मिले थे मुझसे, कहने लगे कि हमें कहा गया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। अध्यापकों को बार बार आश्वासन मिलता था क्योंकि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने एक जगह कह दिया कि मुझे शर्म आती है यह देखकर कि अध्यापकों की तनख्वाहें चपरासियों से भी कम हैं। भारत के प्रधान मन्त्री को शर्म आ जाय, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। राजस्थान की सरकार चाहती है कि वे ही बनी रहें। एक अध्यापक की तनख्वाह चपरासी से कम रहे, एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले अध्यापक की तनख्वाह राजस्थान के चपरासी से कम रहे, देश की सुरक्षा के लिए पुलिस के सिपाही की तनख्वाह कम हो, एक दिल्ली के रहने वाले सिपाही की तनख्वाह ज्यादा और एक राजस्थान के रहने वाले सिपाही की तनख्वाह कम; कहीं एक डाकू का मुकाबला करना पड़े तो दिल्ली का जो सिपाही है उसको भी वही खर्चा करना पड़ेगा और जो राजस्थान का जाने वाला सिपाही है उसको भी वही खर्च करना पड़ेगा, दोनों के काम करने में कोई अन्तर नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी एक है और उस जिम्मेदारी के काम करने में कोई फर्क नहीं है लेकिन अन्तर करते हैं उनकी तनख्वाहों में। मैं समझता हूँ कि यह गरीब कर्मचारियों के प्रति एक अन्याय है, सरकारी कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। पुलिस के कर्मचारियों की एक यूनियन नहीं बन सकती, आज ऐसी स्थिति है। जहां अध्यापकों की तनख्वाहें, पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाहें, चपरासियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ सकती हैं तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं बढ़ सकती हैं, जहां मौका होता है, बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ाने का मौका होता है वहां सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा कि सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि इन व्यक्तियों के लिए, इन

[श्री भैरू सिंह]

छोटे सरकार के कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था की जाय। आज हम देखते हैं कि आर. ए. एस. की तनख्वाहें बढ़ी हैं और बढ़ती जा रही हैं, आई. ए. एस. की तनख्वाहें बढ़ी हैं, पहले से रिवाइज़ होती रही हैं उनके बढ़ने वाले अन्तर को भी देखना पड़ेगा। बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ीं और ग्रेड बढ़े, तो अन्तर आया ५०), ५०) रुपयों का और जहां छोटे २ कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ने का सवाल आया तो ३०-१-४०,५०-१-६० और अन्तर आता है एक रुपया इन्क्रीमेन्ट। ग्रेड ४०-१-५० कर देने से कोई लाभ नहीं हुआ, जब कि बड़े बड़े अधिकारियों के कम से कम ५०) रुपये का रिवाइज़ करते वक्त फ़र्क आता है। महंगाई भत्ते के लिए अब पांच रुपया बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, कि तनख्वाहें कम हैं और गुजारा नहीं होता है। जिसको १०१ रुपया तनख्वाह मिलती है उसके मंहगाई भत्ते में वृद्धि की आवश्यकता नहीं। हुआ खूब है। जिसको ९९ रुपया तनख्वाह मिलती है उसको मिलेगी १०४ और जिसको १०१ मिलता है उसको कुछ नहीं। इससे यह माना जाना चाहिए कि १०१ रुपया मिलने वाले की आर्थिक स्थिति तो ठीक और १०४ वाले की आर्थिक स्थिति खराब। यही माना जाय कि सरकार ने कोई मापदंड नहीं किया है कि कितनी तनख्वाह पाने वाले की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है? उसको चाहिए था कि वह सब तरह से देखे। सोचा कि तनख्वाह बढ़ाने की मांग बढ़ेगी इसलिए उसने एक टुकड़ा फेंक दिया पांच रुपयों का, एक टुकड़ा फेंक दिया, आवाज बुलन्द मत करो, चुप रहो हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी राजस्थान सरकार को चाहिए कि जिस प्रोपोर्शन में उच्चाधिकारियों का इन्क्रीमेन्ट हुआ है, ग्रेड में इन्क्रीमेन्ट हुआ है उसी प्रोपोर्शन में आर्थिक स्थिति को सामने रख कर इन सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ावें, उसी रेशियो से बढ़ावें तो ठीक होगा। अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो क्या ये चीजें इस बात की द्योतक नहीं हैं कि पुलिस के कर्मचारियों और सिपाहियों का कोई यहां आज कोई प्रतिनिधित्व नहीं।

बड़े अधिकारी मिलकर अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। इन कर्मचारियों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आज के बजट में घाटे की पूर्ति के लिए अस्पष्ट नीति का आश्रय है और जितने भी गरीब कर्मचारी हैं उन्हें किसी प्रकार का संतोष दिया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए बजट के विषय में आज विशेष बात नहीं करके मुख्य २ चीजों पर खास तौर से निवेदन करूंगा कि बजट प्रस्तुत करते समय सबसे पहले गरीब कर्मचारियों के बारे में अवश्य ध्यान दें कि उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है और उनकी पूर्ति के लिए एक कमीशन एप्वाइन्ट करें; जिस कमीशन के सामने राजस्थान राज्य के कर्मचारी अपने दैनिक खर्चे के बारे में जानकारी दिलायें और दैनिक खर्चे के साथ साथ इस बात की भी जानकारी हो कि इनके खर्चे की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है? यदि पूर्ति के लिए उनके पास दूसरे साधन हैं तो यह सोचा जा सकता है कि सरकार की ओर से दूसरे साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश कर्मचारियों के पास सरकारी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह के अलावा कोई साधन नहीं हैं। यदि उनके परिवार की संख्या ज्यादा हो और कमाने-खाने वाला कोई दूसरा नहीं हो, तो ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के

[श्री भैरूं सिंह]

लिए अपना प्रतिनिधित्व कमीशन के सामने प्रस्तुत करें। वह कमीशन सरकार के सामने ऐसी व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग करे कि कर्मचारियों की तनख्वाह इस तरह से बढ़ाई जाय। केवल ५) रु० बढ़ाकर उनको संतोष दिलाने की जो व्यवस्था की जा रही है वह गलत है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यदि उनकी वित्तीय स्थिति खराब है तो कई ऐसे अनावश्यक खर्चे हैं जिन खर्चों को हटाया जाकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। आजकल जो हमारी वस्तुस्थिति है वह ठीक है।

एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमें हर साल बात का आश्वासन मिलता रहा है कि राजस्थान में शराबबन्दी की जायगी, राजस्थान में शराब बन्दी होगी और उसके बन्द होने से जिन गरीब मजदूरों के पैसे का अपव्यय होता है वह बन्द हो जायगा। लेकिन इस वर्ष का जो लेखा-जोखा उसको देखें तो आबकारी को बन्द करना, लेकिन आमदनी का नक्शा हमारे सामने आता है तो ऐसा लगता है कि सरकार शराबबन्दी की नीति को राजस्थान में पनपाना नहीं चाहती है। राजस्थान सरकार जहां एक तरफ यह कहती है कि वे शराबबन्दी के कानून को लागू करने की व्यवस्था कर रहे हैं वहां राजस्थान सरकार की आमदनी उसी रूप में बनी रहे, इस बात की व्यवस्था को देखकर कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार केवल प्रचार के रूप में, न कि काम के रूप में शराबबन्दी के काम को अमल में लाना चाहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां वह गलत आमदनी है वह आमदनी बन्द की जाय, जहां गलत खर्चा हो उसको बन्द किया जाय और उसके बजाय छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि कर सकते हैं वह की जाय। जहां छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि नहीं कर सकते हैं वह बजट राजस्थान की गरीब जनता के अभावों की पूर्ति नहीं करता है।

रावत श्री शम्भु सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, बजट के सामान्य वाद-विवाद पर दो शब्द मैं भी निवेदन कर देना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया उसकी एक प्रति हमें उपलब्ध हो पाई है। उसको देखने से प्रतीत होता है कि वह इस वर्ष के बजट में अर्थात् १९५७-५८ के बजट में आमदनी जो दिखाई गई है वह २७.३३ करोड़ रुपये के लगभग है और खर्चा जो उन्होंने दिखाया है वह ३१.७९ करोड़ के लगभग है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ४·५ करोड़ के लगभग इस वर्ष के बजट में घाटा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है, जब आमदनी कम है, तो ज्यादा खर्च कैसे होगा ? इसके वास्ते इस बजट में अथवा इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया उससे स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दिया। अब हम श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति को उठाकर देखते हैं तो उसमें एक बात

[रावत श्री शंभुसिंह]

जरूर दिखाई देती हैं कि मैसूर राज्य के भूतपूर्व दीवान श्री एन० माधव राव फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी की अध्यक्षता में काम करने के वास्ते यहां आ रहे हैं। उसमें नये टैक्सों के विधान और जो पुराने टेक्सेज़ हैं उनकी जांच पड़ताल और सरकारी खर्चों की जांच-पड़ताल की व्यवस्था रखी गई है। इस से प्रतीत होता है कि इस घाटे की पूर्ति सरकार नये टैक्स लगा कर करने जा रही है।

इस संबंध में थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के करदाता इस वक्त भी कर के भार से काफी दबे हुए हैं। भविष्य में करों की जांच पड़ताल करके और इस प्रकार से यहां की जनता और करदाता को करों के भार से और लादने का प्रयास नहीं होना चाहिये। इसके वास्ते मैं जो सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान के करदाता को और अधिक करों के भार से लादने के बजाय यदि केन्द्र से जो कुछ यहां हिस्सा मिलने वाला है उसमें वृद्धि कराई जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। इसके पहले जो फेडरल फाइनेन्स कमीशन नियुक्त हुआ था उसमें जो जो हमारी आमदनी के जरिये थे वह हमने केन्द्र को दिये और केन्द्र से जो हमको मिलने वाली रकम थी वह हमने निश्चित की, लेकिन उस वक्त, मैं समझता हूं कि जिस रकम के मिलने के हम हकदार थे वह पूर्ण रूप से रकम नहीं मिल पा रही है। मिसाल के वास्ते निवेदन करूंगा कि राजस्थान में रेलों से काफी आमदनी थी। हमने जो कुछ आमदनी के साधन केन्द्र को सुपुर्द कर दिये और जिस प्रकार से केन्द्र को दूसरे साधन सुपुर्द किये उनके मुकाबले हमें केन्द्र से बहुत कम सहायता मिल रही है। एक बात को जानकर मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान की सीमा पर जो पुलिस लगी हुई है उसके बारे में केन्द्रीय सरकार से कुछ अधिक सहायता मिलने की बातचीत हो रही है, और वह बिल्कुल उचित हैं, क्योंकि सीमारक्षा का काम केन्द्रीय सरकार का है। सीमारक्षा के हेतु जिस कदर पुलिस फोर्स का व्यय है और जिस कदर आवागमन के साधनों पर व्यय हो वह केन्द्र को पूरे २ अपने ऊपर लेना चाहिए। इस प्रकार मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान और यहां के भूतपूर्व राज्यों ने इन्टीग्रेशन के वक्त में जो कुछ केन्द्र को दिया उसके मुकाबले में केन्द्र से कम ले पा रहे हैं तो इस बात के लिए हमें उद्योग करना चाहिए ताकि हमारा जो वाजिब हो वह हमको मिल पाये। जनता पर जो कर लादने की योजना बनाई जा रही है वह नहीं होनी चाहिए, और राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थात शासन में जो खर्च हो रहा है उसमें कमी करने की बहुत गुन्जायश है। उसको अपव्यय कहा जा सकता है। उस अपव्यय को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार के खर्चों को कम करके बजट का संतुलन किया जा सकता है।

और इस बजट में जो व्यवस्था की गई है कि कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को केवल ५) रू० की वृद्धि करने की, वह केवल एक आंसू पोंछने जैसी बात की गई है। इससे जो कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको कोई खास राहत नहीं होने वाली है। इस वास्ते एक

[रावत श्री शंभूसिंह]

घोषणा होनी चाहिए कि जिस कर्मचारी को १००) रू० से कम मिलते हों तो अब १००) रू० से कम की किसी भी कर्मचारी की भत्ते सहित तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में वृद्धि कम की जा रही है और जिन व्यक्तियों की तनख्वाहों में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की जा रही है। वह जो छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि की जाती है उसके मुकाबले में कई गुना है। यह अनुचित बात है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह १००)रू० से स्टार्ट होनी चाहिए।

इसके पश्चात् मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान का कर-दाता इस स्थिति में नहीं है कि उस पर और कर लगाया जाय। यहां जो किसान है उसकी स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं एक जगह का जिक्र कर देना चाहता हूं। जहाँ पर गन्ने का उत्पादन होता है उस स्थान का नाम है मांडल। वहां पर गन्ने के उत्पादन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। लेकिन उस गन्ने की कीमत किसानों को १।) रुपया मण से अधिक नहीं मिलती है; अर्थात् लकड़ी की आधी कीमत में गन्ना बिकता है। लकड़ी ढाई रूपया मण मिलती है जिसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है, जंगल से काट कर ही लाना पड़ता है और गन्ना, जिसके उत्पादन में इतना खर्चा होता है और किसानों को इतनी जोखम उठानी पड़ती है उसकी उनको बहुत कम कीमत मिलती है। उसकी कीमत केवल सवा रुपया मण मिलती है। आज यह है किसानों की दशा और दूसरी ओर मिल वाले गन्ने को खरीदते हैं और उसकी शक्कर बना कर ३०), ३५) रुपये मण बेचते हैं। तो अब तक किसानों की आमदनी सुधारने या उनको उपज से लाभ दिलाने का उद्योग सरकार की तरफ से नहीं होता है। ऐसी अवस्था में किसानों पर और अधिक कर लगाना उचित नहीं होता। मैं ये ही चंद शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ था।

यहां पर बजट में घाटा दिखाया गया है, उससे यह दिखता है कि निकट भविष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने की योजना बनाई जायगी। अप्रत्यक्ष कर लगाना अधिक भयानक होता है क्योंकि प्रत्यक्ष कर तो सामने दिखता है और अप्रत्यक्ष कर माल पर लगाया जाता है, जिसका गरीबों पर अधिक असर पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि भविष्य में कर लगाने का इरादा सरकार का है तो लग्ज़रीज़ की सामग्री पर कर लगाया जा सकता है, या जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है और धन के द्वारा और अधिक धन कमाते हैं उन पर लगाया जाय। लेकिन जो वर्ग परिश्रम करके या श्रम करके आमदनी करता है उसको कर से मुक्त करना चाहिये। मैं ये ही शब्द निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, सिटिंग कंटिन्यू करेंगे या कल चलायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी १५ मिनिट हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१५ मिनिट में मुश्किल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप कल बोलदें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज एडजोर्न कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं, अच्छा हो कि आप कल बोल लें और आज दूसरों को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—दूसरे शायद बोलना नहीं चाहते, आपका ही नम्बर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्षजी, आज एडजोर्न कर दिया जाय। मैं शुरू कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप शुरू कर दीजिये, बाकी रह जायगा तो कल हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के लिये आगामी वर्ष की आमदनी और खर्च का जो व्योरा प्रस्तुत किया गया है, हालां कि मद तो ४ महीनों के खर्चे के लिये ही लिया जायगा लेकिन अंदाज जो प्रस्तुत किया गया है उसकी ओर संकेत करने के पहले और कुछ बातें कहने के ख्याल से वित्त मंत्री महोदय के भाषण के आखिरी अंग की ओर मैं आपका और आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस पूरे भाषण में दिलचस्प कुछ हद तक बात यदि कोई है तो वह केवल यह है कि वर्षों तक राह देखने के बाद और काफी परेशानी महसूस करने के बाद पर्याप्त मात्रा में नहीं है किन्तु फिर भी छोटी तनख्वाह वाले सरकारी कर्मचारीयों को ५) रु० मासिक देने का उल्लेख इस भाषण में है। यह चाहे कितनी ही अपर्याप्त चीज क्यों न हो, मैं इसका भी अभी जिक्र करूंगा, लेकिन अनविलिंग होते हुए भी, अनिच्छा रखने वाले हाथों से भी इतना हो पाया यह तो कम से कम १००) रु० से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी भी महसूस करेंगे कि उनको कुछ राहत मिली जरूर। वैसे भारत सरकार को कहा गया था और भारत सरकार ने कुबूल कर लिया और इतना पैसा देने की हां भर ली, ऐसा उल्लेख किया गया है। यह उपाध्यक्षजी, गलत बात है। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने पहले कहा था, उन्होंने इनिशियेटिव लेकर यह कहा था कि यदि कोई राज्य सरकार इस बात के लिये तैयार हो कि कम तन्खाह पाने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी करने की ओर कदम उठावे तो हम अपनी ओर से तैयार हैं शेअर करने के लिये। इसलिये कहां तक भारत सरकार के वित्त मंत्री का बयान जिम्मेदार है और कहां तक राजस्थान सरकार जिम्मेवार है, यह उन्होंने सोचा होगा। पैसा आधा भारत सरकार और आधा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थान सरकार पर पड़ेगा। लेकिन फिर भी ५) रुपया माहवार कर्मचारियों को मिलेंगे, इस हद तक उनको राहत मिली इसमें शक नहीं। मुश्किल यह है कि बाजार में बढ़ो हुई कीमत का उल्लेख करने के बाद जिन परिस्थितियों में से उनको गुजरना पड़ रहा है उसका उल्लेख करने के बाद भी राजस्थान सरकार ने केवल ५) रु० बढ़ाने का निर्णय लिया, इसका बहुत सख्त अफसोस हो रहा है, उपाध्यक्षजी, और वह अफसोस इसलिये कि सरकार के बजट की व्यवस्था किस प्रकार की जाय, उसके लिये तो कभी कभी सर खुजाने की आश्यकता हो सकती है। लेकिन क्षमा करें, मिसाल दे रहा हूं; थोड़ी सी व्यक्तिगत किस्म की है लेकिन फिर भी मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्ति न हो लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार शक्ति पैदा भी करनी पड़ती है। मसलन, मान लीजिये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला सही या गलत हुआ लेकिन खिलाफ हुआ तो बड़े बड़े साधन जुटा कर हाईकोर्ट तक उसको ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई। संभव है या नहीं, शक्ति है या नहीं लेकिन क्योंकि आवश्यकता है इसलिये साधन जुटाना पड़ा। इसके लिये जैसी मनोवृति हुई वैसी ही मनोवृत्ति कम तनख्वावाले कर्मचारियों के लिये भी होनी चाहिये। यह केवल न्यायपूर्वक ही नहीं है बल्कि आज तो इसे एक्शन में लाने की स्थिति पैदा हो गई है।

सरकार के मुलाजिम अलग अलग ग्रेड में मंहगाई भत्ता देने की स्थति में हैं और पास पास में काम करें तो मैं समझता हूं कि यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की स्थिति अच्छी है और भारत सरकार अपने मुलाजिमों को कुछ थोड़ा ज्यादा दे सकती है। आज यह कहना तो संभव नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार के मुलाजिमों के बीच में ऐसी स्थिति पाई जाय कि जैसे अजमेर के भाई यहां काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, शिक्षक हैं, चपरासी हैं, हैड कान्सटेबल हैं, या अहलकार हैं, वे कार्य करते हैं, तो उनके स्तर पर कम से कम राजस्थान के सारे कर्मचारियों को लाना चाहिए। यह हमारा, आपका और सबका दृष्टिकोण होना चाहिए और उसी अनुपात में देखा जाय या उसी मुकाबले में देखा जाय तो यह पांच रुपये बहुत अपर्याप्त है, बहुत ही कम हैं। वास्तविक हालत यह हैं, तो सारे देश की सरकारों के जो ग्रेड्स हैं, तनख्वाह, मंहगाई भत्ते हैं, वे अवैधानिक हैं, चाहे भारत सरकार के हों, चाहे अलग अलग राज्यों की सरकारों के। क्योंकि भारत सरकार ने बाजार में नाज अथवा कपड़ा या अन्य आवश्यकता की जो चीजें हैं, उनकी कीमत पर तनख्वाह को एडजस्ट नहीं किया है। मैं ध्यान दिलाऊं आपका कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है। कई देश हैं दुनिया के, जिनमें बाजारों की कीमत के मुताबिक तनख्वाह के स्केल एडजस्ट होते हैं और शायद उधर बैठने वालों को वहम हो रहा हो कि मैं किस देश का नाम लेने वाला हूँ। मैं उन्हें बता दूं कि मैं फ्रांस का नाम लेने वाला हूं। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है। फ्रांस का नाम लेने के साथ साथ मैं इस बात का संकेत कर दूं कि यह राजनैतिक या पोलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तरीका है। फ्रांस में हर छः महीने में जो कोस्ट ऑफ लिविंग स्टेन्डर्ड है, उसके मुताबिक सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह एडजस्ट होती है। वहां हर १० प्वोइन्ट के फ्रेक के पीछे एक फ्रेक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एडजस्ट होता है। वैसी स्थिति हिन्दुस्तान में नहीं है। आज जब राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया तो यह निर्णय ऐसा निर्णय है कि वह प्रकृति के अनुकूल नहीं है। सरकार ने गलत नीति का सहारा लिया है, डेफिसिट फाइनेन्सिंग को गलत नीति अपनाई जाने के कारण देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हुई, उससे कीमतें बढ़ीं, तो उससे राज्य के मुलाजिमों की यह हालत हुई कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। पिछले आठ महीनों में, उपाध्यक्ष महोदय, नाज की कीमत बढ़ी है, उसका अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि होल-सेल प्राइस में ८० और १७३ पोइन्ट तक बढ़ोत्तरी हुई है और ८० पोइन्ट से १८३ पोइन्ट का तात्पर्य यह कि आज से आठ महीने पहले १० रु० में जितना नाज बाजार में मिल जाना चाहिये था आज उतना ७ और छः, माफ कीजिये, उतना नाज १८, १७ रु० में नहीं मिल सकता। यह भारत सरकार के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार स्थिति है और अगर यह स्थिति है तो जिनको मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, उनको ज्यादा से ज्यादा परेशानी और होगी क्योंकि भारत सरकार के स्केल के बीच में और राजस्थान सरकार के स्केलों के बीच में जो तफरुका था उस तफरुका से राहत मिलना तो दूर, बढ़ी हुई कीमतों के नये खर्चे के मुकाबले में, मैं समझता हूँ, पांच रु०, २५ प्रतिशत से कम राहत देने वाली चीज़ है और इसलिये ५ रुपये उनके बढ़े और उनको कुछ तो राहत मिली तो यह हमारे सबके लिये सन्तोष का विषय है, लेकिन सन्तोष का विषय होने के साथ साथ दिल में परेशानी, दुख, दुविधा आदि की शिकायत उस सन्तोष के मुकाबले ज्यादा हो रही है। इसलिये जहां २५)-३०) रुपये देने चाहिये थे, वहां ५) रुपये राज्य सरकार ने दिये हैं। इस बजट के एक अंग का उल्लेख मैंने किया, उपाध्यक्ष महोदय, अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ ऐसी चीजों की ओर कि जिसको राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, उन चीजों का लेखा-जोखा से मूल रूप से सम्बन्ध है। दूसरी चीज जो मैंने पाई वह यह है कि शायद राजस्थान सरकार और राजस्थान का यह बजट अपने किस्म का है कि जहां आमदनी के लिए क्रेडिट लिया गया है लेकिन आमदनी कहां से होगी, कैसे होगी, क्योंकर होगी, किस आधार पर यह कल्पना बनाई गई है, इसका अंशमात्र भी उल्लेख नहीं है। वित्त मन्त्री जी ने कहा है अपने भाषण में "राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच ४,४२,२९ लाख रुपये का अन्तर है;" लेकिन उसके आगे तुरन्त वे कहते हैं :—

"A target of Rs. 1.8 crores for raising additional resources has been fixed by the Planning Commission for the next year while determining the allotment for development programmes to be carried out during the year. Detailed proposals are under formulation and will be finalised by the new Government. Since the progress of the Plan will be retarded, if these resources are not raised, a credit for a lump sum of Rs. 1.8 crores is being taken in these estimates and if the anticipations materialise it will be possible to reduce the gap by this amount."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा ख्याल है कि बजट का मामला है। इस प्रस्ताव का कार्य किसी भी दृष्टि से वांछनीय अथवा ठीक गिना नहीं जा सकता। भारत सरकार के लिये ठीक है, क्योंकि भारत सरकार विभिन्न स्कीमों में सहायता देती है और इस मायने में वह पूछती है कि आपका क्या इरादा है? लेकिन इरादों की घोषणा में बजट नहीं होती। बजट एक प्रकार का लेखा जोखा होता है, मांगें पेश होती हैं, गणित शास्त्र से उसका सम्बन्ध है और हर आमदनी के उल्लेख के समय इस बात का उल्लेख करना पड़ता है कि पिछले वर्ष इस मद से इतनी आमदनी हुई है, सम्भावित आमदनी अमुक कारण से गिर गई है और पिछले वर्ष के आंकड़ों में कमी या ज्यादा हुई तो उसके कारणों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है, प्रकाश डालने से ज्यादा सोचना आवश्यक है, सोचने के साथ गणित के तरीकों से हिसाब लगाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बजट प्रस्तुत हो चुका है, उसमें १ करोड़ ८० लाख के नए साधन जुटाने का फैसला कर लिया है; चूंकि अगर रु० नहीं जुटायेंगे तो योजना नाकामयाब होगी, इसलिये यह मानकर चलें कि रु० जुटा लिया, इस प्रकार का बजट अगर पेश करना है तो राजस्थान सरकार को एक सेन्टेन्स का बजट पेश कर देना चाहिये कि क्योंकि सरकार चलनी चाहिये, काम करना है, काम चले तो बगैर पैसे के नहीं चल सकता, इस प्रकार का बजट पेश कर दें। या राजस्थान सरकार केवल इस बात की घोषणा कर दे कि आने वाले पांच वर्ष में हमने कुछ इतनी धन-राशि का अन्दाज लगाया है, दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये इतनी धनराशि प्राप्त करनी है चाहे कहीं से कर लें, मौजूदा आमदनी के साधन कम पड़ें, इससे कोई परवाह नहीं, नये आमदनी के साधन जुटाने पड़ें, कोई परवाह नहीं, लेकिन धन-राशि प्राप्त करनी है। इस विधान सभा को विश्वास रखना चाहिए, राजस्थान की जनता को विश्वास रखना चाहिए, ऐसा बजट इस प्रकार पेश करना है। यह शेख चिल्ली के नमूने राजस्थान सरकार पेश करे कि मैंने मुर्गी ली, वह अन्डे देगी, अन्डों को बेचूंगा, एक इमारत बनाऊंगा और फिर शादी करूंगा, बच्चे होंगे। यह हिसाब में गलत नहीं था। अगर सचमुच मुर्गी आ जाती तो उसी हिसाब से काम चल जाता और वह शेख चिल्ली उद्योगपति बन जाता। लेकिन फिर भी उसे शेख चिल्ली कहते हैं और वह इसलिये कि बगैर अनुभव के, बगैर ठोस आधार के कल्पना करने वाला शेख चिल्ली कहलाता है। हमारी राजस्थान सरकार ने १ करोड़ ८० लाख जुटाने का काम शेख चिल्ली जैसा किया है। कौनसी मद से यह आमदनी होगी, आमदनी के क्या साधन होंगे, क्यों आमदनी होगी, क्या अन्दाज होगा। एक मिसाल अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई यह कहे कि आज तक सेल्स टैक्स से हमें दो करोड़ की आमदनी होने वाली है, यह भी कहे कि सेल टेक्स की हम दरें बढ़ाने वाले नहीं हैं, यह भी कहे कि ५ करोड़ की आमदनी इससे कर ली है तो उसको कोई कहेगा कि बेवकूफ है, हो नहीं सकता। वर्षानुवर्ष तरक्की आमदनी में होती है, उतनी ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी लेकिन आमदनी के जरिये भी नहीं। शायद कुछ योजना बनी होगी, शायद कुछ विचार चल रहा होगा, आगे विचार चल रहा है तो उन विचारों के बाद में सम्भवतः आमदनी में उल्लेख करने के बाद यह निश्चय हो कि १ करोड़ ८० लाख का क्रेडिट दिया जाना चाहिये था। लेकिन वह इस मायने में बजट कम से कम काल्पनिक मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लिए यह प्रशंसा की बात नहीं है। एक इस वजह से कि यह आमदनी के बारे में हिसाब सही है या गलत और दूसरी वजह यह है कि किसी आदमी को शक नहीं रहे कि सरकार का इरादा आम लोगों पर किसी प्रकार का बोझा डालने का है, जिसका जिक्र सरकार आज नहीं करना चाहती। तो इन बातों की ओर मैंने संकेत किया। अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका संकेत (ध्यान) घड़ी की ओर दिलाऊंगा।

श्री रामकिशोर व्यास—खतम कीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप कहें तो......

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल सुबह ८ बजे फिर मीट करेंगे।

(सदन की कार्यवाही मध्यान्ह १२.३१ बजे दिनांक के २१ मार्च, १६५७ के प्रात: ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२० मार्च, १९५७.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.69

परिशिष्ट १

(राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को जनमत हेतु
प्रसारित करने के प्रस्तुत संशोधन पर हुए विभाजन की
विभाजन—सूची)

'हां' पक्ष—२१

१ ले. क. राजाधिराज श्री अमरसिंह
२ टा. श्री भैरूंसिंह, बाली देसुरी
३ श्री भैरूंसिंह, दांता रामगढ़
४ श्री छतरसिंह
५ श्री छीतरलाल शर्मा
६ श्री गनपत सिंह
७ ,, हनवन्तसिंह
८ ,, राज हिम्मत सिंह, अटरू
९ ,, ईश्वरीसिंह
१० ,, जवानसिंह सोलंकी
११ टा. श्री माधोसिंह, बाडमेर 'सी'
१२ श्री नाथूसिंह
१३ मेजर आपजी श्री रघुराज सिंह
१४ श्री संग्रामसिंह
१५ ,, संतोषसिंह कछवाहा
१६ रावत श्री शंभुसिंह
१७ ,, तनसिंह
१८ ,, वेदपाल त्यागी
१९ ,, हरिकृष्ण व्यास
२० ,, अर्जनदास तुलसीदास
२१ ,, गनपतिसिंह

'ना' पत्र—७८

१ सरदार श्री अर्जनसिंह
२ ,, बद्रीलाल
३ ,, भगवानसिंह तरंगी
४ ,, भैरवलाल 'काला बादल'
५ मेजर ठा. श्री भैरूं सिंह, सोजत-देसूरी
६ श्री भवानी सहाय शर्मा
७ ,, भोगीलाल पण्ड्या
८ ले. क. कुंवर श्री बिशनसिंह
९ श्री जय नारायण व्यास
१० ,, चुन्नीलाल बिडला
११ ,, दिलीपसिंह
१२ ,, दीनबन्धु परमार
१३ ,, धर्मपाल
१४ ,, धूलजीभाई भवसार
१५ ले. क. श्री राव दिलीपसिंह
१६ श्री दुर्लभसिंह
१७ श्री घासीराम
१८ ,, घीसीसिंह कटेला
१९ ,, जयसिंह रानावत
२० श्री गोपीलाल यादव
२१ श्री हंसराज आर्य, भादरा
२२ ,, हरिदेव जोशी
२३ ,, हरिदत्त
२४ ,, हरिराम निनामा
२५ ,, हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री
२६ ,, द्वारकादास पुरोहित
२७ ,, जयचन्द्र मोहिल
२८ ,, जयेन्द्रसिंह
२९ ,, कस्तूरचन्द
३० ,, केसरीसिंह, सोजत मेन

Page No.71

३१ महाराज श्री केसरीसिंह, पाटन
३२ श्री खेतसिंह
३३ ,, किशनलाल शाह
३४ ,, मोहम्मद अब्दुल हादी
३५ ,, लादूराम चौधरी
३६ ,, लालबहादुर
३७ ,, लालसिंह शक्तावत
३८ ,, लालूराम
३९ ,, लक्ष्मण होरात
४० ,, माधोलाल (मेहर)
४१ ,, गौरीशंकर आचार्य
४२ डा. श्री मंगलसिंह, बारी
४३ श्री मनफूलसिंह भादू
४४ ,, मथुरादास
४५ ,, मोतीराम
४६ ,, नारायणलाल
४७ ,, नरसिंह कछवाहा
४८ ,, नाथूराम
४९ ,, प्रभुदयाल
५० ,, रामचन्द्र चौधरी
५१ ,, रामदयाल उपाध्याय
५२ ,, रामकरण जोशी
५३ ,, रामकिशोर
५४ ,, रामलाल बंसीवाल
५५ ,, रामरतन टिक्कीवाल
५६ ,, रोशनलाल शर्मा
५७ कै. श्री सज्जनसिंह
५८ श्री सम्पतराम
५९ ,, श्रीभान सिंह
६० ,, सोमावाला भील
६१ ,, सुगनचन्द जैन
६२ ,, तेजमल बापना
६३ ,, तेजपाल
६४ ,, त्रिवेणीश्याम शर्मा

६५ ,, वीरेन्द्रसिंह
६६ ,, वृजमोहनलाल शर्मा
६७ ,, छगनलाल गैना
६८ ,, चिमनसिंह भाटी
६९ ,, हरिभाऊ उपाध्याय
७० ,, हरजीतलाल
७१ ,, हजारी
७२ ,, जगन्नाथ शर्मा
७३ ,, जयनारायण शर्मा
७४ ,, जेठमल चौधरी
७५ ,, लक्ष्मीनारायणजी जौनवाल
७६ ,, शिवदास ऋषि
७७ ,, सूर्यमल मौर्य
७८ ,, सैयद अब्बास अली

शुद्धि—पत्र

कार्य—विवरण दिनांक २० मार्च, १९५७

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१) १०६	शीर्ष	डिस्ट्रिक्ट बोर्डस	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स
२) ११३	शीर्षक १३	राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६	राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचार-विमर्श एवं पारित)
३) ११४ से १३५	शीर्ष	राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६	राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५७
४) १३१	५	श्री शभुसिंह	श्री शंभुसिंह
५) १३६-१४१	शीर्ष	राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५६	आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद